बहारे शरीअत
11 से 20
मुसन्निफ
अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा
हिन्दी तर्जमा
अमीनुल क़ादरी बरेलवी
नाशिर
क़ादरी दारुल इशाअ़त

किताब को पढ़ने से पहले
इस किताब को स्कैन करने वाले
और इस काम मे हिस्सा लेने वालो के हक़ में

दुआ फरमाएं

अल्लाह अज़्ज़वजल हमारे तमाम
सगीरा व क़बीरा गुनाहों को मुआफ़ फ़रमाये
और ईमान पर इस्तेक़ामत अता फ़रमाये!

PDF BY :
WASEEM AHMED RAZA KHAN
AZHARI & TEAM
+91-8109613336

बहारे शरीअ़त

सत्रहवां हि़स्सा

मुसन्निफ़
सदरूश्शरीआ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा
मौलाना मुह़म्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर
क़ादरी दारूल इशाअ़त
मुस्तफ़ा मस्जिद, वैलकम, दिल्ली–53
Mob:–9219132423

بسم اللہ الرحمن الرحیم
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

तहर्री

जब किसी मौके पर हकीकत मालूम करना दुश्वार होजाये तो सोचे और जिस जानिब गुमाने ग़ालिब हो अमल करे इस सोचने का नाम तहर्री है। तहर्री पर अमल करना उस वक़्त जाइज़ है जब दलाइल से पता न चले दलील होते हुए तहर्री पर अमल करने की इजाज़त नहीं।

मसअला.1:– दो शख़्सों ने तहर्री की एक का ग़ालिब गुमान नफ़्सुल अम्र (यानी हकीकत) के मुवाफ़िक हुआ और दूसरे का गुमान ग़लत हुआ तो अगर्चे दोनों बरीयुज़्ज़िम्मा होगये मगर जिस की राय सहीह हुई उस को सवाब ज़्यादा है। (आलमगीरी)

मसअला.2:– नमाज़ के वक़्त में शुब्ह है अगर यह शुब्ह है कि वक़्त हुआ या नहीं तो ठहर जाये जब वक़्त होजाने का यकीन होजाये उस वक़्त नमाज़ पढ़े और अगर यह शुब्ह है कि वक़्त बाकी है या ख़त्म होगया तो नमाज़ पढ़े और नियत यह करे कि आज की फ़ुलाँ नमाज़ पढ़ता हूँ। (आलमगीरी) नमाज़ के मुतअल्लिक तहर्री के मसाइल किताबुस्सलात में मज़कूर हो चुके वहाँ से मालूम करें।

मसअला.3:– जिसको ज़कात देना चाहता है उसकी निस्बत ग़ालिब गुमान यह है कि वह फ़कीर है या खुद उसने अपना फ़कीर होना ज़ाहिर किया या किसी आदिल ने उसका फ़कीर होना बयान किया या उसे फ़कीरों के भेस में पाया या उसे सफ़े फ़ुकरा में बैठा हुआ पाया या उसे मांगता हुआ देखा और दिल में यह बात आई कि फ़कीर है उन सब सूरतों में उसको ज़कात दी जासकती है(आलम)

मसअला.4:– बाज़ कपड़े पाक हैं और बाज़ नापाक और यह पता नहीं चलता कि कौनसा पाक है अगर मजबूरी की हालत हो कि दूसरा कपड़ा नहीं जिसका पाक होना यकीनन मालूम हो और वहाँ पानी भी नहीं है कि उनमें से एक को पाक कर सके और नमाज़ पढ़नी है तो इस सूरत में तहर्री करे जिसकी निस्बत पाक होने का ग़ालिब गुमान हो उस में नमाज़ पढ़े और मजबूरी की हालत न हो तो तहर्री न करे मगर जब कि पाक कपड़े नापाक से ज़्यादा हों तो तहर्री कर सकता है(आलमगीरी)

मसअला.5:– दो कपड़ों में एक नापाक था तहर्री करके इसने एक में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ली फिर उसका ग़ालिब गुमान दूसरे के पाक होने के मुतअल्लिक हुआ और इसमें अस्र की नमाज़ पढ़ी यह नमाज़ नहीं हुई क्योंकि जब ज़ोहर की नमाज़ जाइज़ होने का हुक्म दिया जा चुका तो इसके यह मअ़ना हुए कि दूसरा नापाक है तो इसके पाक होने का अब क्योंकर हुक्म हो सकता है हाँ अगर इस से पहले कपड़े के मुतअल्लिक यकीन है कि नापाक है तो ज़ोहर की नमाज़ का इआ़दा करे। (आलमगीरी)

मसअला.6:– दो कपड़ों में एक नापाक था उसने बिला तहर्री एक में ज़ोहर पढ़ली और दूसरे में अस्र पढ़ी फिर तहर्री से मालूम हुआ कि पहला कपड़ा पाक है दोनों नमाज़ें नहीं हुईं। (आलमगीरी)

मसअला.7:– दो कपड़ों में एक नापाक है एक शख़्स ने तहर्री करके एक में नमाज़ पढ़ी और दूसरे ने तहर्री करके दूसरे में पढ़ी अगर दोनों ने अलग अलग पढ़ी दोनों की नमाज़ें होगईं। और अगर एक इमाम हो और दूसरा मुक्तदी तो इमाम की होगई मुक्तदी की नहीं हुई खेल, कूद में किसी के खून का क़तरा निकला मगर हर एक यह कहता है कि मेरे बदन से नहीं निकला इस का भी वही हुक्म है कि तन्हा, तन्हा पढ़ी तो दोनों की नमाज़ें होगईं और अगर एक इमाम हो दूसरा मुक्तदी तो इमाम की होगई मुक्तदी की नहीं हुई। (आलमगीरी)

मसअला.8:– चन्द शख़्स सफ़र में हैं सबके बर्तन मख़्लूत होगये(आपस में मिल गये)इसके शुरका उस वक़्त कहीं चले गये हैं और उसे खुद अपने बर्तन की शनाख़्त नहीं है तो उनके आने का इन्तिज़ार करे तहर्री करके बर्तन को इस्तेअ़्माल में न लाये हाँ अगर इस्तेअ़्माल की ज़रूरत है वुज़ू करना है या पानी पीना है और मालूम नहीं साथी कब आयें तो तहर्री करके इस्तेअ़्माल करे यूही अगर खाना शिरकत में है और शुरका ग़ाइब हैं और उसे भूक लगी है तो अपने हिस्से की क़द्र इसमें से लेले। (आलमगीरी)

एह्या–ए–मवात का बयान

ह़दीस् (1) सह़ही बुख़ारी में ह़ज़रत आइशा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसने उस ज़मीन को आबाद किया जो किसी की मिल्क न हो तो वही ह़क़दार है उरवा कहते हैं ह़ज़रत उमर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने अपनी ख़िलाफ़त में यही फ़ैसला किया था।

ह़दीस् (2) अबूदाऊद ने समुरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "जिसने ज़मीन पर दीवार बनाली यानी इह़ाता कर लिया वह उसी की है"।

ह़दीस् (3) अबूदाऊद ने इब्ने उमर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने ज़ुबैर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु को जागीर दी जहाँ तक उन का घोड़ा दौड़ कर जाये ज़ुबैर ने अपना घोड़ा दौड़ाया जब वह खड़ा हो गया तो उन्होंने अपना कोड़ा फेंका हुज़ूर ने फ़रमाया "जहाँ उनका कोड़ा गिरा है वहाँ तक जागीर में दे दो"।

ह़दीस् (4) तिर्मिज़ी ने [illegible]ाइल रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्ल[illegible] ने उन को 'ह़ज़रमूत' (यमन के मश्रिक़ में वाक़ेअ़ एक शहर का नाम है) ज़मीन जागीर दी और मुआ़वि[illegible] रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु को उनके साथ भेजा कि उन को दे आओ।

ह़दीस् (5) इमाम शाफ़ेई ने त़ाऊस से मुरसलन रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिसने मुर्दा ज़मीन ज़िन्दा की वह उसी के लिये है और पुरानी ज़मीन (यानी जिस का मालिक मा़लूम न हो) अल्लाह व रसूल की है फिर मेरी जानिब से तुम्हारे लिये है"।

ह़दीस् (6) अबूदाऊद ने असमर बिन मुदर्रिस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में ह़ाज़िर होकर बैअ़त की फिर हुज़ूर ने फ़रमाया "जो शख़्स़ उस चीज़ की त़रफ़ सबक़त करे (पहल करे) जिसकी त़रफ़ किसी मुस्लिम ने सबक़त नहीं की है तो वह उसी की है इसको सुनकर लाग दौड़े कि ख़त़ खींचकर निशान बनालें"।

मसाइले फ़िक़्हिया

मसअ्ला.1:– मवात उस ज़मीन को कहते हैं जो आबादी से फ़ासिले पर हो और वह न किसी की मिल्क हो और न किसी की ह़क़्क़े ख़ास़ हो अन्दरूने आबादी उफ़तादा ज़मीन को मवात नहीं कहा जायेगा और शहर से बाहर की वह ज़मीन जिसमें लोगों के जानवर चरते हैं या उसमें से जलाने के लिये लकड़ियाँ काट लाते हैं यह मवात नहीं। उसी त़रह़ जिस ज़मीन में नमक पैदा होता है वह भी मवात नहीं यानी मवात वही कहलायेंगी जो मुन्तफ़ेअ़ बिहा न हो। (जिस से फ़ायदा न उठाया जाता हो) फ़ासिले से मुराद यह है कि आबादी के किनारे से कोई शख़्स़ जिसकी आवाज़ बलन्द हो ज़ोर से चिल्लाये तो वहाँ तक आवाज़ न पहुँचे नज़्दीक व दूर का लिहाज़ इस बिना पर है कि नज़्दीक वाली ज़मीन उमूमन मुन्तफ़ेअ़ बिहा होती है वरना ज़ाहिरुर्रिवाया यही है कि नज़्दीक व दूर का लिहाज़ नहीं बल्कि यह देखा जायेंगा कि मुन्तफ़ेअ़ बिहा है या नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुह़तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– ऐसी ज़मीन जिसका ज़िक्र किया गया अगर किसी ने इमाम की इजाज़त ह़ासिल कर के उसे आबाद किया तो यह शख़्स़ उसका मालिक होगया दूसरा शख़्स़ नहीं ले सकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:– एक शख़्स़ ने दूसरे को एह्या–ए–मवात के लिये वकील किया अगर मुवक्किल ने बादशाहे इस्लाम से इजाज़त ह़ासिल करली है तो यह तौकील स़ह़ीह़ है और ज़मीन मुवक्किल की होगी वरना नहीं। (रद्दुलमुह़तार)

मसअ्ला.4:– इमाम ने (ह़ाकिमे वक़्त ने) ऐसी ज़मीन किसी को जागीर देदी और जागीरदार ने उस ज़मीन को वैसे ही छोड़ रखा तो तीन साल तक कुछ तअर्रुज़ नहीं किया जायेगा तीन साल के बाद वह जागीर दूसरे को जागीर दी जासकती है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– एक शख़्स ने ज़मीन को एहया किया फ़िर छोड़ रखा दूसरे ने उसमें काश्त करली तो पहला ही शख़्स उसका हक़दार है क्योंकि वह मालिक हो चुका दूसरे को उसमें तसर्रुफ़ की इजाज़त नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– एक शख़्स ने ज़मीन को आबाद किया उसके बाद चार शख़्सों ने आगे, पीछे चारों जानिब ज़मीनें आबाद कीं तो पहले शख़्स का रास्ता पीछे शख़्स की ज़मीन में रहेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– ज़मीने मवात में किसी ने चारों तरफ़ पत्थर रख दिये या शाखें गाड़दीं या ज़मीन का घास कूड़ा साफ़ किया या उसमें कांटे थे उसने जलादिये या कुँवा बनाने के ख़याल से दो एक हाथ ज़मीन खोद दी और यह सब काम इस मक़सद से किये कि दूसरा उसको आबाद न करे तो तीन साल तक इमाम इस का इन्तिज़ार करेगा अगर उसने आबाद करली फ़बिहा वरना किसी दूसरे को देदेगा जो आबाद करे। (हिदाया)

मसअ्ला.8:– ज़मीने मवात में किसी ने कुँवा खोदा एक हाथ पानी निकलने को बाक़ी था कि दूसरे ने उसे खोदा तो पहला शख़्स हक़दार है हाँ अगर मालूम हो कि पहले ने उसे छोड़ दिया यानी एक माह का ज़माना गुज़र गया और बाक़ी को नहीं खोदता तो उस सूरत में कुंवाँ दूसरे शख़्स का होगा।

शिर्ब का बयान

हदीस (1) सहीह बुख़ारी में उरवा से रिवायत है कि हज़रत ज़ुबैर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से और एक अन्सारी से हुर्रा की नालियों के मुतअ़ल्लिक़ झगड़ा होगया नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने ज़ुबैर से फ़रमाया कि "ब'क़द्रे ज़रूरत पानी लेलो फिर अपने पड़ोसी के लिये छोड़दो" उस अन्सारी ने कहा कि यह फ़ैसला इस लिये किया कि वह आपकी फूफी के बेटे हैं यह सुनकर हुज़ूर का चेहरा मुतग़य्यर होगया और फ़रमाया "ऐ ज़ुबैर! अपने बाग़ को पानी दो फिर रोक लो यहाँ तक कि मेंढ तक पानी पहुँच जाये फिर अपने पड़ोसी के लिये छोड़ो" उस अन्सारी ने नाराज़ कर दिया लिहाज़ा हुज़ूर ने साफ़ हुक्म में ज़ुबैर का पूरा हक़ दिलवाया और पहले ऐसी बात फ़रमादी थी जिसमें दोनों के लिये गुन्जाइश थी।

हदीस (2) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया तीन शख़्स हैं कि क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला उनसे न कलाम करेगा न उनकी तरफ़ नज़र फ़रमायेगा एक वह शख़्स जिसने किसी बेचने की चीज़ के मुतअ़ल्लिक़ यह क़सम खाई कि जो कुछ उसके दाम मिल रहे हैं इससे ज़्यादा मिलते थे (और नहीं बेचा) हालांकि यह अपनी क़सम में झूटा है दूसरा वह शख़्स कि अ़स्र के बाद झूटी क़सम खाई ताकि किसी मर्दे मुस्लिम का माल लेले और तीसरा वह शख़्स जिसने बचे हुए पानी को रोका अल्लाह तआ़ला फ़रमायेगा आज मैं अपना फ़ज़्ल तुझसे रोकता हूँ जिस तरह तूने बचे हुए पानी को रोका जिस को तेरे हाथों ने नहीं बनाया था।

हदीस (3) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "बचे हुए पानी से मनअ़ न करो कि उसकी वजह से बची हुई घास को मनअ़ करोगे"।

हदीस (4) अबूदाऊद व इब्ने माजा ने इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "तमाम मुसलमान तीन चीज़ों में शरीक हैं पानी और घास और आग"।

हदीस (5) सहीह मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाहु सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने बचे हुए पानी के बेचने से मनअ़ फ़रमाया।

हदीस (6) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "बचा हुआ पानी न बेचा जाये कि उस की वजह से घास की बैअ़ हो जायेगी"।

मसाइले फ़िक़्हिया

मसअ्ला.1:– खेत की आब'पाशी या जानवर को पानी पिलाने के लिये जो बारी मुक़र्रर करली जाती है उस को शिर्ब कहते हैं उस लफ़्ज़ में शीन को ज़ेर है।

मसअ्ला.2:– जिस पानी को बर्तन में महफ़ूज़ न कर लिया हो उसको हर शख़्स पी सकता है और अपने जानवरों को पिला सकता है कोई शख़्स पीने या पिलाने से नहीं रोक सकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:– पानी की चार क़िस्में हैं **अव्वल समन्दर** का पानी इससे हर शख़्स नफ़अ़ उठा सकता है खुद पिये जानवरों को पिलाये खेत की आब'पाशी करे इसमें नहर निकाल कर अपने खेतों को ले जाये जिस तरह चाहे काम में लाये कोई मनअ़ नहीं कर सकता **दोम बड़े दरिया** का पानी जैसे सीहून, जीहून, दजला, फ़ुरात, नील या हिन्दुस्तान में गंगा, घागरा, इस को हर शख़्स पी सकता है अपने जानवरों को पिला सकता है मगर ज़मीन को सैराब करने और इससे नहर निकालने में यह शर्त है कि आम लोगों को ज़रर न पहुँचे **सोम वह नदी** नाले जो किसी ख़ास जमाअ़त की मिल्क हों पीने पिलाने की उसमें भी इजाज़त है मगर दूसरे लोग अपने खेत की इससे आब'पाशी नहीं कर सकते **चौथे वह पानी** जिस को घड़ों, मटकों या बर्तनों में महफ़ूज़ कर दिया गया हो इसको बिग़ैर इजाज़ते मालिक कोई शख़्स सर्फ़ में नहीं ला सकता और इस पानी को इसका मालिक बैअ़ भी कर सकता है। (हिदाया, आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– कुवाँ अगर्चे मम्लूक हो मगर इसका पानी मम्लूक नहीं दूसरा शख़्स इस पानी को पी सकता है अपने जानवरों को पिला सकता है जिस का कुंवा है वह रोक नहीं सकता और न इस के भरे हुए मानी को छीन सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– कुंवा या चश्मा जिसकी मिल्क में है वह दूसरा शख़्स वहाँ जाकर पानी पीना चाहता है वह मालिक अपनी मिल्क मसलन मकान या बाग़ में उसको जाने से रोक सकता है बशर्ते कि वहाँ क़रीब में दूसरी जगह पानी हो जो किसी की मिल्क में नहीं है और अगर पानी न हो तो मालिक से कहा जायेगा कि तू खुद अपने बाग़ या मकान से पीने के लिये पानी लादे या उसे इजाज़त दे कि यह खुद भरकर पी ले। (हिदाया)

मसअ्ला.6:– कुंए से पानी भरा डोल मुँह तक आगया है अभी बाहर नहीं निकला है यह भरने वाला इस पानी का अभी मालिक नहीं हुआ जब बाहर निकाल लेगा उस वक़्त मालिक होगा। रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.7:– हम्माम में गया और हौज़ में से पानी निकाला मगर जिस बर्तन में पानी लिया वह हम्माम वाले का है तो यह शख़्स पानी का मालिक नहीं हुआ बल्कि वह पानी हम्माम वाले ही का है मगर दूसरा शख़्स इस से नहीं ले सकता कि ज़्यादा हक़दार यही है। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.8:– दूसरे के कुंए से बिग़ैर इजाज़ते मालिक न अपने खेत को सींच सकता है न दरख़्तों को पिला सकता है न उसमें रहट या चरसा वग़ैरा लगा सकता है मगर घड़े वग़ैरा में भरकर लाया हो तो इस से घर में जो दरख़्त हैं या घर में जो तरकारियाँ बोई हैं उनको सैराब कर सकता है। कुंए वाले से इजाज़त हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– नहरे ख़ास या किसी के मम्लूक हौज़ या कुंएं से वुज़ू करने या कपड़े धोने के लिये घड़े में पानी भरकर ला सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– हौज़ में अगर पानी खुद ही जमअ़ होगया मालिके हौज़ ने पानी जमअ़ करने की कोई तर्कीब नहीं की है यह हौज़ नहरे ख़ास के हुक्म में है। (रद्दुलमुहतार) देहातों में तालाब और गढ़े होते हैं बरसात में इधर उधर से पानी बहकर आता है और उनमें जमअ़ हो जाता है इनका भी यही हुक्म है कि बिग़ैर इजाज़ते मालिक दूसरे लोग अपने खेतों की उस से आब'पाशी नहीं कर सकते।

मसअ्ला.11:– बाज़ जगह मकानों में हौज़ बना रखते हैं बरसाती पानी उसमें जमअ़ कर लेते हैं और अपने इस्तेअ़माल में लाते हैं अ़रबी में ऐसे हौज़ को सहरीज कहते हैं (हिन्दुस्तान में बिफ़ज़्लिही

तआला पानी की कसरत है सहरीज बनाने की जरूरत नहीं मगर जहाँ पानी की कमी है बनाना पड़ता ही है
जैसाकि मारवाड़ के बाज़ इलाकों में बकसरत हैं) यह पानी ख़ास उस शख़्स की मिल्क है जिसके घर में
है और यह पानी वैसा ही है जैसा घड़े वग़ैरा में भर लिया जाता है कि बिग़ैर इजाज़ते मालिक कोई
शख़्स अपने किसी सर्फ़ में नहीं ला सकता। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.12:– बारिश के वक़्त आंगन या छत पर पानी जमअ् करने के लिये तश्त या कूंडा वग़ैरा
रख दिया है तो जो कुछ पानी जमअ् होगा उसका है जिसने तश्त वग़ैरा रखा है दूसरा शख़्स इस
पानी को नहीं ले सकता और अगर पानी जमा करने के लिये तश्त नहीं रखा है तो जो चाहे लेले
उसको मना नहीं किया जा सकता। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.13:– ज़मीन ग़ैर मम्लूका (वह ज़मीन जो किसी की मिल्कियत में न हो) की घास किसी की
मिल्क नहीं जो चाहे काट लाये या अपने जानवरों को चराये दूसरा शख़्स इस को मनअ् नहीं कर
सकता है यह घास दरिया के पानी की तरह सब के लिये मुबाह है ज़मीने मम्लूका में घास खुद ही
जमी है, बोई नहीं गई है, यह घास भी मालिके ज़मीन की मिल्क नहीं जब तक उसे महफ़ूज़ न कर
ले जो चाहे उसको ले सकता है मगर मालिके ज़मीन दूसरे लोगों को अपनी ज़मीन में आने से रोक
सकता है, इस सूरत में अगर मालिके ज़मीन लोगों को और उनके जानवरों को अपनी ज़मीन में
आने से मनअ् करता है और लोग यह कहते हैं कि हम घास काटेंगे या अपने जानवर चरायेंगे अगर
क़रीब में ज़मीने ग़ैर मम्लूका है जिसमें घास मौजूद है तो लोगों से कहा जायेगा कि अपने जानवरों
को वहाँ चरालो या वहाँ से घास काटलो और अगर ज़मीन क़रीब में न हो तो मालिके ज़मीन से
कहा जायेगा कि उन लोगों को इजाज़त दो या तुम खुद अपनी ज़मीन से घास काटकर उनको देदो
और अगर मालिके ज़मीन ने घास काटकर महफ़ूज़ करली तो दूसरा शख़्स इस को ले नहीं सकता
कि यह मम्लूक होगई, अगर मालिके ज़मीन ने घास बो रखी है या अपनी ज़मीन को जोतकर उसमें
पानी दिया है और उसी लिये छोड़ रखा है कि उसमें घास जमे, तो यह घास मालिकें ज़मीन की है,
दूसरा शख़्स न उसे ले सकता है, न अपने जानवरों को चरा सकता है किसी दूसरे ने यह घास
काटली तो मालिक, ज़मीन वाला उसको वापस लेसकता है और इस घास को बेच सकता है(आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– आग में भी सब लोग शरीक हैं दूसरों को मनअ् नहीं कर सकता यानी अगर किसी
ने मैदान में आग जलाई है तो जिसका जी चाहे ताप सकता है अपने कपड़े उससे सुखा सकता है
उसकी रौशनी में काम कर सकता है मगर बिग़ैर इजाज़त उसमें से अंगारा नहीं ले सकता अगर
किसी ने उसमें से थोड़ी सी आग लेली कि बुझाने के बाद इतने कोयले नहीं होंगे जिस की कुछ
क़ीमत हो तो इस से वापस नहीं ले सकता और इतनी आग बिग़ैर इजाज़त भी ले सकता है कि
आदतन इस को कोई मनअ् नहीं करता और अगर इतनी ज़्यादा है कि बुझने के बाद कोयलों की
क़ीमत होगी तो वापस ले सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– कुंए या हौज़ या नहरे ख़ास के पानी से रोकता है और उस शख़्स को रोका गया
प्यास से हलाकत का अन्देशा है या उसके जानवर के हलाक होने का डर है तो ज़बरदस्ती पानी
वसूल करे न दे तो लड़कर ले अगर्चे हथियार से लड़ना पड़े और बर्तन में जमअ् कर रखा है तो
इसमें भी लड़कर वसूल करने की इजाज़त है मगर यहाँ हथियार से लड़ने की इजाज़त नहीं और
यह हुक्म उस वक़्त है कि पानी उसकी हाजत से ज़ायद है यही हुक्म मख़्मसा का भी है कि किसी
को भूक से हलाकत का अन्देशा है और दूसरे के पास हाजत से ज़ायद खाना है और इसको नहीं
देता तो लड़ सकता है मगर हथियार से लड़ने की इजाज़त नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

अशिरबा का बयान

हदीस् (1) सहीह मुस्लिम में आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि कहती हैं कि रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिये मश्क में हम नबीज़ बनाते सुबह को बनाते तो इशा तक पीते,

यह गर्मी के ज़माने में होता था।
और इशा को बनाते तो सुबह तक पीते,
हदीस् (2) सहीह मुस्लिम में इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिये अव्वल शब में नबीज़ बनाई जाती सुबह के वक़्त उसे पीते, दिन में और रात में, फिर दूसरे रोज़ दिन और रात में और तीसरे दिन अस्र तक फिर अगर बच रहती तो ख़ादिम को पिला देते या गिरादी जाती। (यह जाड़े के जमाने में होता)
हदीस् (3) सहीह मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिये मश्क में नबीज़ बनाई जाती मश्क न होती तो पत्थर के बर्तन में बनाई जाती।
हदीस् (4) इमाम बुख़ारी अपनी सहीह में सहल इब्ने सअ्द रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि अबू उसैद साइदी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए और हुज़ूर को अपनी शादी की दअ्वत दी (जब हुज़ूर तशरीफ़ लाये) तो उनकी ज़ौजा जो दुल्हन थीं वही ख़ादिम का काम अन्जाम दे रही थीं उन्होंने हुज़ूर के लिये पानी में खजूरें रात में डाल दी थीं वही पानी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पिलाया।
हदीस् (5) इमाम बुख़ारी ने अपनी सहीह में रिवायत की है कि हज़रत उमर और अबूउबैदा और मआज़ रदियल्लाहु तआला अन्हुम ने मुसल्लस् (अंगूर का शीरा जो पकाने के बाद एक तिहाई रहजाता है) के पीने को जाइज़ फ़रमाया है और बर्रा बिन आज़िब व अबू जुहैफ़ा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से निस्फ़ हिस्सा पका देने के बाद अंगूर का शीरा पिया इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा ने कहा कि अंगूर का रस जब तक ताज़ा है पियो।
हदीस् (6) बुख़ारी ने अपनी सहीह में अबूजुवैरिया रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने इब्ने अब्बास से बाज़क़ (एक किस्म की शराब है) के बारे में दरयाफ़्त किया तो फ़रमाया कि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बाज़क़ से पहले गुज़र चुके हैं लिहाज़ा जो नशा पैदा करे वह हराम है और फ़रमाया कि पीने की चीज़ें हलाल व तय्यिब हैं और हलाल के एलावा हराम व ख़बीस् हैं।
हदीस् (7) इमाम बुख़ारी अपनी सहीह में अबूहुरैरा से रिवायत करते हैं कि बेशक मेअ्राज की रात ईलिया (बैतुल'मक़दिस) में हुज़ूर के सामने दो प्याले पेश किये गये एक शराब का दूसरा दूध का हुज़ूर ने दोनों को देख कर दूध का प्याला लेलिया जिब्रील ने कहा अल्हमदु लिल्लाहि ख़ुदा तआला ने आप को फ़ित्रत की हिदायत की अगर आप शराब ले लेते तो आपकी उम्मत गुमराह होजाती।
हदीस् (8) अबूदाऊद व इब्ने माजा ने अबू'मालिक अश्अरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "मेरी उम्मत के कुछ लोग ख़म्र (शराब) पियेंगे और इस का नाम कुछ दूसरा रख लेंगे"।

मसाइले फ़िक़्हिया

लुग़त में पीने की चीज़ को शराब कहते हैं और इस्तिलाहे फुक़्हा में शराब उसे कहते हैं जिससे नशा होता है इस की बहुत किस्में हैं **ख़म्र** अंगूर की शराब को कहते हैं यानी अंगूर का कच्चा पानी जिस में जोश आजाये और शिद्दत पैदा होजाये। इमामे आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु के नज़्दीक यह भी ज़रूरी है कि इसमें झाग पैदा हो और कभी हर एक शराब को मजाज़न ख़म्र कह देते हैं।
मसअला.1:– ख़म्र हराम बिऐनिही है इस की हुर्मत नस्से क़तई से साबित है और इसकी हुरमत पर तमाम मुसलमानों का इजमाअ् है इस का क़लील व कसीर सब हराम है और यह पेशाब की तरह नजिस है और इसकी निजासत ग़लीज़ा है जो इसको हलाल बताये काफ़िर है नस्से कुर्आनी का मुन्किर है मुस्लिम के हक़ में यह मुतक़व्विम नहीं यानी अगर किसी ने मुसलमान की यह शराब तल्फ़ करदी तो इस पर ज़मान नहीं और इसको ख़रीदना सहीह नहीं इससे किसी क़िस्म का इन्तिफ़ाअ् (फ़ायदा हासिल करना) जाइज़ नहीं न दवा के तौर पर इस्तेअ्माल कर सकता है न जानवर

को पिला सकता है न इस से मिट्टी भिगो सकता है न हुक़्ना के काम में लाई जा सकती है उस के पीने वाले को ह़द मारी जायेगी अगर्चे नशा न हुआ हो। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला.2:– जानवरों के ज़ख़्म में भी बतौर इलाज उसको नहीं लगा सकते। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– शीरा अंगूर का पकाया यहाँ तक कि वह तिहाई से कम जल गया यानी एक तिहाई से ज़्यादा बाक़ी है और इसमें नशा हो यह भी ह़राम और नजिस है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.4:– रतब यानी तर खजूर का पानी और मुनक़्क़ा को पानी में भिगोया गया जब यह पानी तेज़ हो जाये और झाग फेंके यह भी ह़राम नजिस हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.5:– शहद, इंजीर, गेहूँ, जौ वग़ैरा की शराबें भी ह़राम हैं मस्लन यहाँ हिन्दुस्तान में महुवे की शराब बनती है जब उन में नशा हो ह़राम हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– काफ़िर या बच्चा को शराब पिलाना भी ह़राम अगर्चे बतौर इलाज पिलाये और गुनाह इसी पिलाने वाले के ज़िम्मे है (हिदाया) बाज़ मुसलमान अंग्रेज़ों की दअ्वत करते हैं और शराब भी पिलाते हैं वह गुनाहगार हैं इस शराब नोशी का वबाल उन्हीं पर है।

मसअ्ला.7:– नबीज़ यानी खजूर या मुनक़्क़ा को पानी में भिगोया जाये वह पानी नशा पैदा होने से पहले पिया जाये यह जाइज़ है अह़ादीस् से इस का जवाज़ साबित है।

मसअ्ला.8:– तोंबे और हर क़िस्म के बर्तनों में नबीज़ बनाना जाइज़ है बाज़ बर्तनों में नबीज़ बनाने की इब्तिदा में मुमानअ़त आई थी मगर बाद में यह मुमानअ़त मन्सूख़ होगई।

मसअ्ला.9:– घोड़ी के दूध में भी नशा होता है इस का पीना भी ना'जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– भांग और अफ़यून इतनी इस्तेअ्माल करना कि अ़क़्ल फ़ासिद होजाये ना'जाइज़ है जैसाकि अफ़यूनी और भंगीड़े इस्तेअ्माल करते हैं और कमी के साथ इतनी इस्तेअ्माल की गई कि अ़क़्ल में फ़ुतूर नहीं आया जैसाकि बाज़ नुस्ख़ों में अफ़्यून क़लील जुज़ होता है कि फ़ी ख़ुराक इस का इतना ख़फ़ीफ़ जुज़ होता है कि इस्तेअ्माल करने वाले को पता भी नहीं चलता कि अफ़यून खाई है इस में ह़रज नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.11:– बाज़ औरतें बच्चों को अफ़्यून खिलाया करती हैं और उनकी ग़र्ज़ यह होती है कि इस के नशे में पड़ा रहेगा परेशान नहीं करेगा यह भी ना'जाइज़ है क्योंकि बच्चे को अगर्चे थोड़ी मिक़दार में दी जाती है मगर वह इतनी ज़रूर होती है कि इस की अ़क़्ल में फ़ुतूर आजाये।

मसअ्ला.12:– चांडो और मदक भी अफ़्यून के इस्तेअ्माल के त़रीक़े हैं कि इस का धुँवां पिया जाता है जैसाकि तम्बाकू का पीते हैं यह भी ना'जाइज़ है बल्कि ग़ालिबन अफ़्यून इस्तेअ्माल करने की सब सूरतों में यह सूरत ज़्यादा क़बीह़ (बुरी) व मुज़िर है।

मसअ्ला.13:– चर्स गांजा यह भी ऐसी चीज़ है कि इससे अ़क़्ल में फ़ुतूर आ जाता है इस का भी पीना ना'जाइज़ है।

मसअ्ला.14:– जौज़ुत्तय्यिब (एक क़िस्म का खुश्बूदार फल) में नशा होता है इस का इस्तेअ्माल भी इतनी मिक़दार में ना'जाइज़ है कि नशा पैदा होजाये अगर्चे इस का हुक्म भंग से कम दर्जे का है।

मसअ्ला.15:– ख़ुश्क चीज़ें जो नशा लाती हैं जैसे भंग वग़ैरा यह नजिस नहीं हैं लिहाज़ा ज़िमाद वग़ैरा में ख़ारिजी तौर पर अंगूर इस्तेअ्माल करने में कोई ह़रज नहीं कि इस त़रह़ इस्तेअ्माल में नशा नहीं पैदा होगा फिर ना'जाइज़ क्यों हो।

मसअ्ला.16:– हुक़्क़ा के मुतअ़ल्लिक़ उ़लमा के मुख़्तलिफ़ अक़वाल हैं मगर क़ौले फ़ैसल यह है कि उस की मुतअ़द्दिद सूरतें हैं एक यह कि हुक़्क़ा पीकर अ़क़्ल जाती रहती है जैसाकि रामपुर, बरेली शाहजहाँपुर में बाज़ लोग रमज़ान शरीफ़ में इफ़्तार के बाद ख़ास एहतिमाम से हुक़्क़ा भरते हैं और इस ज़ोर से दम लगाते हैं कि चिलिम से ऊँची ऊँची लौ उठती है और पीने वाले बेहोश होकर गिर पड़ते हैं और बहुत देर तक बेहोश पड़े रहते हैं पानी के छींटे देने और पानी पिलाने से होश आता है

इस तरह हुक्का पीना हराम है दूसरी सूरत यह है कि न बेहोश हो न अक़्ल में फ़ुतूर पैदा हो मगर घटिया, खराब तम्बाकू पिया जाये और हुक्का ताजा करने का भी बिल्कुल खयाल न हो जिससे मुँह में बदबू हो जाती है ऐसा हुक्का मकरूह है और इस हुक्का को पीकर बिगैर मुँह साफ किए मस्जिद में जाना मनअ् है इसका वही हुक्म है जो कच्चे लहसुन, प्याज खाने का है तीसरी सूरत यह है कि तम्बाकू भी अच्छा हो और हुक्का भी बार बार ताजा किया जाता हो कि पीने से मुँह में बदबू न पैदा हो यह मुबाह है इसमें असलन कराहत नहीं बाज लोगों ने हुक्का के हराम बताने में निहायत गुलू किया और हद से तजावुज़ किया यहाँ तक कि इसके मुतअल्लिक हदीसें भी मआजल्लाह वजअ् करडालीं उन की बातें काबिले एअ्तिबार नहीं।

मसअ्ला.17:– कहवा, काफी, चाय, का पीना जाइज है कि उनमें न नशा है न तफ़्तीरे अक़्ल (अक़्ल की खराबी) अलबत्ता यह चीजें खुश्की लाती हैं और नींद को दफ़अ् करती हैं इसी लिये मशाइख उन को पीते हैं कि नींद का गल्बा जाता रहे और शब बेदारी में मदद मिले और कस्ल (सुस्ती) और काहिली को भी यह चीजें दफ़अ् करती हैं।

मसअ्ला.18:– जिस शख्स को अफयून की आदत है उसे लाजिम है कि तर्क करे अगर एक दम छोड़ने में हलाकत का अन्देशा है तो आहिस्ता आहिस्ता कमी करता रहे यहाँ तक कि आदत जाती रहे और ऐसा न किया तो गुनहगार व फ़ासिक है। (रद्दुलमुहतार)

शिकार का बयान

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है

﴿ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ؕ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَ اَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ ﴾

"ऐ ईमान वालो! अपने कौल पूरे करो तुम्हारे लिए हलाल हुए बेजबान मवेशी मगर वह जो आगे सुनाया जायेगा तुमको लेकिन शिकार हलाल न समझो जब तुम एहराम में हो"

और फ़रमाता है

﴿ وَ اِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ؕ ﴾ "और जब तुम एहराम से बाहर होजाओ तो शिकार कर सकते हो"

और फ़रमाता है।

﴿ يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ ؕ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۙ وَ مَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ ۫ فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ۪ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴾

"ऐ महबूब तुम से पूछते हैं कि उनके लिये क्या हलाल हो। तुम फरमादो हलाल की गईं तुम्हारे लिये पाक चीजें और जो शिकारी जानवर तुमने सिखा लिये उन्हें शिकार पर दौड़ाते हो जो इल्म तुम्हें खुदा ने दिया उस में उन्हें सिखाते तो खाओ उस में से जो मारकर तुम्हारे लिये रहने दें और उस पर अल्लाह का नाम लो और अल्लाह से डरते रहो। बेशक अल्लाह जल्द हिसाब करने वाला है"

और फ़रमाता है।

﴿ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ اَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ ﴾

"ऐ ईमान वालो शिकार न मारो जब तुम एहराम में हो"

﴿ اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعَامُهٗ مَتَاعًا لَّكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ ۚ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ؕ ﴾

"दरया का शिकार तुम्हारे लिए हलाल है और इस का खाना तुम्हारे और मुसाफिरों के फाइदा को और तुम पर हराम है खुश्की का शिकार जब तक तुम एहराम में हो"।

हदीस् (1) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "शिकार को हलाल जानो इस लिये कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इस को हलाल फ़रमाया मुझसे पहले अल्लाह के बहुत से रसूल थे वह सब शिकार किया करते थे। अपने लिये और अपने बाल बच्चों के लिये हलाल रिज़्क तलाश करो इस लिये कि यह भी जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की तरह है और जान लो कि अल्लाह सालेह तुज्जार का मददगार है"।

हदीस् (2) सहीह बुखारी व मुस्लिम में अदी इब्ने हातिम रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब तुम अपना कुत्ता छोड़दो तो

बिस्मिल्लाह कहलो अगर उसने पकड़ लिया और तुमने जानवर को ज़िन्दा पा लिया तो ज़बह कर लो और अगर कुत्ते ने मार डाला है और इसमें से कुछ खाया नहीं तो खाओ और अगर खालिया तो न खाओ क्योंकि उसने अपने लिए शिकार पकड़ा और अगर तुम्हारे कुत्ते के साथ दूसरा कुत्ता शरीक हो गया और जानवर मरगया तो न खाओ क्योंकि तुम्हें यह नहीं मालूम कि किसने क़त्ल किया और जब शिकार पर तीर छोड़ो तो बिस्मिल्लाह कहलो और अगर शिकार ग़ाइब होगया और एक दिन तक न मिला और इस में तुम्हारे तीर के सिवा कोई दूसरा निशान नहीं है तो अगर चाहो खा सकते हो और अगर शिकार पानी में डूबा हुआ मिला तो न खाओ''।

हदीस् (3) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अदी इब्ने हातिम रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हम सिखाये हुए कुत्ते को शिकार पर छोड़ते हैं फ़रमाया कि ''जो तुम्हारे लिये उसने पकड़ा है उसे खाओ'' मैंने अर्ज़ की अगर्चे मारडालें फ़रमाया ''अगर्चे मारडालें'' मैंने अर्ज़ की हम तीर से शिकार करते हैं फ़रमाया ''तीर ने जिसे छेद दिया उसे खाओ और पट तीर शिकार को लगे और मरजाये तो न खाओ क्योंकि दबकर मरा है''।

हदीस् (4) इमाम बुख़ारी ने अता रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की अगर कुत्ते ने शिकार का ख़ून पी लिया और गोश्त न खाया तो इस जानवर को खा सकते हो।

हदीस् (5) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबू सअलबा खुशनी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हम अहले किताब की ज़मीन में रहते हैं क्या उनके बर्तन में खा सकते हैं और शिकार की ज़मीन में रहते हैं और मैं कमान से शिकार करता हूँ और ऐसे कुत्ते से शिकार करता हूँ जो मोअल्लिम नहीं है और मोअल्लिम कुत्ते से भी शिकार करता हूँ उसमें क्या चीज़ मेरे लिये दुरुस्त है। इरशाद फ़रमाया ''वह जो तुमने अहले किताब के बर्तन का ज़िक्र किया उस का हुक्म यह है कि अगर तुम्हें दूसरा बर्तन मिले तो उसमें न खाओ और दूसरा बर्तन न मिले तो उसे धोलो फिर खाओ। और कमान से जो तुमने शिकार किया और बिस्मिल्लाह कहली तो खाओ और मोअल्लिम कुत्ते से जो शिकार किया और बिस्मिल्लाह कहली तो खाओ और ग़ैर मोअल्लिम से जो शिकार किया है और उसे ज़बह कर लिया तो खाओ''।

हदीस् (6) सहीह मुस्लिम में उन्हीं से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब तीर से शिकार मारो ग़ाइब हो जाये फिर मिलजाये तो खालो जब कि बदबू'दार न हो।

हदीस् (7) अबूदाऊद ने अदी हातिम रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ''कुत्ते या बाज़ को अगर तुमने सिखा लिया है फिर उसे शिकार पर छोड़ते वक़्त बिस्मिल्लाह कह ली है तो खाओ जो तुम्हारे लिए पकड़ा है''।

हदीस् (8) किताबुल'आसार में इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि अलैहि ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की है कि तुम्हारे कुत्ते ने जिस चीज़ को तुम्हारे लिये पकड़ा उसे खाओ अगर वह सीखा हुआ हो, फिर अगर इस कुत्ते ने उससे कुछ खालिया तो न खाओ इस लिये कि उसने अपने ही लिये पकड़ा है लेकिन अगर शिकरा और बाज़ ने खा भी लिया है तब भी खा सकते हो इस वास्ते कि इस की तअलीम यह है कि जब तुम उसे बुलाओ तो आ जाये और वह तुम्हारी मार की बरदाश्त नहीं कर सकता कि मार खाना छुड़ादो।

हदीस् (9) अबूदाऊद ने उन्हीं से रिवायत की कहते हैं मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं शिकार को तीर मारता हूँ और दूसरे दिन अपना तीर उस में पाता हूँ फ़रमाया कि जब तुम्हें मालूम हो कि तुम्हारे तीर ने उसे मारा है और उस में किसी दरिन्दे का निशान न देखो तो खालो।

हदीस् (10) इमाम अहमद ने अब्दुल्लाह बिन अम्र रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया ''ऐसी चीज़ को खाओ जिसको तुम्हारी कमान या तुम्हारे हाथ ने शिकार किया हो ज़बह किया हो या न किया हो अगर्चे वह आँखों से ग़ाइब होजाये जब तक इस में तुम्हारे तीर के सिवा दूसरा निशान न हो''।

हदीस् (11) तिर्मिज़ी ने जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं मजूसी के कुत्ते ने जो शिकार किया है उसकी हमें मुमानअत है।

हदीस् (12) इमाम बुख़ारी ने अपनी सहीह में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की फ़रमाते हैं कि गुल्ला मारने से जो जानवर मर गया वह मौकूज़ा है।(वह जानवर जिस को लकड़ी वग़ैरह से चोट लगाई जाये और वह चोट खाकर मर जाये यानी इस का खाना हराम है)

हदीस् (13) सहीह बुख़ारी में है कि हज़रत हसन बसरी और इब्राहीम नख़ई रदियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फ़रमाया कि जब शिकार को मारा जाये और उसका हाथ या पैर कटकर अलग होजाये तो अलग होने वाले को न खाया जाये और बाक़ी को खा सकता है इब्राहीम नख़ई फ़रमाते हैं कि जब गर्दन या वस्ते जिस्म (जिस्म के दरम्यान) में मारो तो खा सकते हो (यानी गर्दन जुदा हो जाये या वस्त से कट जाये तो इस टुकड़े को भी खाया जायेगा)।

हदीस् (14) तिब्रानी और हाकिम और बैहकी व इब्ने असाकिर ने ज़िर्बिन बिन जुवैश से रिवायत की उन्होंने हज़रत उमर इब्नुलख़त्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु से सुना वह फ़रमाते हैं कि ख़रगोश को लकड़ी या पत्थर से मार कर (बिग़ैर ज़ब्ह किये) न खाओ लेकिन भाले और बरछी और तीर से मार कर खाओ।

हदीस् (15) सहीह बुख़ारी में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जानवरों की हिफ़ाज़त और शिकारी कुत्ते के सिवा जिसने और कुत्ता पाला उसके अमल से हर दिन दो क़ीरात कम हो जायेगा"।

मसाइले फ़िक़्हिया

मसअ्ला.1:– शिकार उस वहशी जानवर को कहते हैं जो आदमियों से भागता हो और बिग़ैर हीला न पकड़ा जा सकता हो और कभी फ़ेअ्ल यानी उस जानवर के पकड़ने को भी शिकार कहते हैं हराम व हलाल दोनों क़िस्म के जानवर को शिकार कहते हैं। शिकार से जानवर हलाल होने के लिए पन्द्रह शर्तें हैं। पाँच शिकार करने वाले में, और पाँच कुत्ते में, और पाँच शिकार में। **(1)**शिकारी उन में से हो जिनका ज़बीहा जाइज़ होता है **(2)**उसने कुत्ते वग़ैरा को शिकार पर छोड़ा हो। **(3)**छोड़ने में ऐसे शख़्स की शिरकत न हो जिसका शिकार हराम हो **(4)**बिस्मिल्लाह क़स्दन तर्क न की हो **(5)**छोड़ने और पकड़ने के दरम्यान किसी दूसरे काम में मशग़ूल न हुआ हो। **(6)**कुत्ता मोअल्लिम (सिखाया हुआ) हो **(7)**जिधर छोड़ा गया हो उधर ही जाये **(8)**शिकार पकड़ने में ऐसा कुत्ता शरीक न हुआ हो जिस का शिकार हराम है **(9)**शिकार को ज़ख़्मी करके क़त्ल करे **(10)**उस में से कुछ न खाये **(11)**शिकार हशरातुलअर्द में से न हो **(12)**पानी वाला जानवर हो तो मछली ही हो **(13)**बाज़ूओं या पावों से अपने आप को शिकार से बचाये **(14)**कीले या पन्जे वाला जानवर न हो (गोश्तख़ोर जानवरों के वह दोनों बड़े दांत जिनके ज़रीए से वह गोश्त काटते या शिकार पकड़ते हैं) **(15)**शिकारी के वहाँ तक पहुँचने से पहले ही मर जाये यानी ज़बह करने का मौक़ा ही न मिला हो।

यह शराइत उस जानवर के मुतअल्लिक़ हैं जो मर गया हो और उस का खाना हलाल हो।

मसअ्ला.2:– शिकार करना एक मुबाह फ़ेअ्ल है मगर हरम या एहराम में ख़ुश्की का जानवर शिकार करना हराम है इसी तरह अगर शिकार महज़ लहव (खेल) के तौर पर हो तो वह मुबाह नहीं (दुर्रेमुख़्तार) अकस्र इस फ़ेअ्ल से मक़सूद ही खेल और तफ़रीह होती है इसी लिये उर्फ़े आम में शिकार खेलना बोला जाता है जितना वक़्त और पैसा शिकार में ख़र्च किया जाता है अगर इस से बहुत कम दामों में घर बैठे उन लोगों को वह जानवर मिल जाया करे तो हरगिज़ राज़ी न होंगे वह यही चाहेंगे कि जो कुछ हो हम तो ख़ुद अपने हाथ से शिकार करेंगे इस से मालूम हुआ कि उनका मक़सद खेल और लहव ही है शिकार करना जाइज़ व मुबाह उस वक़्त है कि उसका सहीह

मक़सद हो मस्लन खाना या बेचना या दोस्त अहबाब को हदिया करना या उसके चमड़े को काम में लाना या उस जानवर से अज़ियत का अन्देशा है इस लिये क़त्ल करना वग़ैरा ज़ालिक।

मसअला.3:– जिस जानवर का गोश्त हलाल है उसके शिकार से बड़ा मक़सूद खाना है और हराम जानवर को भी किसी ग़र्ज़े सहीह से शिकार करना जाइज़ है मस्लन उसकी खाल या बाल को काम में लाना मक़सूद है या वह मूज़ी जानवर है उसके ईज़ा से बचना मक़सूद है। (शलबिया) बाज़ आदमी जंगली ख़िन्ज़ीर का शिकार करते हैं या शेर वग़ैरा का जंगलों में जाकर शिकार करते हैं इस ग़र्ज़ से नहीं कि लोगों को उनकी अज़ियत से बचायें बल्कि महज़ तफ़रीह की ख़ातिर और अपनी बहादुरी के लिये इस क़िस्म के शिकार खेले जाते हैं यह शिकार मुबाह नहीं।

मसअला.4:– शिकार को पेशा बना लेना और कस्ब का ज़रीआ कर लेना जाइज़ है बाज़ फ़ुक़्हा ने इस को ना जाइज़ या मकरूह कहा यह सहीह नहीं क्योंकि कराहत जब ही हो सकती है कि इस के लिये दलीले शरई हो और दलील में यह कहना कि जान मारने का पेशा कर लेना क़सावते क़ल्ब (दिल की सख़्ती) का सबब होता है इस से भी कराहत साबित नहीं सिर्फ़ इतना ही साबित होगा कि दूसरे जाइज़ पेशे इस से बेहतर हैं वरना लाज़िम आयेगा कि क़साब का पेशा भी मकरूह हो हालाकि इस की कराहत का क़ौल किसी से मन्क़ूल नहीं। (रद्दुलमुहतार)

मसअला.5:– जंगली जानवर को जो शख़्स पकड़ले उसकी मिल्क होजाता है पकड़ना हक़ीक़तन हो या हुक्मन। हुक्मन की सूरत यह है कि जो चीज़ शिकार के लिये मौज़ूअ् हो उसका इस्तेअ्माल करे और इस्तेअ्माल से मक़सूद शिकार करना न हो लिहाज़ा अगर जाल ताना और उस में जानवर फंस गया तो जाल वाले का होगया जाल उसी मक़सद से ताना हो या कुछ मक़सद न हो हाँ अगर सिखाने के लिये ताना तो उसकी मिल्क नहीं जब तक पकड़ न ले हुकमन पकड़ने की दूसरी सूरत यह है कि जो चीज़ शिकार के लिये मौज़ूअ् न हो उसको ब क़स्द शिकार इस्तेअ्माल करे मस्लन शिकार पकड़ने के लिये डेरा नसब किया और उस में शिकार आगया और बन्द होगया तो डेरा वाला मालिक होगया या मकान का दरवाज़ा इस ग़र्ज़ से खोल रखा था उस में हिरन आ गया और दरवाज़ा बन्द कर लिया। (रद्दुलमुहतार)

मसअला.6:– जाल ताना था उसमें शिकार फंसा किसी दूसरे ने उस को पकड़ लिया तो शिकार वाले का है उसका नहीं जिसने पकड़ लिया हाँ अगर वह जाल से निकलकर भाग गया या उड़गया और दूसरे ने पकड़ लिया तो उसी पकड़ने वाले का है जाल वाले का नहीं और अगर जाल में फंसा और जाल वाले ने पकड़लिया फिर उससे छूट कर भागा और दूसरे ने पकड़ा तो जाल वाले ही का है कि पकड़ने से उसकी मिल्क होगया और भागने से मिल्क नहीं जाती। (आलमगीरी)

मसअला.7:– पानी काटकर अपनी ज़मीन में लाया इस ग़र्ज़ से पानी के साथ मछलियाँ आयेंगी और उनको शिकार करेगा पानी के साथ मछलियाँ आईं और पानी जाता रहा मछलियाँ ज़मीन पर पड़ी हैं या थोड़ासा पानी बाक़ी है कि बिग़ैर शिकार किये मछलियाँ वैसे ही पकड़ी जा सकती हैं यह मछलियाँ ज़मीन वाले की हैं दूसरा शख़्स उनको नहीं पकड़ सकता जो पकड़ेगा उसे तावान देना होगा और अगर पानी ज़्यादा है कि बिग़ैर शिकार किये मछलियाँ हाथ नहीं आतीं तो जो चाहे पकड़ले तो यही पकड़ने वाला मालिक है।(आलमगीरी)

मसअला.8:– एक शख़्स ने पानी में जाल डाला दूसरे शिस (मछली पकड़ने का कांटा) फेंकी मछली जाल में आई और उसने शिस को भी पकड़ लिया अगर जाल के बारीक हिस्से में आ चुकी है तो जाल वाले की है। (आलमगीरी)

मसअला.9:– पानी में कांटा डाला मछली फंसी उसने बाहर फेंकी खुश्की में गिरी और ऐसी जगह गिरी कि यह उसके पकड़ने पर क़ादिर है फिर तड़प कर पानी में चली गई तो यह शख़्स उसका मालिक होगया और अगर बाहर निकालने से पहले ही डोरा टूट गया तो मालिक न हुआ। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– किसी ने गड्ढा खोदा था उसमें शिकार आकर गिरा तो जो शख़्स पकड़ले उसी का है और अगर गड्ढा खोदने से मक़सूद ही यह था कि उसमें शिकार गिरेगा और पकड़ूँगा तो शिकार उसी का है दूसरे को उसका पकड़ना जाइज़ नहीं। (खानिया)

मसअ्ला.11:– कुंवाँ खोदा था और यह मक़सद न था कि इस के ज़रीआ से शिकार पकड़ेगा इस में शिकार गिरा अगर कुंऐं वाला वहाँ से क़रीब है कि हाथ बढ़ाकर शिकार पकड़ सकता है उसी का है दूसरा शख़्स नहीं पकड़ सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– फन्दे में शिकार फंसा मगर रस्सी तुड़ाकर भागा दूसरे ने पकड़ लिया तो उसी का है और अगर फन्दे वाला इतना क़रीब आचुका था कि हाथ बढ़ाकर पकड़ सकता है इतने में शिकार ने रस्सी तुड़ाई और दूसरे ने पकड़ लिया तो फन्दे वाले का है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.13:– किसी के मकान में दूसरे लोगों के कबूतरों ने अन्डे बच्चे किये तो यह अन्डे बच्चे उसी के हैं जिसके कबूतर हैं दूसरे लोगों को या मालिक मकान को इनका पकड़ना और रखना जाइज़ नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– शिकार को मारा वह ज़ख़्मी नहीं हुआ मगर चोट से बेहोश होगया थोड़ी देर बाद उठ के भागा अब दूसरे शख़्स ने मारा और पकड़ लिया तो इसी दूसरे का है और अगर बेहोशी में पहले शख़्स ने पकड़ लिया था तो पहले का है और अगर शिकार ज़ख़्मी होगया था मगर पहले ने पकड़ा नहीं कुछ दिनों बाद अच्छा होगया फिर दूसरे ने मारा और पकड़ा तो इस का नहीं पहले ही शख़्स का है। (आलमगीरी)
शिकार की मिल्क के मुतअल्लिक़ यह चन्द जुज़ईयात इस लिये ज़िक्र किये कि शिकारियों को शिकार के लेने में इस क़द्र शग़फ़ (दिलचस्पी) होता है कि वह बिल्कुल इस बात का लिहाज़ नहीं रखते कि यह चीज़ हमें लेनी जाइज़ भी है या नहीं उन मसाइल से उन को यह करना चाहिए कि किस सूरत में हमारी मिल्क है और किस सूरत में दूसरे की ताकि अपनी मिल्क न हो तो लेने से बचें।

जानवरों से शिकार का बयान

मसअ्ला.1:– हर दरिन्दा जानवर से शिकार किया जा सकता है बशर्ते कि वह नजिसुलऐन न हो और इस में तअ्लीम की क़ाबिलयत हो और उसे सिखा भी लिया हो। दरिन्दे की दो क़िस्में हैं **(1)**चौपाया जैसे कुत्ता वग़ैरा जिसमें कीला होता है **(2)**पन्जा वाला परिन्द जैसे बाज़ू शिकरा वग़ैरा जिस दरिन्दा में क़ाबिलयते तअ्लीम न हो उसका शिकार हलाल नहीं मगर इस सूरत में कि शिकार पकड़कर ज़बह कर लिया जाये लिहाज़ा शेर और रीछ से शिकार हलाल नहीं कि उन दोनों में तअ्लीम की क़ाबिलयत ही नहीं शेर अपनी उ़लूए हिम्मत(बलन्द हिम्मती)और रीछ अपनी दिनात (कमीनगी) व ख़सासत (कमीनापन) की वजह से तअ्लीम की क़ाबिलयत नहीं रखते बाज़ फ़ुक़्हा ने चील को भी क़ाबिले तअ्लीम नहीं माना है कि यह भी अपनी ख़सासत की वजह से तअ्लीम नहीं हासिल करती। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– कुत्ता, चीता वग़ैरा चौपाया के मुअ़ल्लिम होने की अ़लामत यह है कि पय दरपे तीन मरतबा ऐसा हो कि शिकार को पकड़े और उसमें से न खाये तो मअ्लूम होगया कि यह सीख गया अब इसके बाद शिकार करेगा और वह मर भी जाये तो उसका खाना हलाल है बशर्ते कि दीगर शराइत भी पाये जायें कि उसका पकड़ना ही ज़बह के क़ाइम मक़ाम है और शिकरा, बाज़ वग़ैरा शिकारी परिन्द के मोअ़ल्लिम होने की पहचान यह है कि उसे शिकार पर छोड़ा उसके बाद वापस बुला लिया तो वापस आजाये अगर वापस न आया तो मालूम हुआ कि अभी तुम्हारे क़ाबू में नहीं है मोअ़ल्लिम नहीं हुआ। (हिदाया)

मसअ्ला.3:– कुत्ते ने शिकार पकड़ने के बाद उसका गोश्त नहीं खाया मगर ख़ून पी लिया तो कोई हरज नहीं, शिकरे, बाज़ वग़ैरा परिन्द शिकारियों ने अगर गोश्त में से कुछ खालिया तो जानवर हलाल है कि यह बात उसके मोअ़ल्लिम होने के ख़िलाफ़ नहीं और अगर मालिक ने शिकार में से टुकड़ा काटकर कुत्ते को दिया और उसने खाया तो मा'बक़िया गोश्त (बाक़ी बचा हुआ गोश्त) खाया

जायेगा कि इस सूरत में उसने खुद नहीं खाया, मालिक ने खिलाया तब खाया इसी तरह अगर मालिक ने शिकार को महफ़ूज़ कर लिया उसके बाद कुत्ते ने उसमें से छीन झपट कर कुछ खालिया तो मा'बक़िया गोश्त जाइज़ है कि यह बात उसके मोअ़ल्लिम होने के ख़िलाफ़ नहीं। (ज़ैलई)

मसअ्ला.4:– कुत्ते को शिकार पर छोड़ा उसने शिकार की बोटी काटली और उसे खालिया उसके बाद शिकार को पकड़ा और मारडाला तो यह शिकार ह़राम है कि जब कुत्ते ने खालिया तो मोअ़ल्लिम न रहा और उसका मारा हुआ शिकार ह़लाल नहीं और अगर कुत्ते ने बोटी काटली मगर उसको खाया नहीं छोड़ दिया और शिकार का पीछा किया शिकार पकड़ने के बाद जब मालिक ने शिकार पर क़ब्ज़ा कर लिया अब कुत्ते ने वह बोटी खाई तो जानवर ह़लाल है। (ज़ैलई)

मसअ्ला.5:– यह ज़रूरी है कि शिकारी जानवर ने शिकार को ज़ख़्मी करके मारा हो मह़ज़ दबोचने से मरगया हो तो खाना ह़लाल नहीं किसी ख़ास जगह पर ज़ख़्म करना ज़रूरी नहीं बल्कि जिस किसी मक़ाम पर घायल कर दिया हो ह़लाल होने के लिये काफ़ी है। (ज़ैलई) शिकरा अपने मालिक के पास से उड़गया एक मुद्दत के बाद फिर आगया मालिक ने उससे शिकार किया तो बिग़ैर ज़बह़ यह शिकार ह़लाल नहीं कि भाग जाने से वह मोअ़ल्लिम न रहा अब फिर जब तक उस का मोअ़ल्लिम होना साबित न होजाये उसका मारा हुआ शिकार ह़लाल क़रार नहीं पायेगा। (ज़ैलई)

मसअ्ला.6:– जो कुत्ता मोअ़ल्लिम हो चुका था जब कभी शिकार में से कुछ खालेगा वह शिकार ह़राम है बल्कि उसके बाद शिकार भी ह़राम है बल्कि उससे पहले का शिकार जो अभी महफ़ूज़ है वह भी ह़राम, हाँ जो खाया जा चुका है उसको ह़राम नहीं कहा जा सकता उस कुत्ते को फिर से सिखाना होगा क्योंकि शिकार से खाने की वजह से मोअ़ल्लिम न रहा जाहिल होगया अब इस का शिकार उस वक़्त ह़लाल होगा कि सिखा लिया जाये। (हिदाया)

मसअ्ला.7:– मुस्लिम या किताबी ने बिस्मिल्लाह पढ़कर शिकारी जानवर को शिकार पर छोड़ा तब मरा हुआ शिकार ह़लाल होगा अगर मजूसी या बुत'परस्त या मुर्तद ने छोड़ा तो ह़लाल नहीं जिस तरह़ उन का ज़बीह़ा ह़लाल नहीं अगर्चे उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ी हो और अगर जानवर को छोड़ा नहीं बल्कि वह खुद उसी अपने आप शिकार पर दौड़ पड़ा और पकड़कर मार डाला यह शिकार ह़राम नहीं यूंही अगर यह मालूम न हो कि किसने छोड़ा या ख़ुद ही जाकर पकड़ लाया यह मालूम नहीं कि किसने मुस्लिम ने या मजूसी ने तो जानवर ह़लाल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुह़तार)

मसअ्ला.8:– शिकार पर छोड़ते वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गया तो जानवर ह़लाल है जिस तरह़ ज़बह़ करते वक़्त अगर बिस्मिल्लाह पढ़ना भूलगया तो ह़लाल है ह़राम उस वक़्त है जब क़स्दन न पढ़े। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– शिकार पर छोड़ते वक़्त क़स्दन बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी बल्कि जब कुत्ते ने जानवर पकड़ा उस वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ी जानवर ह़लाल न हुआ कि बिस्मिल्लाह पढ़ना उस वक़्त ज़रूरी था अब पढ़ने से कुछ नहीं होता। (रद्दुल'मुह़तार)

मसअ्ला.10:– मुस्लिम ने शिकार पर कुत्ता छोड़ा मजूसी या हिन्दू ने कुत्ते को शह दी जैसा कि शिकार करते वक़्त कुत्ते को जोश दिलाते हैं इस के शह देने पर जोश में आया और शिकार मारा यह ह़लाल है और अगर मजूसी ने छोड़ा और मुस्लिम ने शह दी तो ह़राम है यानी कुत्ता छोड़ने का एअ़्तिबार है इस का एअ़्तिबार नहीं कि किसने जोश दिलाया इसी तरह़ अगर मुह़रिम (एहराम बांधे हुए) ने शह दी और शिकार पर जानवर उसने छोड़ा है जो एहराम नहीं बाँधे हुए है तो जानवर ह़लाल है मगर मुह़रिम को इस सूरत में शिकार का फ़िदया देना होगा कि उसको शिकार में मुदाख़लत जाइज़ नहीं(ज़ैलई)

मसअ्ला.11:– कुत्ता छोड़ा नहीं गया बल्कि वह खुद छूट गया और अपने आप शिकार पर दौड़ पड़ा किसी मुस्लिम ने उसको शह दी इससे जोश में आया और शिकार को मारा यह शिकार ह़लाल है इस सूरत में शह देना वही छोड़ने के क़ाइम मक़ाम है उन बातों में शिकरे और बाज़ का भी वही

हुक्म है जो कुत्ते का है। (जैलई)

मसअ्ला.12:– कुत्ते को शिकार पर छोड़ा उसने कई पकड़ लिये सब हलाल हैं और जिस शिकार पर छोड़ा उसको नहीं पकड़ा दूसरे को पकड़ा यह भी हलाल है और अगर कुत्ते को शिकार पर न छोड़ा हो बल्कि किसी और चीज़ पर छोड़ा और उसने शिकार मारा यह हलाल नहीं कि यहाँ शिकार करना ही नहीं है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.13:– शिकारी जानवर को वहशी जानवर पर छोड़ना शिकार है अगर पलाऊ और मानूस जानवर पर कुत्ता छोड़ा जाये और वह मार डाले तो यह जानवर हलाल नहीं होगा कि ऐसे जानवरों के हलाल होने के लिये ज़बह करना ज़रूरी है ज़काते इज़्तिरारी यहाँ काफ़ी नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.14:– कुत्ते के साथ अगर शिकार करने में दूसरा कुत्ता जिसका शिकार हलाल न हो शरीक होगया तो यह शिकार हलाल न होगा मस्लन दूसरा कुत्ता जो मोअ़ल्लिम न था उसकी शिरकत में शिकार हुआ या मजूसी के कुत्ते की शिकरत में शिकार हुआ या दूसरे को किसी ने छोड़ा ही नहीं है अपने आप शरीक होगया इस दूसरे के छोड़ने के वक़्त क़स्दन बिस्मिल्लाह छोड़दी उन सब सूरतों में वह जानवर मुर्दार है उसका खाना हराम है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.15:– यह भी ज़रूरी है कि कुत्ते को जब शिकार पर छोड़ा जाये फ़ौरन दौड़ पड़े तवील वक़्फ़ा न होने पाये वरना जानवर हलाल न होगा, तूल वक़्फ़ा का यह मतलब है कि वह दूसरे काम में मश्गूल न हो मस्लन छोडने के बाद पेशाब करने लगा या कुछ खाने लगा इस सूरत में शिकार हलाल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.16:– छोड़ने के बाद कुत्ता शिकार पर दौड़ा मगर बाद में शिकार से दाहिने या बायें को मुड़ गया या शिकार की तलब के सिवा किसी दूसरे काम में लग गया या सुस्त पड़गया फिर कुछ वक़्फ़ा के बाद शिकार का पीछा किया और जानवर को मारा इसका खाना हलाल नहीं हाँ उन सूरतों में अगर कुत्ते को फिर से छोड़ा जाता तो जानवर हलाल होता या मालिक के ललकारने से शिकार पर झपटता और मारता तो खाया जाता। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.17:– अगर कुत्ते का रुक जाना, छुप जाना आराम तलबी के लिये न हो बल्कि शिकार करने का यह हीला, दाव हो जिस तरह चीता शिकार को घात से पकड़ता है इसमें हरज नहीं(दुर्रे मु॰)

मसअ्ला.18:– शिकार अगर ज़िन्दा मिलगया और ज़बह करने पर कुदरत है तो ज़बह करना ज़रूरी है कि ज़काते इज़्तिरारी मजबूरी की सूरत में है और यहाँ मजबूरी नहीं है और अगर जानवर उसको ज़िन्दा मिला मगर यह उसके ज़बह पर कुदरत नहीं रखता है कि वक़्त तंग है या ज़बह का आला मौजूद नहीं है इसकी दो सूरतें हैं अगर जानवर में हयात इतनी बाक़ी है जो मज़बूह (ज़बह किया हुआ) से ज़्यादा है तो हराम है वरना जाइज़ है।(हिदाया)

मसअ्ला.19:– शिकार तक पहुँच गया है मगर उसे पकड़ता नहीं अगर इतना वक़्त है कि पकड़कर ज़बह कर सकता था मगर कुछ नहीं किया यहाँ तक कि मरगया तो जानवर न खाया जाये और वक़्त इतना नहीं है कि ज़बह कर सके तो हलाल है। (हिदाया)

मसअ्ला.20:– कुत्ते को शिकार पर छोड़ा उसने एक शिकार मारा फिर दूसरा मारा दोनों हलाल हैं अगर पहला शिकार करने के बाद देर तक रुका रहा फिर दूसरा मारा तो वह दूसरा हराम है कि पहले शिकार के बाद जब वक़्फ़ा हुआ तो शिकार पर छोड़ना दूसरे के बारे में नहीं पाया गया।(हिदाया)

मसअ्ला.21:– मोअ़ल्लिम कुत्ते के साथ दूसरे कुत्ते ने शिरकत की जिसका शिकार हराम है मगर उसने शिकार करने में शिरकत नहीं की है बल्कि यह कुत्ता घेर घार कर शिकार को उधर लाया और पहले ही कुत्ते ने शिकार को ज़ख़्मी किया और मारा हो उसका खाना मकरूह है और अगर दूसरा कुत्ता घेर कर उधर नहीं लाया बल्कि उसने पहले कुत्ते को दौड़ाया और उसने शिकार को दौड़ा कर ज़ख़्मी किया और मारा तो यह शिकार हलाल है। (हिदाया)

मसअ्ला.22:– मुस्लिम ने कुत्ते को बिस्मिल्लाह पढ़कर छोड़ा उसने शिकार को झंझोड़ा यानी अच्छी तरह ज़ख्मी किया उसके बाद फिर हमला किया और मार डाला यह शिकार हलाल है, इसी तरह अगर दो कुत्ते छोड़े एक ने उसे झंझोड़ा और दूसरे कुत्ते ने मार डाला यह शिकार भी हलाल है, यूंही अगर दो शख़्सों ने बिस्मिल्लाह कहकर दो कुत्ते छोड़े एक के कुत्ते ने झंझोड़ डाला और दूसरे के कुत्ते ने मार डाला यह जानवर हलाल है खाया जायेगा मगर मिल्क पहले शख़्स की है दूसरे की नहीं क्योंकि पहले ने जब उसे घायल कर दिया और भागने के क़ाबिल न रहा उसी वक़्त उसकी मिल्क हो चुकी। (हिदाया)

मसअ्ला.23:– एक कुत्ते ने शिकार को पछाड़ लिया और शिकार की हद्द से ख़ारिज होगया अब इस के बाद वह दूसरे शख़्स ने उसी जानवर पर अपना कुत्ता छोड़ा और इस कुत्ते ने मार डाला हराम है, खाया न जाये कि जब वह जानवर भाग नहीं सकता तो अगर मौक़ा मिलता ज़बह किया जाता ऐसी हालत में ज़काते इज़्तिरारी नहीं है लिहाज़ा हराम है। (हिदाया)

मसअ्ला.24:– शिकार की दूसरी नोअ् तीर वग़ैरा से जानवर मारना है इसमें भी शर्त यह है कि तीर चलाते वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़े और तीर से जानवर ज़ख्मी होजाये ऐसा न हो कि तीर की लकड़ी जानवर को लगी और उस से दब कर मर गया कि इस सूरत में वह जानवर हराम है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.25:– शिकार अगर ग़ायब होगया कुत्ते का हो या तीर का तो यह उस वक़्त हलाल होगा कि शिकारी बराबर उसकी जुस्तजू (तलाश) जारी रखे बैठ न रहे और अगर बैठ रहा फिर शिकार मरा हूआ मिला तो हलाल नहीं और पहली सूरत में यह भी ज़रूरी कि शिकार में तुम्हारे तीर के सिवा कोई दूसरा ज़ख़्म न हो वरना हराम होजायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.26:– शिकार के हलाल होने के लिये यह ज़रूरी है कि कुत्ता छोड़ने या तीर चलाने के बाद किसी दूसरे काम में मश्गूल न हो बल्कि शिकार और कुत्ते की तलाश में रहे अगर नज़र से शिकार ग़ायब होगया फिर देर के बाद मिला और उसकी दो सूरतें हैं अगर जुस्तजू जारी रखी और शिकार को मरा हुआ पाया और कुत्ता भी शिकार के पास ही था तो खाया जा सकता है और अगर कुत्ता वहाँ से चला आया है तो न खाया जाये और अगर शिकार की तलाश में न रहा किसी दूसरे काम में मशग़ूल होगया फिर शिकार को पाया मगर मालूम नहीं कि कुत्ते ने ज़ख्मी किया है या किसी दूसरी चीज़ ने तो न खाया जाये। (आलमगीरी)

मसअ्ला.27:– शिकार की आहट महसूस हुई और उस शख़्स को यही गुमान है कि यह शिकार की आहट है उसने कुत्ता या बाज़ छोड़दिया या तीर चला दिया और शिकार को मारा यह जानवर हलाल है जबकि बाद में यही साबित हो कि यह आहट शिकार ही की थी कि उसका यह फ़ेअ्ल शिकार करना क़रार पायेगा अगर्चे शिकार को आँख से देखा न हो और अगर बाद में पता चला कि वह शिकार की आहट न थी किसी आदमी की पहचल थी या घरेलू जानवर की थी तो वह शिकार हलाल नहीं कि जिस चीज़ पर कुत्ता छोड़ा या तीर चलाया वह शिकार न था लिहाज़ा शिकार करना न पाया गया। (हिदाया)

मसअ्ला.28:– परिन्द पर तीर चलाया वह तो उड़गया दूसरे शिकार को लगा यह हलाल है अगर्चे यह मालूम न हो कि वह परिन्द जिस पर तीर चलाया था वह वहशी है या नहीं चूंकि परिन्द में ग़ालिब यही है कि वहशी हो और अगर ऊंट पर तीर चलाया वह ऊंट को नहीं लगा बल्कि किसी शिकार को लगा उसकी दो सूरतें हैं अगर मालूम है कि ऊंट भाग गया है किसी तरह क़ाबू में नहीं आता यानी वह इस हालत में है कि उसका ज़ब्ह इज़्तिरारी हो सकता है तो वह शिकार हलाल है अगर यह पता न हो तो शिकार हलाल नहीं कि उसका यह फ़ेअ्ल शिकार नहीं है। (हिदाया)

मसअ्ला.29:– जिस जानवर को तीर से मारा अगर ज़िन्दा मिल गया तो ज़बह करे, बिग़ैर ज़बह किये हलाल नहीं, यही हुक्म कुत्ते के शिकार का भी है यहाँ हयात से मुराद यह है कि उसकी

ज़िन्दगी मज़बूह से कुछ ज़्यादा हो और मुतरद्दिया (वह जानवर जो गिरकर मरा हो) व नतीहा (वह जानवर जो किसी जानवर के सींग मारने की वजह से मर गया हो) व मौकूज़ा (वह जानवर जो लकड़ी या पत्थर की चोट से मरा हो) व मरीज़ा (बीमार जानवर) वगैरहा में मुतलकन ज़िन्दगी मुराद है यानी अगर उन जानवरों में कुछ भी ज़िन्दगी बाकी है और ज़बह कर लिया तो हलाल है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.30:– बिस्मिल्ला पढ़कर छोड़ा एक शिकार को छेदता हुआ दूसरे को लगा दोनों हलाल हैं और अगर हवा ने तीर का रुख़ बदल दिया उसको दहने या बायें को मोड़ दिया और इस सूरत में शिकार को लगा तो नहीं खाया जायेगा। (आलमगीरी) (यानी किसी दूसरे शिकार को (अमीनुल कादरी))

मसअ्ला:– तीर शिकार पर चलाया वह दरख़्त या दीवार पर लगा और लौटा फिर शिकार को लगा यह जानवर हलाल नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.31:– मुस्लिम के साथ मजूसी ने भी कमान पर हाथ रख दिया और इसके साथ उसने भी खींचा तो शिकार हराम है यह वैसा ही है जैसा ज़बह करते वक़्त मजूसी ने भी छुरी को चलाया(ऐज़न)

मसअ्ला.32:– शिकार हलाल होने के लिये यह भी ज़रूरी है कि उसकी मौत दूसरे सबब से न हो यानी कुत्ते या बाज़ या तीर वगैरा जिस से शिकार किया उसी से मरा हो और अगर यह शुबह हो कि दूसरे सबब से इसकी मौत हुई तो हलाल नहीं मसलन ज़ख़्मी होकर वह जानवर पानी में गिरा या ऊंची जगह पहाड़ या टीले से लुढ़का और यह एहतिमाल है कि पानी की वजह से या लुढ़कने से मरा तो न खाया जाये। (आलमगीरी)

मसअ्ला.33:– तीर से शिकार को मारा वह ऊपर से ज़मीन पर गिरा या वहाँ ईंटें बिछी हुई थीं उन पर गिरा और मरगया यह शिकार हलाल है अगर्चे यह एहतिमाल (शक) है कि गिरने से चोट लगी और मर गया हो इस एहतिमाल का एअ्तिबार नहीं कि इस एहतिमाल से बचने की सूरत नहीं और अगर पहाड़ पर या पत्थर की चट्टान पर गिरा फिर लुढ़क कर ज़मीन पर आया और मरा या दरख़्त पर गिरा या नेज़ा खड़ा हुआ था उसकी अनी पर गिरा या पक्की ईंट की कोर पर गिरा उन सब के बाद फिर ज़मीन पर गिरा और मर गया तो न खाया जाये कि हो सकता है उन चीज़ों पर गिरने की वजह से मरा हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.34:– मुर्गाबी को तीर मारा वह पानी में गिरी और मरगई अगर उसका ज़ख़्म पानी में डूब गया है तो न खाई जाये और नहीं डूबा है तो खाई जाये। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.35:– पानी वगैरा में गिरने से मरना यह उस वक़्त मोअ्तबर है जब कि शिकार को ऐसा ज़ख़्म पहुँचा है कि हो सकता था अभी न मरता तो कहा जा सकता है शायद इस वजह से मरा हो और अगर कारी ज़ख़्म लगा है कि बचने की उमीद ही नहीं है उसमें ज़िन्दगी का इतना ही हिस्सा है जितना मज़बूह में होता है तो इसका खाना जाइज़ है मसलन सर जुदा हो गया और अभी ज़िन्दा है और पानी में गिरा और मरा इस सूरत में यह नहीं कहा जा सकता कि पानी में गिरने से मरा।

मसअ्ला.36:– शिकार अगर ज़मीन के सिवा किसी और चीज़ पर गिरकर मरा अगर वह चीज़ मुसत्तह (यानी हमवार) है मसलन छत या पहाड़ पर गिरकर मरगया तो हलाल है कि इस पर गिरना वैसा ही है जैसे ज़मीन पर गिरना और अगर मुसत्तह चीज़ पर न हो मसलन नेज़ा पर या ईंट की कोर पर या लाठी की नोक पर तो हराम है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.37:– गुलैल से शिकार किया और जानवर मर गया तो खाया न जाये अगर्चे जानवर मजरूह (ज़ख़्मी) होगया हो कि गुलैला काटता नहीं बल्कि तोड़ता है यह मौकूज़ा है जिस तरह तीर मारा और इस की नोक नहीं लगी बल्कि पट होकर शिकार पर लगा और मर गया जिसकी हदीस में हुरमत मज़कूर है। (हिदाया)

मसअ्ला.38:– बन्दूक़ का शिकार मर जाये यह भी हराम है कि गोली या छर्रा भी आलाए जारिहा नहीं बल्कि अपनी कुव्वते मुदाफ़अत की वजह से तोड़ा करता है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.39:– धारदार पत्थर से मारा अगर पत्थर भारी है तो खाया न जाये क्योंकि इसमें अगर यह एहतिमाल है कि ज़ख़्मी करने से मरा तो यह एहतिमाल भी है कि पत्थर के बोझ से मरा हो और अगर वह हलका है तो खाया जाये कि यहाँ मरना जराहत की वजह से है। (हिदाया)

मसअ्ला.40:– लाठी, लकड़ी से शिकार को मार डाला तो खाया न जाये कि यह आलाए जारिहा नहीं बल्कि इसकी चोट से मरता है इस बाब में क़ायदा कुल्लिया यह है कि जानवर का मरना अगर जराहत से होना यक़ीनन मा़लूम हो तो हलाल है और अगर सिक़्ल (बोझ की वजह से) और दबने से हो तो हराम है अगर शक है कि जराहत से है या नहीं तो एहतियातन यहाँ भी हुरमत ही का हुक्म दिया जायेगा।(हिदाया)

मसअ्ला.41:– छुरी या तलवार से मारा अगर इसकी धार से ज़ख़्मी होकर मर गया तो हलाल है और अगर उल्टी तरफ़ लगी या तलवार का क़ब्ज़ा या छुरी का दस्ता लगा तो हराम है। (हिदाया)

मसअ्ला.42:– शिकार को मारा उसका कोई उज़्व कटकर जुदा होगया तो शिकार खाया जाये और वह अ़ज़्व न खाया जाये जबकि उस अ़ज़्व के कट जाने से जानवर का ज़िन्दा रहना मुम्किन हो और अगर ना'मुम्किन हो तो अ़ज़्व भी खाया जा सकता है और अगर जानवर को मारा उसके दो टुकड़े हो गये और दोनों बराबर नहीं, दोनों खाये जायें और एक टुकड़ा एक तिहाई है दूसरा दो तिहाई और यह बड़ा टुकड़ा दुम की जानिब का है जब भी दोनों खाये जायें और अगर बड़ा टुकड़ा सर की तरफ़ का है तो सिर्फ़ यह बड़ा टुकड़ा खाया जाये दूसरा न खाया जाये और अगर सर आधा या आधे से ज़्यादा कटकर जुदा होगया तो यह टुकड़ा भी खाया जा सकता है। (हिदाया, इनाया)

मसअ्ला.43:– शिकार का हाथ या पाँव कट गया जुदा न हुआ अगर इतना कटा है कि जुड़ जाना मुम्किन है और वह शिकार मर गया तो यह टुकड़ा भी खाया जा सकता है और अगर जुड़ना ना'मुम्किन है कि पूरा कट गया है सिर्फ़ चमड़ा ही बाक़ी रह गया है तो शिकार खाया जाये यह कटा हुआ हाथ या पाँव न खाया जाये। (हिदाया)

मसअ्ला.44:– एक शख़्स ने शिकार को तीर मारा और लगा मगर ऐसा नहीं लगा है कि भाग न सके बल्कि भाग सकता है और पकड़ने में नहीं आ सकता उसके बाद दूसरे शख़्स ने तीर मार दिया और वह मर गया यह खाया जायेगा और दूसरे की मिल्क होगा और अगर पहले ने कारी ज़ख़्म लगाया है कि भाग नहीं सकता फिर दूसरे ने तीर मारा और मर गया तो पहले शख़्स की मिल्क है और खाया न जाये क्योंकि इसको ज़बह कर सकते थे ऐसे को तीर मारकर हलाक करने से जानवर हराम हो जाता है या'नी यह हुक्म उस वक़्त है कि पहले के तीर मारने के बाद इसमें इतनी जान थी कि ज़बह इख़्तियारी हो सके और अगर इतनी ही जान बाक़ी थी जितनी मज़बूह में होती है तो दूसरे के तीर मारने से हराम नहीं हुआ और दूसरे के मारने से तीन सूरत में शिकार हराम हो गया यह दूसरा शख़्स पहले शख़्स को इस ज़ख़्म खुर्दा जानवर की क़ीमत तावान दे कि इस की मिल्क को ज़ाइअ़ किया है और अगर यह मा़लूम है कि जानवर की मौत दोनों ज़ख़्मों से हुई या मा़लूम न हो दूसरा शख़्स जानवर के ज़ख़्मी करने का तावान दे फिर जिस जानवर को दो ज़ख़्म लगे हैं उस के निस्फ़ क़ीमत का जो हो वह तावान दे फिर गोश्त की निस्फ़ क़ीमत तावान दे या'नी इस सूरत में यह तावान देने होंगे। (हिदाया)

मसअ्ला.45:– शिकार को तीर मारा फिर इस शख़्स ने दूसरा तीर मारा और मर गया इस जानवर के हलाल या हराम होने में वही हुक्म है जो दूसरे शख़्स के तीर मारने की सूरत में है यहाँ ज़मान की सूरत नहीं है कि दोनों तीर खुद इसी ने मारे हैं। (हिदाया, इनाया)

मसअ्ला.46:– पहाड़ की चोटी पर शिकार मारा और वह पूरा घायल होगया है कि भाग नहीं सकता उसने फिर दूसरा तीर मारकर उतारा या'नी दूसरा तीर लगने से मर गया और गिरा तो हलाल नहीं। (हिदाया)

मसअ्ला.47:– परिन्दे को रात में पकड़ना मुबाह है मगर बेहतर यह है कि रात को न पकड़े(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.48:– बाज़ और शिकरे वग़ैरा को ज़िन्दा परिन्दे पर सिखाना ममनूअ् है कि उस परिन्द को ईज़ा देना है। (दुर्रेमुख़्तार) बल्कि ज़बह किए हुए जानवर पर सिखाये (आलमगीरी)

मसअ्ला.49:– मोअ़ल्लिम बाज़ ने किसी जानवर को पकड़ा और मार डाला और यह मालूम नहीं कि किसी ने छोड़ा है या नहीं ऐसी हालत में जानवर हलाल नहीं कि शक से हिल्लत साबित नहीं होती और अगर मालूम है कि फुलाँ ने छोड़ा है तो पराया माल है बिग़ैर इजाज़ते मालिक इसका लेना हलाल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.50:– किसी दूसरे शख़्स का मोअ़ल्लिम कुत्ता या बाज़ मार डाला या किसी की बिल्ली मार डाली उसकी क़ीमत का तावान देना होगा इसी तरह दूसरे की हर वह चीज़ जिसकी बैअ् जाइज़ है तलफ़ (जाइअ्) कर देने से तावान देना होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.51:– मोअ़ल्लिम कुत्ते का हिबा और वसियत जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.52:– बाज़ जगह रुऊसा (मालदार) और ज़मीनदार अपने इलाक़ा में दूसरे लोगों के लिये शिकार करने की मुमानअ़त कर देते हैं उनका मक़सद उन जंगलों में खुद शिकार खेलना होता है कि दूसरे जब नही खेलेंगे तो ब'इफ़रात शिकार मिलेगा ऐसी जगह अगर किसी ने शिकार किया तो यही मालिक होगया उनकी मुमानअ़त का शरअ़न कोई एअ़्तिबार नहीं कि शिकार उनकी मिल्क नहीं कि मनअ् करने से ममनूअ् होजाये बल्कि जो पकड़े उसी की मिल्क है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.53:– बहुत जगह ज़मीनदार तालाबों से मछलियाँ नहीं मारने देते और जो मारता है छीन लेते हैं यह उनका फ़ेअ़्ल ना'जाइज़ व हराम है जो मारले उसी की हैं और छुपकर मारना चोरी में दाख़िल नहीं अगर्चे बाज़ लोग उसे चोरी कहते हैं कि माले मुबाह में चोरी कैसी।

मसअ्ला.54:– बाज़ लोग मछलियों के शिकार में ज़िन्दा मछली या ज़िन्दा मेन्ढकी कांटे में पिरो देते हैं और इससे बड़ी मछली फंसाते हैं ऐसा करना मनअ् है कि इस जानवर को ईज़ा देना है उसी तरह ज़िन्दा घेंसा कांटे में पिरोकर शिकार करते हैं यह भी मनअ् है।

रहन का बयान

रहन का जवाज़ किताब व सुन्नत से साबित और उस के जाइज़ होने पर इजमाअ् मुनअ़क़िद कु़र्आन मजीद में इरशाद हुआ।

﴿وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ﴾

"और अगर तुम सफ़र में हो (और लेन देन करो) और कातिब न पाओ (कि वह दस्तावेज़ लिखे) तो गिरवी रखना है जिस पर क़ब्ज़ा होजाये"

इस आयत में सफ़र में गिरवी रखने का ज़िक्र है मगर हदीसों से साबित कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने मदीना में अपनी ज़रह गिरवी रखी थी।

हदीस (1) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत आइशा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से मरवी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने एक यहूदी से ग़ल्ला उधार ख़रीदा था और लोहे की ज़रह उस के पास रहन रखी थी।

हदीस (2) सहीह बुख़ारी में उन्हीं से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की जब वफ़ात हुई उस वक़्त हुज़ूर की ज़रह एक यहूदी के पास तीस साअ् जौ के मुक़ाबिल में गिरवी थी।

हदीस (3) सहीह बुख़ारी में अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने जौ के मुक़ाबिल में अपनी ज़रह गिरवी रखदी थी।

हदीस (4) इमाम बुख़ारी अबू'हुरैरा से रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जानवर जब मरहून हो तो उस पर ख़र्च के एवज़ सवार हो सकते हैं और दूध वाले जानवर का दूध भी नफ़क़ा (खाने पिलाने का ख़र्च) के एवज़ में पिया जायेगा, और सवार होने वाले और दूध पीने का ख़र्चा सवार होने वाले और पीने वाले पर है।

हदीस (5) इब्ने माजा अबूहुरैरा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम

ने फ़रमाया कि "रहन बन्द नहीं किया जायेगा" (यानी मुरतहिन उसको अपना करले यह नहीं हो सकता)
हदीस् (6) इमाम शाफ़ेई और हाकिम ने मुस्तदरक और बैहक़ी ने अबूहुरैरा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि रहन मुग़लक़ (यानी मुरतहिन अपना करले) नहीं होता जिसने रहन रखा है उसके लिए रहन का फ़ायदा और उसी पर उस का नुक़सान है।

मसाइले फ़िक़्हिया

लुग़त में रहन के मअ्ना रोकना हैं इस का सबब कुछ भी हो और इस्तिलाहे शरअ् में दूसरे के माल को अपने हक़ में इस लिये रोकना कि उस के ज़रीआ से अपने हक़ को कुल्लन या जुज़अन वसूल करना मुम्किन हो मस्लन किसी के ज़िम्मे इसका दैन (क़र्ज़) है उस मदयून (मक़रूज़) ने अपनी कोई चीज़ दाइन (क़र्ज़ देने वाले) के पास इस लिये रखदी है कि उसको अपने दैन के वसूल पाने के लिए ज़रीआ बने, रहन को उर्दू ज़बान में गिरवी रखना बोलते हैं, कभी उस चीज़ को भी रहन कहते हैं जो रखी गई है उसका दूसरा नाम मरहून है, चीज़ के रखने वाले को राहिन और जिसके पास रखी गई उस को मुरतहिन कहते हैं, अक़्दे रहन बिल'इजमाअ् जाइज़ है क़ुर्आन मजीद और हदीस् शरीफ़ से उसका जवाज़ साबित है रहन में ख़ूबी यह है कि दाइन व मदयून दोनों का इस में भला है कि बाज़ मरतबा बिग़ैर रहन रखे कोई देता नहीं मदयून का भला यूँ हुआ कि दैन मिल गया और दाइन का भला ज़ाहिर है कि उसको इत्मीनन होता है कि अब मेरा रुपया मारा न जायेगा। (हिदाया)

मसअ्ला.1:– रहन जिस हक़ के मुक़ाबिले में रखा जाता है वह दैन (यानी वाजिब फ़िज़्ज़िम्मा) हो ऐन के मुक़ाबिल (यानी स्मन व क़र्ज़ के इलावा किसी चीज़ के बदले में (अमीनुल क़ादरी)) रहन रखना सहीह नहीं ज़ाहिरन व बातिनन दोनों तरह वाजिब हो जैसे मबीअ् का स्मन और क़र्ज़ या ज़ाहिरन वाजिब हो जैसे ग़ुलाम को बेचा और वह हक़ीक़त में आज़ाद था या सिर्का बेचा और वह शराब था और उन के स्मन के मुक़ाबिल में कोई चीज़ रहन रखी यह स्मन बज़ाहिर वाजिब है मगर वाक़ेअ् में न बैअ् है न स्मन अगर हक़ीक़तन दैन न हो हुक्मन दैन हो तो इसके मुक़ाबिल में भी रहन सहीह है जैसे अअ्याने मज़मूना बि'नफ़सिहा यानी जहाँ मिस्ल या क़ीमत से तावान देना पड़े जैसे मग़सूब शय कि ग़ासिब पर वाजिब यह है कि जो चीज़ ग़सब की है बिऐनिही वही चीज़ मालिक को दे और वह न हो तो मिस्ल या क़ीमत तावान दे जहाँ ज़मान वाजिब न हो जैसे वदीअ्त और अमानत की दूसरी सूरतें उनमें रहन दुरुस्त नहीं इसी तरह अअ्याने मज़मूना वग़ैरहा के मुक़ाबिल में भी रहन सहीह नहीं जैसे मबीअ् कि जब तक यह बाइअ् के क़ब्ज़े में है अगर हलाक होगई तो इसके मुक़ालिब में मुश्तरी से बाइअ् का स्मन साक़ित हो जायेगा मुश्तरी के पास बाइअ् कोई चीज़ रहन रखे सहीह नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.2:– अक़्दे रहन ईजाब व क़बूल से मुनअ्क़िद होता है मस्लन मदयून ने कहा कि तुम्हारा जो कुछ मेरे ज़िम्मे है उसके मुक़ाबिले में यह चीज़ तुम्हारे पास रहन रखी या यह कहे इस चीज़ को रहन रखलो दूसरा कहे मैंने क़बूल किया बिग़ैर ईजाब व क़बूल के अलफ़ाज़ बोलने के भी बतौर तआती रहन हो सकता है जिस तरह बैअ् तआती से हो जाती है। (हिदाया, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.3:– लफ़्ज़े रहन बोलना ज़रूरी नहीं बल्कि कोई दूसरा लफ़्ज़ जिससे रहन के मअ्ना समझे जाते हों तो रहन होगया मस्लन एक रुपये की कोई चीज़ ख़रीदी और बाइअ् को अपना कपड़ा या कोई चीज़ देदी और कह दिया कि उसे रखे रहो जब तक मैं दाम न देदूँ यह रहन हो गया यूँही एक शख़्स् पर दैन है उसने दाइन को अपना कपड़ा देकर कहा कि उसे रखे रहो जब तक दैन अदा न करूँ यह रहन भी सहीह है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– ईजाब व क़बूल से अक़्दे रहन हो जाता है मगर लाज़िम नहीं होता जब तक मुरतहिन शय मरहून पर क़ब्ज़ा न करले लिहाज़ा क़ब्ज़े से पहले राहिन को इख़्तियार रहता है कि चीज़ दे या न दे और जब मुरतहिन ने क़ब्ज़ा कर लिया तो पक्का मुआमला होगया अब राहिन को बिग़ैर उसका हक़ अदा किये चीज़ वापस लेने का हक़ नहीं रहता। (हिदाया) मगर इनाया में फ़रमाया कि

यह आम्मा–ए–कुतुब के मुख़ालिफ़ है इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह की तसरीह यह है कि बिग़ैर क़ब्ज़ा रहन जाइज़ ही नहीं इमाम हाकिम शहीद ने काफ़ी में और इमाम जअ़फ़र तहावी व इमाम करख़ी ने अपने अपने मुख़्तसर में उसी की तस्रीह़ की और दुर्रे मुख़्तार में मुजतबा से है कि क़ब्ज़ा शर्ते जवाज़ है न कि शर्ते लुज़ूम।

मसअ्ला.5:– क़ब्ज़े के लिये इजाज़ते राहिन ज़रूरी है सराहतन क़ब्ज़े की इजाज़त दे या दलालतन दोनों सूरतों में क़ब्ज़ा होजायेगा, उसी मज्लिस में क़ब्ज़ा हो जिस में ईजाब व क़बूल हुआ है, या बाद में खुद क़ब्ज़ा करे या उसका नाइब करे सब सहीह़ है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.6:– मरहून शय पर क़ब्ज़ा इस तरह हो कि वह इखट्ठी हो मुतफ़र्रिक़ (जुदा जुदा) न हो मस्लन दरख़्त पर फल हैं या खेत में ज़राअ़त है सिर्फ़ फलों या ज़राअ़त को रहन रखा दरख़्त और खेत को नहीं रखा यह क़ब्ज़ा सहीह नहीं और यह भी ज़रूरी है कि मरहून शय राहिन के साथ मशग़ूल न हो मस्लन दरख़्त पर फल हैं और सिर्फ़ दरख़्त को रहन रखा और यह भी ज़रूरी है कि मुतमय्यिज़ हो यानी मुशाअ् (हिस्सा) न हो। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– ऐसी चीज़ रहन रखी जो दूसरी चीज़ के साथ मुत्तसिल (मिली हुई) है मस्लन दरख़्त में फल लगे हैं सिर्फ़ फलों को रहन रखा और मुरतहिन ने जुदा करके मस्लन फलों को तोड़कर क़ब्ज़ा करलिया अगर यह क़ब्ज़ा बिग़ैर इजाज़ते राहिन है तो ना'जाइज़ है ख़्वाह उसी मज्लिस में क़ब्ज़ा किया हो या बाद में और अगर इजाज़ते राहिन से है तो जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– मरहून व मुरतहिन के दरम्यान राहिन ने तख़लिया कर दिया कि मुरतहिन अगर क़ब्ज़ा करना चाहे कर सकता है यह भी क़ब्ज़े ही के हुक्म में है जिस तरह बैअ् में बाइअ् ने मबीअ् और मुश्तरी के दरम्यान तख़लिया कर दिया क़ब्ज़ा ही के हुक्म में है। (हिदाया)

मसअ्ला.9:– रहन के शराइत हस्बे ज़ैल हैं **(1)**राहिन व मुरतहिन आक़िल हों यानी ना'समझ बच्चा और मजनून का रहन रखना सहीह़ नहीं, बुलूग़ उसके लिए शर्त नहीं ना'बालिग़ बच्चा जो आक़िल हो उसका रहन रखना सहीह है। **(2)**रहन किसी शर्त पर मुअ़ल्लक़ न हो न उसकी इज़ाफ़त वक़्त की तरफ़ हो। **(3)**जिस चीज़ को रहन रखा वह क़ाबिले बैअ् हो यानी वक़्ते अ़क़्द मौजूद हो माले मुतलक़, मुतक़व्विम, (शरअ़न क़ाबिले क़ीमत हो) मम्लूक, (मिल्कियत में हो) मालूम, मक़दूरुत्तसलीम (सिपुर्द करने पर क़ादिर हो) हो लिहाज़ा जो चीज़ वक़्ते अ़क़्द मौजूद ही न हो या उसके वुजूद व अ़दम (होने, न होने) दोनों का एहतिमाल हो उसका रहन जाइज़ नहीं मस्लन दरख़्त में जो फल इस साल आयेंगे या बकरियों के इस साल जो बच्चे पैदा होंगे या उसके पेट में जो बच्चा है उन सबका रहन नहीं हो सकता मुर्दार और ख़ून को रहन नहीं रख सकते कि यह माल नहीं, ह़रम व एह़राम के शिकार भी मुर्दार हैं माल नहीं, आज़ाद को रहन नहीं रख सकता कि माल नहीं, मुदब्बर व उम्मे वलद का रहन जाइज़ नहीं, दोनों राहिन व मुरतहिन में अगर कोई मुस्लिम हो तो शराब व ख़िन्ज़ीर को रहन नहीं रख सकते, अम्वाले मुबाहा मस्लन शिकार और जंगल की लकड़ी और घास चूंकि यह मम्लूक नहीं उनका रहन भी ना'जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– मरहून चीज़ मुरतहिन के ज़मान में हो जाती है यानी मरहून की मालियत उसके ज़मान होती है और खुद ऐन बतौर अमानत है उसका फ़र्क़ यूँ ज़ाहिर होगा कि अगर मरहून को मुरतहिन ने राहिन से ख़रीद लिया तो यह क़ब्ज़ा जो मुरतहिन का है क़ब्ज़ा–ए–ख़रीदारी के क़ाइम मक़ाम नहीं होगा कि यह क़ब्ज़ाए अमानत है और मुश्तरी के लिये क़ब्ज़ाए ज़मान दरकार है और खुद वह चीज़ अमानत है लिहाज़ा मरहून का नफ़्क़ा राहिन के ज़िम्मे है मुरतहिन के ज़िम्मे नहीं और गुलाम मरहून था वह मरगया तो कफ़न राहिन के ज़िम्मे है। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.11:– मुरतहिन के पास अगर मरहून हलाक होजाये तो दैन और उसकी क़ीमत में जो कम है उसके मुक़ाबिले में हलाक होगा मस्लन सौ रुपये दैन हैं और मरहून की क़ीमत दो सौ है तो सौ

के मुक़ाबिले में हलाक हुआ यानी इसका दैन साक़ित होगया और मुरतहिन राहिन को कुछ नहीं देगा और अगर सूरते मफ़रुज़ा में मरहून की क़ीमत पचास रुपये है तो दैन में से पचास साक़ित हो गये और पचास बाक़ी हैं और अगर दोनों बराबर हैं तो न देना है न लेना। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.12:– मरहून की क़ीमत उस रोज़ की मोअ्तबर है जिस दिन रहन रखा है यानी जिस दिन मुरतहिन का क़ब्ज़ा हुआ है जिस दिन हलाक हुआ उस दिन की क़ीमत का एअ्तिबार नहीं यानी रहन रखने के बा़द चीज़ की क़ीमत घट, बढ़ गई इसका एअ्तिबार नहीं मगर दूसरे शख़्स ने मरहून को हलाक कर दिया तो इससे तावान में वह क़ीमत ली जायेगी जो हलाक करने के दिन है और यह क़ीमत मुरतहिन के पास उस मरहून की जगह रहन है यानी अब यह मरहून है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.13:– मुरतहिन ने रहन रखते वक़्त यह शर्त़ करली है कि अगर चीज़ हलाक होगई तो मैं ज़ामिन नहीं इस सूरत में भी वह ज़ामिन है और यह शर्त़ बातिल है। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.14:– दो चीज़ें रहन रखी हैं उनमें से एक हलाक होगई और एक बाक़ी है और जो हलाक होगई इस तन्हा की क़ीमत दैन से ज़ाइद है तो यह नहीं होगा कि दैन साक़ित होजाये बल्कि दैन को उन दोनों की क़ीमतों पर तक़सीम किया जाये जो हिस्सा उस हलाक शुदा के मुक़ाबिल आये वह साक़ित और जो बाक़ी के मुक़ाबिल है वह बाक़ी है यूंही मकान रहन रखा और वह गिर गया तो दैन को इमारत व ज़मीन की क़ीमत पर तक़सीम किया जाये जो हिस्सा इमारत के मुक़ाबिल है साक़ित और जो ज़मीन के मुक़ाबिल है बाक़ी है यूहीं अगर दस रुपये दैन के हैं चालीस रुपये की पोस्तीन रहन रखदी इसको कीड़ों ने खालिया अब इस की क़ीमत दस रुपये रहगई तो ढाई रुपये देकर राहिन छुड़ा लेगा कि पोस्तीन की तीन चौथाईयाँ कम हो गईं लिहाज़ा दैन की भी तीन चौथाईयाँ यानी साढ़े सात रुपये कम होगये उन जुज़ईयात से मालूम हुआ कि ख़ुद चीज़ में अगर नुक़सान हो जाये तो इसका दैन पर असर पड़ेगा और नर्ख़ कम होने का कोई एअ्तिबार नहीं(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.15:– मुरतहिन ने अगर मरहून में कोई ऐसा फ़ेअ्ल किया जिसकी वजह से वह चीज़ हलाक होगई या उसमें नुक़सान पैदा होगया तो ज़ामिन है यानी उसका तावान देना होगा मस्लन एक कपड़ा बीस रुपये की क़ीमत का, दस रुपये में रहन रखा मुरतहिन ने ब'इजाज़ते राहिन एक मरतबा उसे पहना उसके पहनने से छः रुपये क़ीमत घटगई अब वह चौदह रुपये का होगया इसके बा़द उसको बिग़ैर इजाज़त इस्तेअ्माल किया उस इस्तेअ्माल से चार रुपये और कम हो गये अब इस की क़ीमत दस रुपये होगई उसके बा़द वह कपड़ा ज़ाइअ् होगया इस सूरत में मुरतहिन, राहिन से सिर्फ़ एक रुपया वसूल कर सकता है और नौ रुपये साक़ित होगये क्योंकि रहन के दिन जब इसकी क़ीमत बीस रुपये थी और क़र्ज़ के दस ही रुपये थे तो निस्फ़ का ज़मान है और निस्फ़ अमानत है फिर जब उसको इजाज़त से पहना है तो छः रुपये की जो कमी है उसका तावान नहीं कि यह कमी ब'इजाज़ते मालिक है मगर दोबारा जो पहना तो इसकी कमी के चार रुपये उस पर तावान हुए गोया दस में से चार वसूल होगये छः बाक़ी हैं फिर जिस दिन वह कपड़ा ज़ाइअ् हुआ चूंकि दस का था लिहाज़ा निस्फ़ क़ीमत के पाँच रुपये हैं, अमानत है निस्फ़ दोम कि यह भी पाँच है इस का ज़मान है हलाक होने से निस्फ़ दोम भी वसूल समझो लिहाज़ा यह पाँच और चार पहले के कुल नौ वसूल होगये एक बाक़ी रहगया है वह राहिन से ले सकता है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.16:– एक शख़्स कुछ दैन लेना चाहता है बात चीत होगई और यह भी ठहर गया कि इसके मुक़ाबिल में फुलाँ चीज़ रहन रखूँगा चुनांचे उस चीज़ पर मुरतहिन का क़ब्ज़ा होगया और अभी दैन दिया नहीं है अब फ़र्ज़ करो कि क़र्ज़ देने से पहले मुरतहिन के पास वह चीज़ हलाक होगई उसकी दो सूरतें हैं अगर क़र्ज़ की कोई मिक़दार नहीं बयान की गई है फ़क़त इतनी बात हुई कि तुमसे कुछ रुपये क़र्ज़ लूँगा इस सूरत में वह चीज़ मुरतहिन के ज़मान में नहीं है हलाक होने से उसको कुछ देना वाजिब नहीं और अगर क़र्ज़ की मिक़दार बयान करदी है मस्लन सौ रुपये लूंगा

और यह लो रखो यह रहन होगी इस सूरत में ज़मान है इसका वही हुक्म है कि सौ रुपये लेकर रख देता यानी दैन और उस चीज़ की क़ीमत दोनों में जो कम है उसके मुक़ाबिल में उसको हलाक होना समझा जायेगा मस्लन उसकी क़ीमत सौ रुपये या ज़्यादा है तो मुरतहिन राहिन को सौ रुपये दे और सौ से कम है तो जो कुछ क़ीमत है वह दे। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.17:– क़र्ज़ देने का वअ्दा किया था और क़र्ज़ मांगने वाले ने क़र्ज़ लेने से पहले कोई चीज़ रहन रखदी और मुरतहिन ने कुछ क़र्ज़ दिया और कुछ बाक़ी है तो बाक़ी का जबरन इससे मुतालबा नहीं हो सकता यह हुक्म उस वक़्त है कि मरहून मौजूद हो और हलाक होगया तो इस का हुक्म वह है जो पहले बयान हुआ। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.18:– दाइन ने मदयून से अपने दैन के मुक़ाबिल जब कोई चीज़ रहन रखवाली तो यह न समझना चाहिए कि अब वह दैन का मुतालबा ही नहीं कर सकता ख़ामोश बैठा रहे बल्कि अब भी मुतालबा कर सकता है क़ाज़ी के पास दैन का दअ्वा कर सकता है और क़ाज़ी को अगर साबित होजाये कि मदयून अदाए दैन में ढील डाल रहा है तो उसे क़ैद भी कर सकता है कि ऐसे की यही सज़ा है। (हिदाया)

मसअ्ला.19:– रहन फ़स्ख़ होने के बाद भी मुरतहिन को यह इख़्तियार है कि जब तक अपना मुतालबा वसूल न करले या मुआफ़ न करदे मरहून शय अपने क़ब्ज़े में रखे राहिन को वासप न दे यानी महज़ ज़बान से कह देने से कि रहन फ़स्ख़ किया रहन फ़स्ख़ नहीं होता बल्कि बाक़ी रहता है जब तक मरहून को वापस न करदे जब रहन फ़स्ख़ नहीं हुआ तो अब भी चीज़ को रोक सकता है हाँ दैन या क़ब्ज़ा दोनों में एक जाता रहे मस्लन दैन वसूल पाया या मुआफ़ कर दिया कि अब दैन बाक़ी न रहा या राहिन के क़ब्ज़े में देदिया तो अब रहन जाता रहेगा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.20:– रहन फ़स्ख़ के बाद चीज़ मुरतहिन के पास हलाक होगई अब भी वही अहकाम हैं जो फ़स्ख़ न होने की सूरत में थे कि दैन और क़ीमत मरहून में जो कम है उसके मुक़ाबिल में चीज़ हलाक होगई। (हिदाया)

मसअ्ला.21:– मुरतहिन ने अगर राहिन को वह चीज़ देदी मगर बतौरे फ़स्ख़ रहन नहीं बल्कि ब'तौरे आरियत तो अब भी रहन बाक़ी है यानी उससे वापस नहीं ले सकता है। (एनाया)

मसअ्ला.22:– मरहून शय जब तक मुरतहिन के हाथ में है राहिन उसे बैअ् नहीं कर सकता मुरतहिन जब तक दैन वसूल न करले उसको इख़्तियार है कि बेचने न दे और अगर मदयून ने कुछ दैन अदा किया है कुछ बाक़ी है अब भी राहिन, मुरतहिन से चीज़ वापस नहीं ले सकता जब तक कुल दैन अदा न करदे और जब दैन बे'बाक़ कर दिया तो मुरतहिन से कहा जायेगा कि रहन वापस दो क्योंकि अब उसे रोकने का हक़ बाक़ी न रहा। (हिदाया)

मसअ्ला.23:– मदयून ने दैन अदा कर दिया और अभी तक शय मरहून मुरतहिन के पास है वापसी नहीं हुई है और चीज़ हलाक होगई तो जो कुछ मदयून ने अदा किया है मुरतहिन से बापस लेगा क्योंकि मुरतहिन का वह क़ब्ज़ा अब भी क़ब्ज़ा–ए–ज़मान है और यह हलाके दैन के मुक़ाबले में मुतसव्वुर होगा लिहाज़ा वापस करना होगा। (हिदाया) यह उस वक़्त है कि मरहून की क़ीमत दैन से ज़ाइद या दैन के बराबर है अगर दैन से कम है तो जितना मरहून की क़ीमत थी उतना ही वापस ले सकता है।

मसअ्ला.24:– मुरतहिन ने राहिन से दैन मुआफ़ कर दिया या हिबा कर दिया और अभी मरहून को वापस नहीं दिया था उसी के पास हलाक होगया इस सूरत में राहिन मुरतहिन से चीज़ का तावान नहीं ले सकता कि यहाँ मुरतहिन ने दैन के मुक़ाबिल में कोई चीज़ वसूल नहीं की है जिस को वापस दे बल्कि दैन को साक़ित किया है। (एनाया)

मसअ्ला.25:– मरहून चीज़ से किसी क़िस्म का नफ़अ् उठाना जाइज़ नहीं है मस्लन लोन्डी, गुलाम हो तो उससे ख़िदमत लेना, या इजारा पर देना, मकान में सुकूनत करना, या किराये पर उठाना, या आरियत पर देना, कपड़े और ज़ेवर को पहनना, या इजारा व आरियत पर देना,

अल'ग़रज़ नफ़अ् की सब सूरतें ना'जाइज़ हैं और जिस तरह मुरतहिन को नफ़अ् उठाना ना'जाइज़ है राहिन को भी ना'जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.26:– मुरतहिन के लिये अगर राहिन ने इन्तिफ़ाअ् की इजाज़त देदी है इस की दो सूरतें हैं यह इजाज़त रहन में शर्त है यानी क़र्ज़ ही इस तरह दिया है कि वह अपनी चीज़ उसके पास रहन रखे और यह उससे नफ़अ् उठाये जैसाकि उमूमन इस ज़माने में मकान या ज़मीन इसी तौर पर रखते हैं यह ना'जाइज़ और सूद है दूसरी सूरत यह है कि शर्त न हो यानी अक़्दे रहन हो जाने के बाद राहिन ने इजाज़त दी है कि मुरतहिन नफ़अ् उठाये यह सूरत जाइज़ है अस्ल हुक्म यही है जिसका ज़िक्र हुआ मगर आज कल आम हालत यह है कि रुपया क़र्ज़ देकर अपने पास चीज़ उसी मक़सद से रहन रखते हैं कि नफ़अ उठायें और यह इस दर्जा मअ्रुफ़ व मशहूर है कि मश्रुत की हद में दाख़िल है लिहाज़ा इससे बचना ही चाहिए। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.27:– जिस तरह मरहून से मुरतहिन नफ़अ् नहीं उठा सकता राहिन के लिये भी इस से इन्तिफ़ाअ् जाइज़ नहीं मगर इस सूरत में कि मुरतहिन उसे इजाज़त देदे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.28:– राहिन ने मुरतहिन को इस्तेअ्माल की इजाज़त देदी थी उसने इस्तेअ्माल की तो मुरतहिन पर ज़मान नहीं यानी मकान में सुकूनत, या बाग़ के फ़ल खाने, या जानवर के दूध इस्तेअ्माल करने के मुक़ाबिल में दैन का कुछ हिस्सा साक़ित नहीं होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.29:– मुरतहिन ने ब'इजाज़ते राहिन चीज़ को इस्तेअ्माल किया और ब'वक़्ते इस्तेअ्माल चीज़ हलाक होगई तो यहाँ अमानत का हुक्म दिया जायेगा यानी मुरतहिन पर इसका तावान न होगा दैन का कोई जुज़ साक़ित् न होगा। और इससे पहले या बाद में हलाक हो तो ज़मान है जिसका हुक्म पहले बताया गया। (रद्दुलमुख़्तार)

मसअ्ला.30:– मुरतहिन शय मरहून को न इजारे पर दे सकता है न आरियत के तौर पर कि वह खुद नफ़अ् नहीं उठा सकता तो दूसरे को नफ़अ् उठाने की कब इजाज़त दे सकता है। (हिदाया)

मसअ्ला.31:– एक शख़्स से रुपया क़र्ज़ लिया और उसे अपना मकान रहने को देदिया कि जब तक क़र्ज़ अदा न करदूँ तुम उसमें रहो या खेत इसी तरह दिया मस्लन सौ रुपये क़र्ज़ लेकर खेत देदिया कि क़र्ज़ देने वाला खेत जोते, बोयेगा और नफ़अ् उठायेगा यह सूरत रहन में दाख़िल नहीं बल्कि यह ब'मन्ज़िला इजारा फ़ासिदा है उस शख़्स पर उजरते मिस्ल लाज़िम है क्योंकि मकान या खेत उसे मुफ़्त नहीं दे रहा है बल्कि क़र्ज़ की वजह से दे रहा है और चूंकि क़र्ज़ से इन्तिअ्फ़ा हराम है लिहाज़ा उजरते मिस्ल देनी होगी। (रद्दुलमुख़्तार)

मसअ्ला.32:– बाज़ लोग क़र्ज़ लेकर मकान या खेत रहन रख देते हैं कि मुरतहिन मकान में रहे और खेत को जोते, बोये और मकान या खेत की कुछ उजरत मुक़र्रर कर देते हैं मस्लन मकान का किराया पाँच रुपये माहवार या खेत का पट्टा दस रुपये साल होना चाहिए और तै यह पाता है कि यह रक़म ज़रे क़र्ज़ से मुजरा होती रहेगी(क़र्ज़ की रक़म से कटौती होती रहेगी)जब कुल रक़म अदा होजायेगी उस वक़्त मकान या खेत वापस होजायेगा इस सूरत में ब'ज़ाहिर कोई क़बाहत(बुराई)नहीं मालूम होती अगर्चे किराया या पट्टा वाजिबी उजरत से कम तै पाया हो और यह सूरत इजारह में दाख़िल है यानी इतने ज़माने के लिये मकान या खेत उजरत पर दिया और ज़रे उजरत पेशगी लेलिया।

मसअ्ला.33:– बकरी रहन रखी थी और राहिन ने मुरतहिन को दूध पीने की इजाज़त देदी वह दूध पीता रहा फिर वह बकरी मरगई इस सूरत में दैन को बकरी और दूध की क़ीमत पर तक़सीम किया जाये जो हिस्सा–ए–दैन बकरी के मुक़ाबिल में आये वह साक़ित् और दूध की क़ीमत के मुक़ाबिल में जो हिस्सा आये वह राहिन से वसूल करे क्योंकि हुक्म यह है कि रहन से जो पैदावार होगी वह भी रहन होगी और चूंकि मुरतहिन ने ब'इजाज़ते राहिन उसको ख़र्च किया तो गोया खुद राहिन ने ख़र्च किया लिहाज़ा उस के मुक़ाबिल का दैन साक़ित् नहीं होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.34:– मुरतहिन ने अगर राहिन की इजाज़त के बिग़ैर मरहून से नफ़अ़ उठाया तो यह तअ़द्दी और ज़्यादती है यानी इस सूरत में अगर्चे चीज़ हलाक होगई तो पूरी चीज़ का तावान देना होगा यह नहीं कि दैन साक़ित होजाये और बाक़ी का मुरतहिन से मुतालबा न हो मगर उसकी वजह से रहन बातिल नहीं होगा यानी अगर अपनी इस हरकत से बाज़ आगया तो चीज़ रहन है और रहन के अह़काम जारी होंगे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.35:– मुरतहिन ने राहिन से दैन तलब किया तो उससे कहा जायेगा कि पहले मरहून चीज़ हाज़िर करो जब वह हाज़िर करदे तो राहिन से कहा जायेगा कि दैन अदा करो जब यह पूरा दैन अदा करदे अब मुरतहिन से कहा जायेगा इस की चीज़ देदो। (हिदाया)

मसअला.36:– मुरतहिन ने राहिन से दैन का मुतालबा दूसरे शहर में किया अगर वह चीज़ ऐसी है कि वहाँ तक ले जाने में बारबर्दारी सर्फ़ करनी नहीं होगी जब भी वही हुक्म है कि वह मरहून को पहले हाज़िर करे फिर इससे अदाए दैन को कहा जायेगा और बारबर्दारी सर्फ़ करनी पड़े तो वहाँ लाने की तकलीफ़ न दी जाये बल्कि बिग़ैर चीज़ लाये हुए भी दैन अदा करदे। (हिदाया)

मसअला.37:– यह हुक्म कि मुरतहिन को मरहून के हाज़िर लाने को कहा जायेगा उस वक़्त है कि राहिन यह कहता हो कि मरहून मुरतहिन के पास हलाक हो चुका है लिहाज़ा मैं दैन क्यों अदा करूँ और मुरतहिन कहता है कि मरहून मौजूद है और अगर राहिन भी मरहून को मौजूद होना कहता हो तो इसकी क्या ज़रूरत कि यहाँ हाज़िर लाये जब ही दैन अदा करने को कहा जायेगा कि अगर वह चीज़ ऐसी है जिसमें बारबर्दारी सर्फ़ होगी इस वजह से हाज़िर लाने को नहीं कहा गया मगर राहिन उसके तलफ़ (बर्बाद) हो जाने का मुद्दई (दावेदार) है तो राहिन से कहा जायेगा कि अगर मुरतहिन की बात का तुम्हें इत्मीनान नहीं है तो इससे क़सम खिलालो कि मरहून हलाक नहीं हुआ।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.38:– अगर दैन ऐसा है कि क़िस्तवार अदा किया जायेगा क़िस्त अदा करने का वक़्त आगया इस का भी वही हुक्म है कि अगर राहिन मरहून का हलाक होना बताता है और मुरतहिन इससे इन्कारी है तो मुरतहिन से कहा जायेगा कि चीज़ हाज़िर लाये और बारबर्दारी वाली चीज़ हो तो मुरतहिन से क़सम खिला सकता है कि हलाक नहीं हुई। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.39:– मुरतहिन ने दैन वसूल पा लिया और अभी चीज़ वापस नहीं दी और यह चीज़ उसके पास हलाक होगई तो राहिन इससे दैन वापस लेगा। क्योंकि मरहून पर अब भी मुरतहिन का क़ब्ज़ा क़ब्ज़ा–ए–ज़मान है और हलाक होना दैन वसूल होने के क़ाइम मक़ाम है लिहाज़ा जो ले चुका है वापस दे। (हिदाया)

मसअला.40:– राहिन ने अगर मुरतहिन से कहदिया कि मरहून को फ़ुलाँ शख़्स के पास रखदो इसने उसके कहने की वजह से उसके पास रख दिया अब अगर मुरतहिन ने दैन का मुतालबा किया और राहिन मरहून के हाज़िर लाने को कहता है तो मुरतहिन को उसकी तकलीफ़ न दी जाये क्योंकि उसके पास है ही नहीं जो हाज़िर करे इसी तरह अगर राहिन ने मुरतहिन को यह हुक्म दिया कि मरहून को बैअ़ कर डाले उसने बेच डाला और अभी उसके स॒मन पर मुरतहिन ने क़ब्ज़ा नहीं किया है राहिन यह नहीं कह सकता कि स॒मने मरहून ब'मन्ज़िलाए मरहून है (यानी गिरवी रखी हुई चीज़ की तै शुदा क़ीमत गिरवी रखी हुई चीज़ के क़ायम मुक़ाम है) लिहाज़ा उसे हाज़िर लाओ क्योंकि जब स॒मन पर क़ब्ज़ा ही नहीं हुआ है तो क्योंकर हाज़िर करे हाँ स॒मन पर क़ब्ज़ा कर लिया तो अब बेशक स॒मन को हाज़िर करना होगा कि यह स॒मन मरहून के क़ाइम मक़ाम है। (हिदाया)

मसअला.41:– राहिन यह कहता है कि मरहून चीज़ मुझे देदो मैं उसे बेचकर तुम्हारा दैन अदा करूँगा मुरतहिन को इस पर मजबूर नहीं किया जायेगा कि मरहून को देदे। यूंही अगर कुछ हिस्सा दैन का अदा कर दिया है कुछ बाक़ी है या मुरतहिन ने कुछ दैन मुआफ़ कर दिया है कुछ बाक़ी है राहिन यह कहता है कि मरहून का एक जुज़ मुझे देदिया जाये क्योंकि मेरे ज़िम्मे कुल दैन बाक़ी न

रहा इस सूरत में भी मुरतहिन पर यह ज़रूर नहीं कि मरहून का जुज़ वापस करे जब तक पूरा दैन अदा न होजाये या मुरतहिन मुआफ़ न करदे वापस करने पर मजबूर नहीं हाँ अगर दो चीज़ें रहन रखी हैं और हर एक के मुक़ाबिल में दैन का हिस्सा मुक़र्रर कर दिया है मस्लन सौ रुपये क़र्ज़ लिये और दो चीज़ें रहन कीं कहदिया कि साठ रुपये के मुक़ाबिल में यह है और चालीस के मुक़ाबिल में वह तो इस सूरत में जिसके मुक़ाबिल का दैन अदा किया उसे छुड़ा सकता है कि यहाँ हक़ीक़तन दो अक़्द हैं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.42:– मुरतहिन के ज़िम्मे मरहून की हिफ़ाज़त लाज़िम है और यहाँ हिफ़ाज़त का वही हुक्म है जिसका बयान वदीअत में गुज़र चुका कि ख़ुद हिफ़ाज़त करे या अपने अहल व अयाल की हिफ़ाज़त में देदे यहाँ अयाल से मुराद वह लोग हैं जो इसके साथ रहते सहते हों जैसे बीवी, बच्चे, ख़ादिम और अजीरे ख़ास यानी नौकर जिस की माहवार या शश्माही या सालाना तन्ख़्वाह दी जाती हो मज़दूर जो रोज़ाना पर काम करता हो मस्लन एक दिन की उसे इतनी उजरत दीजायेगी उसकी हिफ़ाज़त में नहीं दे सकता औरत मुरतहिन है तो शौहर की हिफ़ाज़त में दे सकती है बीवी और औलाद अगर अयाल में न हो जब भी उनकी हिफ़ाज़त में दे सकता है जिन दो शख़्सों के मा'बैन शिरकते मुफ़ावज़ा या शिरकते इनान है उनमें एक के पास कोई चीज़ रखी गई तो शरीक की हिफ़ाज़त में दे सकता है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.43:– उन लोगों के सिवा किसी और की हिफ़ाज़त में चीज़ देदी या किसी के पास वदीअत रखी या इजारा या आ़रियत के तौर पर देदी या किसी और तरह इसमें तअ़द्दी की मस्लन किताब रहन थी उसको पढ़ा या जानवर पर सवार हुआ ग़र्ज़ यह कि किसी सूरत से बिला'इजाज़ते राहिन इस्तेअ़माल में लाये बहर सूरत पूरी क़ीमत का तावान उसके ज़िम्मे वाजिब है और मुरतहिन उन सब सूरतों में ग़ासिब के हुक्म में है इस वजह से पूरी क़ीमत का तावान वाजिब होता है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.44:– अंगूठी रहन रखी मुरतहिन ने छंगुलिया में पहनली पूरी क़ीमत का ज़ामिन होगया कि यह मरहून को बिला इजाज़त इस्तेअ़माल करना है दहने हाथ की छंगुलिया में पहने या बायें हाथ में दोनों का एक हुक्म है कि अंगूठी दोनों तरह आदतन पहनी जाती है और छंगुलिया के सिवा किसी दूसरी उंगली में डाल ली तो ज़ामिन नहीं कि आदतन इस तरह पहनी जाती लिहाज़ा इसको पहनना न कहेंगे बल्कि हिफ़ाज़त के लिये उंगली में डाल लेना है। (हिदाया) यह हुक्म उस वक़्त है कि मुरतहिन मर्द हो और अगर औरत के पास अंगूठी रहन रखी तो जिस किसी उंगली में डाले पहनना ही कहा जायेगा कि औरतें सब में पहना करती हैं। (गुनियतु ज़विलअहकाम) कुर्ते को कन्धे पर डाल लिया यानी जो चीज़ जिस तरह इस्तेअ़माल की जाती है उसके सिवा दूसरे तरीक़ पर बदन पर डाल ली उस में कुल क़ीमत का तावान नहीं।

मसअ्ला.45:– मुरतहिन ख़ुद अंगूठी पहने हुए था उसके पास अंगूठी रहन रखी गई अपनी अंगूठी पर रहन वाली अंगूठी को भी पहन लिया या एक शख़्स के पास दो अंगूठियाँ रहन रखी गईं उसने दोनों एक साथ पहनलीं यहाँ यह देखा जायेगा कि यह शख़्स अगर उन लोगों में है जो ब'क़स्दे ज़ीनत दो अंगूठियाँ पहनते हैं। (अगर्चे यह शरअ़न ना'जाइज़ है) तो पूरा तावान वाजिब और अगर दोनों अंगूठियाँ पहनने वालों में नहीं तो इस को पहनना नहीं कहा जायेगा बल्कि यह हिफ़ाज़त करना कहा जायेगा। (हिदाया)

मसअ्ला.46:– दो तलवारें रहन रखीं मुरतहिन ने दोनों को एक साथ बाँध लिया ज़ामिन है कि बहादुर दो तलवारें एक साथ लगाया करते हैं और तीन तलवारें रहन रखीं और तीनों को लगा लिया तो ज़ामिन नहीं कि तलवार के इस्तेअ़माल का यह तरीक़ा नहीं। (हिदाया) पहली सूरत में उस वक़्त ज़ामिन है कि ख़ुद मुरतहिन भी दो तलवारें एक साथ लगाने वालों में हो। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.47:– मुरतहिन ने चीज़ इस्तेअ़माल की और हलाक होगई और उसपर पूरी क़ीमत का तावान लाज़िम आया अगर यह क़ीमत उतनी ही है जितना उसका दैन था और क़ाज़ी ने उसी

जिन्स की क़ीमत का फ़ैसला किया जिस जिन्स का दैन है मस्लन सौ रुपये दैन है और क़ीमत भी सौ रुपये क़रार दी तो फ़ैसला करने ही से अदला बदला होगया यानी न लेना न देना और अगर दैन की मिक़दार ज़्यादा है तो मुरतहिन राहिन से बक़िया दैन को मुतालबा करेगा और अगर क़ीमत दैन से ज़्यादा है तो राहिन मुरतहिन से यह ज़्यादती वसूल करेगा और अगर दैन एक जिन्स का है और क़ाज़ी ने क़ीमत दूसरी जिन्स से लगाई मस्लन दैन रुपया है और मरहून की क़ीमत अशर्फ़ियों से लगाई या इसका अक्स तो यह क़ीमत मुरतहिन के पास बजाए उस हलाक'शुदा चीज़ के रहन है यानी राहिन जब दैन अदा करेगा तब इस क़ीमत के वसूल करने का मुस्तहक़ होगा इसी तरह अगर दैन मीआदी हो और अभी मीआद बाक़ी है तो अगर्चे क़ीमत इसी जिन्स से लागई हो मुरतहिन के पास यह क़ीमत रहन होगी जब मीआद पूरी होजायेगी उस क़ीमत को दैन में वसूल करेगा।(दुर्रेमुख़्तार)

शय मरहून के मसारिफ़ का बयान

मसअ्ला.1:– मरहून (रहन रखी हुई चीज़) की हिफ़ाज़त में जो कुछ सर्फ़ होगा वह सब मुरतहिन के ज़िम्मे है कि हिफ़ाज़त खुद उसी के ज़िम्मे है लिहाज़ा जिस मकान में मरहून को रखे उसका किराया और हिफ़ाज़त करने वाले की तन्ख़्वाह मुरतहिन अपने पास से ख़र्च करे और अगर जानवर को रहन रखा है तो उसके चराने की उजरत और मरहून का नफ़्क़ा मस्लन उसका खाना, पीना और लोन्डी, गुलाम को रहन रखा है तो उन का लिबास भी और बाग़ रहन रखा है तो दरख़्तों को पानी देने, फल तोड़ने और दूसरे कामों की उजरत राहिन के ज़िम्मे है उसी तरह ज़मीन का उश्र या ख़िराज भी राहिन के ज़िम्मे है। (हिदाया)

मसअ्ला.2:– जो मसारिफ़ मुरतहिन के ज़िम्मे हैं अगर यह शर्त करली जाये कि यह भी राहिन ही के ज़िम्मे होंगे तो बा'वजूद शर्त भी राहिन के ज़िम्मे नहीं होंगे बल्कि मुरतहिन ही को देने होंगे ब'ख़िलाफ़े वदीअत कि उसमें अगर मुवद्दअ् ने यह शर्त करली है कि हिफ़ाज़त के मसारिफ़ मोदेअ् के ज़िम्मे होंगे तो शर्त सहीह है (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.3:– मरहून को मुरतहिन के पास वापस लाने में जो सर्फ़ा (ख़र्चा) हो मस्लन वह भाग गया इस को पकड़ लाने में कुछ ख़र्च करना होगा या मरहून के किसी अज़ू (बदन के हिस्से) में ज़ख़्म हो गया या उसकी आँख सफ़ेद पड़गई या किसी क़िस्म की बीमारी है उनके इलाज में जो कुछ सर्फ़ा हो वह मज़मून व अमानत पर तक़सीम किया जाये यानी अगर मरहून की क़ीमत दैन से ज़ाइद हो तो इस सूरत में बताया जा चुका है कि बक़द्रे दैन मुरतहिन के ज़मान में है और जो कुछ दैन से ज़ाइद है वह अमानत है लिहाज़ा यह सर्फ़ा दोनों पर तक़सीम हो जो हिस्सा मुरतहिन के ज़मान के मुक़ाबिल में आये वह मुरतहिन के ज़िम्मे है और जो अमानत के मुक़ाबिल हो वह राहिन के ज़िम्मे और अगर मरहून की क़ीमत दैन से ज़ाइद न हो तो यह सारे मसारिफ़ मुरतहिन के ज़िम्मे होंगे(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– जो मसारिफ़ एक के ज़िम्मे वाजिब थे उन्हें दूसरे ने अपने पास से कर दिया इसकी दो सूरतें हैं अगर उसने खुद ऐसा किया है जब तो मुतबर्रेअ् (अच्छा काम) है वसूल नहीं कर सकता और अगर क़ाज़ी के हुक्म से ऐसा किया है और क़ाज़ी ने कहदिया है कि जो कुछ ख़र्च करोगे दूसरे के ज़िम्मे दैन होगा इस सूरत में वसूल कर सकता है। और अगर क़ाज़ी ने ख़र्च करने का हुक्म देदिया मगर यह नहीं कहा कि दूसरे के ज़िम्मे दैन होगा तो इस सूरत में भी वसूल नहीं कर सकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.5:– मरहून पर ख़र्च करने की ज़रूरत है और वहाँ क़ाज़ी नहीं है कि उससे इजाज़त हासिल करता यहाँ महज़ मुरतहिन का यह कह देना काफ़ी नहीं है कि ज़रूरत की वजह से ख़र्च किया है बल्कि गवाहों से साबित करना होगा कि ज़रूरत थी और इस लिये ख़र्च किया था कि वसूल करेगा।

किस चीज़ को रहन रख सकते हैं

मसअ्ला.1:– मुशाअ् (चीज़ का हिस्सा) को मुतलक़न रहन रखना जाइज़ है वह चीज़ रहन रखते वक़्त ही मुशाअ् थी या बादे रहन शुयूअ् (हिस्से) आया वह चीज़ क़ाबिले क़िस्मत हो या नाक़ाबिले तक़सीम हो अजनबी के पास रहन रखे या शरीक के पास सब सूरतें ना'जाइज़ हैं पहले की मिसाल यह है

कि किसी ने अपना निस्फ़ मकान रहन रख दिया इस निस्फ़ को मुम्ताज़ नहीं किया बाद में शुयूअ पैदा हुआ उस की मिसाल यह है कि पूरी चीज़ रहन रखी फिर दोनों ने निस्फ़ में रहन फ़स्ख़ कर दिया। मसलन राहिन ने किसी को हुक्म करदिया कि वह मरहून को जिस तरह चाहे बैअ़ करदे उसने निस्फ़ को बैअ़ कर दिया बाक़ी सूरतों की मिसालें ज़ाहिर हैं। (हिदाया)

मसअ्ला.2:– मुशाअ़ को रहन रखना फ़ासिद है या बातिल सहीह यह है कि बातिल नहीं बल्कि फ़ासिद है लिहाज़ा मरहून पर मुरतहिन का अगर क़ब्ज़ा होगया तो यह क़ब्ज़ा क़ब्ज़ा–ए–ज़मान है कि मरहून अगर हलाक होजाये तो वही हुक्म है जो रहन सहीह का था। (दुर्रेमुख़्तार)

फ़ायदा:– रहन फ़ासिद व बातिल में फ़र्क़ यह है कि बातिल वह है जिस में रहन की हक़ीक़त ही न पाई जाये कि जिस चीज़ को रहन रखा वह माल ही न हो या जिसके मुक़ाबिल में रखा वह माल मज़मून न हो और फ़ासिद वह है कि रहन की हक़ीक़त पाई जाये मगर जवाज़ की शर्तों में से कोई शर्त मफ़क़ूद हो (यानी कोई शर्त न पाई जाती हो) जिस तरह बैअ़ में फ़ासिद व बातिल का फ़र्क़ है यहाँ भी है। (शरम्बुलाली)

मसअ्ला.3:– ऐसी चीज़ रहन रखी जो दूसरी चीज़ के साथ मुत्तसिल है यानी उस की ताबेअ़ है यह रहन भी ना'जाइज़ है जैसे दरख़्त पर फल हैं और सिर्फ़ फलों को रहन रखा या सिर्फ़ ज़राअ़त या सिर्फ़ दरख़्त को रहन रखा ज़मीन को नहीं या उन का अ़क्स यानी दरख़्त को रहन रखा फल को नहीं या ज़मीन को रहन रखा ज़राअ़त और दरख़्त को नहीं रखा। (हिदाया)

मसअ्ला.4:– दरख़्त को सिर्फ़ उतनी ज़मीन के साथ रहन रखा जितनी ज़मीन में दरख़्त है बाक़ी आस पास की ज़मीन नहीं रखी यह जाइज़ है और इस सूरत में दरख़्त के फल भी तब्अ़न रहन में दाख़िल होजायेंगे इसी तरह ज़मीन रहन रखी या गाँव को रहन रखा तो जो कुछ दरख़्त हैं यह भी तब्अ़न रहन होजायेंगे। (हिदाया) इस में और पहली सूरतों में फ़र्क़ यह है कि पहली सूरतों में मुत्तसिल चीज़ के रहन करने की नफ़ी करदी लिहाज़ा सहीह नहीं और यहाँ तवाबेअ़ के मुतअ़ल्लिक़ सुकूत है लिहाज़ा यह तब्अ़न दाख़िल हैं।

मसअ्ला.5:– जो चीज़ किसी बर्तन या मकान में है फ़क़त चीज़ को रहन रखा बर्तन या मकान को रहन नहीं रखा यह जाइज़ है कि इस सूरत में इत्तिसाल नहीं है। (हिदाया)

मसअ्ला.6:– काठी और लगाम रहन रखी और घोड़ा कसा कसाया मुरतहिन को देदिया यह रहन ना'जाइज़ है बल्कि इस सूरत में यह ज़रूरी है कि उन चीज़ों को घोड़े से उतारकर मुरतहिन को दे और घोड़ा रहन रखा और काठी लगाम समेत मुरतहिन को देदिया यह जाइज़ है या साज़ भी तब्अ़न रहन में दाख़िल होजायेंगे। (हिदाया)

मसअ्ला.7:– आज़ाद को रहन नहीं रख सकते कि यह माल नहीं और शराब को रहन रखना भी जाइज़ नहीं कि इस की बैअ़ नहीं हो सकती जायदादे मौक़ूफ़ा को भी रहन नहीं रखा जासकता(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– तीस रुपये क़र्ज़ लिये और दो बकरियाँ रहन रखीं एक को दस के मुक़ाबिल दूसरी को बीस के मुक़ाबिल मगर यह नहीं बयान किया कि कौनसी दस के मुक़ाबिल है और कौनसी बीस के मुक़ाबिल यह ना'जाइज़ है क्योंकि अगर एक हलाक होगई तो यह झगड़ा होगा कि यह किस के मुक़ाबिल थी ताकि उसके मुक़ाबिल का दैन साक़ित होना क़रार पाये। (आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– मकान को रहन रखा और राहिन व मुरतहिन दोनों उस मकान के अन्दर हैं राहिन ने कहा मैंने यह मकान तुम्हारे क़ब्ज़े में दिया और मुरतहिन ने कहा कि मैंने क़बूल किया रहन तमाम न हुआ जब तक राहिन मकान से बाहर होकर मुरतहिन को क़ब्ज़ा न दे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– अमानतों के मुक़ाबिल में कोई चीज़ रहन नहीं रखी जा सकती मसलन वकील या मुज़ारिब को जो माल दिया जाता है वह अमानत है या मौदअ़ के पास वदीअ़त अमानत है उन लोगों से माल वाला कोई चीज़ रहन के तौर पर ले यह नहीं हो सकता अगर लेगा तो यह रहन नहीं न उस पर रहन के अहकाम जारी होंगे लिहाज़ा अगर किसी ने किताबें वक़्फ़ की हैं और यह शर्त कर

दी है कि जो शख़्स कुतुबख़ाना से कोई किताब ले जाये तो उसके मुक़ाबिल में कोई चीज़ रहन रख जाये यह शर्त बातिल है कि मुस्तईर के पास आ़रियत अमानत है उसके तलफ़ होने पर ज़मान नहीं फिर उसके मुक़ाबिल में रहन रखना क्योंकर सहीह होगा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार) वक़्फ़ी किताबों का ख़ासकर इस लिये ज़िक्र किया गया कि यहाँ वाक़िफ़ की शर्त का भी एअ़तिबार नहीं वरना हुक्म यह है कि कोई चीज़ आ़रियत दी जाये उसके मुक़ाबिल में रहन नहीं हो सकता।

मसअ्ला.11:– शिरकत की चीज़ शरीक के पास है दूसरा शरीक उससे कोई चीज़ रहन रखवाये सहीह नहीं कि यह भी अमानत है मबीअ़ बाइअ़ के पास है अभी उसने मुश्तरी को दी नहीं मुश्तरी उससे रहन नहीं रखवा सकता कि मबीअ़ अगर्चे अमानत नहीं मगर बाइअ़ के पास अगर हलाक हो जाये तो स्मन के मुक़ाबिल में हलाक होगी यानी बाइअ़ मुश्तरी से स्मन नहीं ले सकता या ले चुका है तो वापस करे लिहाज़ा रहन का हुक्म भी जारी न हुआ। (हिदाया)

मसअ्ला.12:– दरक के मुक़ाबिल में रहन नहीं हो सकता यानी एक चीज़ ख़रीदी स्मन अदा करदिया और मबीअ़ पर क़ब्ज़ा करलिया मगर मुश्तरी को डर है कि यह चीज़ अगर किसी दूसरे की हुई और उसने मुझसे लेली तो बाइअ़ से स्मन की वापसी क्योंकर होगी इस इत्मीनान की ख़ातिर बाइअ़ की कोई चीज़ अपने पास रहन रखना चाहता है यह रहन सहीह नहीं मुश्तरी के पास अगर यह चीज़ हलाक होगी तो ज़मान नहीं कि यह रहन नहीं है बल्कि अमानत है और मुश्तरी को इसका रोकना जाइज़ नहीं यानी बाइअ़ अगर मुश्तरी से चीज़ मांगे तो मनअ़ नहीं कर सकता देना होगा। (दुरर, ग़ुरर) और चूंकि यह चीज़ मुश्तरी के पास अमानत है और उसको रोकने का हक़ नहीं है लिहाज़ा बाइअ़ की तलब के बाद अगर न देगा और हलाक होगई तो अब तावान देना होगा। अब वह ग़ासिब है।

मसअ्ला.13:– किसी चीज़ का नर्ख़ चुकाकर बाइअ़ के यहाँ से ले गया और अभी ख़रीदी नहीं हाँ ख़रीदने का इरादा है और बाइअ़ ने उससे कोई चीज़ रहन रखवाली यह जाइज़ है इस बारे में यह चीज़ मबीअ़ के हुक्म में नहीं है। (ज़ैलई)

मसअ्ला.14:– दैन मौऊ़द के मुक़ाबिल में रहन रखना जाइज़ है जिसका ज़िक्र पहले होचुका कि मस्लन किसी से क़र्ज़ मांगा और उसने देने का वअ़दा कर लिया है मगर अभी दिया नहीं क़र्ज़ लेने वाला उसके पास कोई चीज़ रहन रख आया यह रहन सहीह है। (हिदाया)

मसअ्ला.15:– जिस सूरत में क़िसास वाजिब है वहाँ रहन सहीह नहीं और ख़ता के तौर पर जनायत हुई कि इसमें दियत वाजिब होगी यहाँ रहन सहीह है कि मरहून से अपना हक़ वसूल कर सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.16:– ख़रीदार पर शुफ़अ़ हुआ और शफ़ीअ़ के हक़ में फ़ैसला हुआ कि तस्लीमे मबीअ़ मुश्तरी पर वाजिब होगई शफ़ीअ़ यह चाहे कि मुश्तरी की कोई चीज़ रहन रखलूँ यह नहीं हो सकता जिस तरह बाइअ़ से मुश्तरी मबीअ़ के मुक़ाबिल में रहन नहीं ले सकता मुश्तरी से शफ़ीअ़ भी नहीं ले सकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– जिन सूरतों में इजारा बातिल है ऐसे इजारा में उजरत के मुक़ाबिल कोई चीज़ रहन नहीं हो सकती कि शरअ़न यहाँ उजरत वाजिब ही नहीं कि रहन सहीह हो मस्लन नोहा करने वाली की उजरत या गाने वाले की उजरत नहीं दी है इस के मुक़ाबिल में रहन नहीं हो सकता। (दुर्रेमुख़्तार) जिन सूरतों में रहन सहीह न हो उनमें मरहून अमानत होता है कि हलाक होने से ज़मान नहीं और राहिन के तलब करने पर मरहून को दे देना होगा। अगर रोकेगा तो ग़ासिब क़रार पायेगा और तावान वाजिब होगा।

मसअ्ला.18:– ग़ासिब से मग़सूब के मुक़ाबिल में कोई चीज़ रहन ली जा सकती है यह रहन सहीह है उसी तरह बदले ख़ुलअ़ और बदले सुलह के मुक़ाबिल में रहन हो सकता है मस्लन औरत ने हज़ार रुपये पर ख़ुलअ़ कराया और रुपया उस वक़्त नहीं दिया रुपये के मुक़ाबिल में शौहर के पास

कोई चीज़ रहन रखदी यह रहन सहीह है या किसास वाजिब था मगर किसी रक़म पर सुलह होगई इस के मुक़ाबिल में रहन रखना सहीह है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.19:– मकान या कोई चीज़ किराये पर ली थी और किराये के मुक़ाबिल में मालिक के पास कोई चीज़ रहन रखदी यह रहन जाइज़ है फिर अगर मुद्दते इजारा पूरी होने के बाद वह चीज़ हलाक हुई तो गोया मालिक ने किराया वसूल पा लिया अब मुतालबा नहीं कर सकता और अगर मुस्ताजिर (किरायादार) के मनफ़अत हासिल करने से पहले चीज़ हलाक होगई तो रहन बातिल है मुरतहिन पर वाजिब है कि मरहून की क़ीमत राहिन को दे। (आलमगीरी)

मसअला.20:– दर्ज़ी को सीने के लिये कपड़ा दिया और सीने के मुक़ाबिल में उससे कोई चीज़ अपने पास रहन रखवाई यह जाइज़, और अगर उसके मुक़ाबिल में रहन है कि तुमको खुद सीना होगा यह रहन ना'जाइज़ है यूंही कोई चीज़ आरियत दी और इस चीज़ की वापसी में बारबर्दारी सर्फ़ होगी लिहाज़ा मुईर ने मुस्तईर से कोई चीज़ वापसी के मुक़ाबिले में रहन रखवाई यह जाइज़ है और अगर यूँ रहन रखवाई कि तुम को खुद पहुँचानी होगी तो ना'जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअला.21:– बैअ़े सलम के रासुल'माल के मुक़ाबिल में रहन सहीह है और मुसलम फ़ी के मुक़ाबिले में भी सहीह है। इसी तरह बैअ़ सर्फ़ के समन के मुक़ाबिले में रहन सहीह है। पहले की सूरत यह है कि किसी शख़्स से मसलन सौ रुपये में सलम किया और उन रुपयों के मुक़ाबिल में कोई चीज़ रहम रखदी। दूसरे की यह सूरत है कि दस मन गेहूँ में सलम किया और रुपये देदिये और मुसलम इलैहि से कोई चीज़ रहन लेली। तीसरे की यह सूरत है कि रुपये से सोना ख़रीदा और रुपये की जगह पर कोई चीज़ सोने वाले को देदी। पहली और तीसरी सूरत में अगर मरहून उसी मज्लिस में हलाक होजाये तो अक़्दे सलम व सर्फ़ तमाम होगये(यानी बैअ़ सलम और सोने चाँदी की बैअ़ का अक़्द मुकम्मल होगया)और मुरतहिन ने अपना माल वसूल पा लिया यानी बैअ़ सलम में रासुलमाल मुसलम इलैहि को मिल गया और बैअ़ सर्फ़ में ज़रे समन वसूल होगया (यानी तयशुदा क़ीमत वसूल होगई) मगर यह उस वक़्त है कि मरहून की क़ीमत रासुल'माल और समने सर्फ़ से (यानी सोने चाँदी की बैअ़ में मुक़र्ररा रक़म से) कम न हो और अगर क़ीमत कम है तो बक़द्र क़ीमत सहीह है माबकिया (जो बाक़ी रही) को अगर उसी मज्लिस में न दिया तो उसके मुक़ाबिल में सहीह न रहा और अगर मरहून उस मज्सिल में हलाक न हुआ और आक़िदैन (राहिन और मुरतहिन) जुदा होगये और रासुलमाल व समने सर्फ़ उस मज्सिल में न दिया तो अक़्दे सलम व सर्फ़ बातिल होगये कि उन दोनों अक़्दों में उसी मज्लिस में देना ज़रूरी था जो पाया न गया। और इस सूरत में चूंकि अक़्द बातिल होगये लिहाज़ा मुरतहिन राहिन को मरहून वापस दे और फ़र्ज़ करो मुरतहिन ने अभी वापस नहीं दिया था और मरहून हलाक होगया तो रासुल'माल व समने सर्फ़ के मुक़ाबिल में हलाक होना माना जायेगा यानी वसूल पाना क़रार दिया जायेगा मगर वह दोनों अक़्द अब भी बातिल ही रहेंगे अब जाइज़ नहीं होंगे। दूसरी सूरत यानी मुसलम फ़ी के मुक़ाबिल में रब्बुस्सलम ने अपने पास कोई चीज़ रहन रखी उसमें अक़्दे सलम मुतलक़न सहीह है मरहून इसी मज्लिस में हलाक हो या न हो दोनों के जुदा होने के बाद हो या न हो कि रासुलमाल पर क़ब्ज़ा जो मज्लिसे अक़्द में ज़रूरी था होचुका और मुसलम फ़ी के क़ब्ज़े की ज़रूरत थी ही नहीं लिहाज़ा इस सूरत में अगर मरहून हलाक होजाये मज्लिस में या बादे मज्लिस बहर सूरत अक़्दे सलम तमाम है। और रब्बुस्सलम को गोया मुसलम फ़ी वसूल होगया यानी मरहून के हलाक होने के बाद अब मुसलम फ़ी का मुतालबा नहीं कर सकता हाँ अगर मरहून की क़ीमत कम हो तो बक़द्रे क़ीमत वसूल समझा जाये बाक़ी बाक़ी है। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.22:– रब्बुस्सलम ने मुसलम फ़ी के मुक़ाबिल में अपने पास चीज़ रहन रख़ली थी और दोनों ने अक़दे सलम को फ़स्ख़ कर दिया तो जब तक रासुल'माल वसूल न होजाये यह चीज़ रासुल'माल के मुक़ाबिल है यानी मुसलम इलैहि यह नहीं कह सकता कि सलम फ़स्ख़ होगया

हमे बड़ी मुसर्रत हो रही है कि अल्लाह त'आला और उसके हबीब सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम के हुक्म फ़ज़्ल-ओ-करम से और बुज़ुर्गाने दीन सिलसिला-ए-क़ादिरिया बिलख़ुसूस पिराने पीर दस्तगीर हुज़ूर ग़ौस-ए-आज़म शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रादिअल्लाहु त'आला अन्हू के फ़ैज़ से क़िताब बहार-ए-शरीअत (हिस्सा **11** से **20**) हिंदी में पीडीएफ **[PDF]** में आप की खिदमत में पेश की जा रही है।

ज़माना-ए- क़दीम से अवमुन्नास की इस्लाहे हाल और हिदायते उख़रवी व दुनयवी के लिए हक़ सदाक़त के जाम की फ़राहमी की जाती रही है और ये इलतेज़ाम ख़ालिक़-ए-क़ायनात जल्ला जलालहु ने ब अहसान अपनी मख़लूक़ के लिए फ़रमाया है। अम्बिया व मुर्सलीन के बेहतरीन दौर के बाद उसने यह ख़िदमत अपने मुक़र्रबीन रिज़वानुल्लाह त'आला अलैहिम अजमईन के सुपुर्द की और यह सिलसिला अला हालही जारी व सारि है।

मज़हब-ए-इस्लाम अल्लाह त'आला का पसंदीदा दीन है । ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नही जिसके लिए इस्लाम ने हमे क़ानून न दिया हो ।

आज जिस दौर से हम गुज़र रहे है हमारा मुस्लिम तबका उर्दू की तरफ ध्यान नही दे रहा है और नई नस्ल तो बिल्कुल ही उर्दू से नावाक़िफ़ होती जा रही है । नतीजे के तौर पर दीनी और मज़हबी दिलचस्पियाँ कम हो रही है और हम अपने हाल को ग़ैर मुंज़बित तरीके पे छोड़े रहते है ।

लिहाज़ा ये किताब हिंदी में लिखी गई है और आप सब की आसानी के लिए हम ने इस किताब को पीडीएफ फ़ाइल में आप की ख़िदमत में पेश किया है।
आप सब से हमारी गुज़ारिश है कि अपनी मसरूफ ज़िन्दगी में से रोज़ाना वक़्त निकाल कर बुज़ुर्गो की तस्नीफ़ करदा किताबो को मुताला में रखें , इंशा अल्लाह त'आला दीन और दुनिया दोनो में मक़बूल होंगे।

दुआओं के तलबगार

वसीम अहमद रज़ा खान और साथी
+91-8109613336

लिहाज़ा मरहून वापस दो। हाँ जब मुसलम इलैहि रासुल'माल वापस करदे तो मरहून को वापस ले सकता है और फ़र्ज़ करो कि रासुल'माल वापस नहीं दिया और रब्बुस्सलम के पास वह चीज़ हलाक होगई तो मुसलम फ़ी के मुक़ाबिल में उसका हलाक होना समझा जायेगा यानी रब्बुल'माल मुसलम फ़ी की मिस्ल मुसलम इलैहि को दे और अपना रासुल'माल वापस ले यह नहीं कि उसको रासुल माल के क़ाइम मक़ाम फ़र्ज़ करके रासुल'माल की वसूली क़रार दें। (हिदाया)

मसअला.23:– सोना, चाँदी, रुपये, अशर्फ़ी और मकील व मौज़ून को रहन रखना जाइज़ है फिर उनको रहन रखने की दो सूरतें हैं। दूसरी जिन्स के मुक़ाबिल में रहन रखा या ख़ुद अपनी ही जिन्स के मुक़ाबिल में रखा। पहली सूरत में यानी ग़ैर जिन्स के मुक़ाबिल में अगर हो मस्लन कपड़े के मुक़ाबिल रुपया अशर्फ़ी या जौ, गेहूँ को रहन रखा और यह मरहून हलाक होजाये तो उसकी क़ीमत का एअ्तिबार होगा और इस सूरत में खरे, खोटे का लिहाज़ होगा यानी अगर उसकी क़ीमत दैन की बराबर या ज़ाइद है तो दैन वसूल समझा जायेगा और अगर कुछ कमी है तो जो कमी है इतनी राहिन से ले सकता है। और अगर दूसरी सूरत है यानी अपनी हम जिन्स के मुक़ाबिल में रहन है मस्लन चाँदी को रुपया के मुक़ाबिल में या सोने को अशर्फ़ी के मुक़ाबिल में या गेहूँ को गेहूँ के मुक़ाबिल रहन रखा और मरहून हलाक होगया तो वज़न व कैल (नाप) का एअ्तिबार होगा। और इस सूरत में खरे खोटे का एअ्तिबार नहीं होगा मस्लन सौ रुपये क़र्ज़ लिये और चाँदी रहन रखी और यह ज़ाइअ् होगई और यह चाँदी सौ रुपये भर या ज़ाइद थी तो दैन वसूल समझा जाये यह नहीं कहा जा सकता कि सौ रुपये भर चाँदी की मालियत सौ रुपये से कम है और सौ रुपये भर से कुछ कमी है तो इतनी कमी वसूल कर सकता है। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.24:– सोने, चाँदी की कोई चीज़ मस्लन बर्तन या ज़ेवर को अपनी हम जिन्स के मुक़ाबिल में रहन रखा और चीज़ टूट गई अगर इसकी क़ीमत वज़न की ब'निस्बत कम है तो ख़िलाफ़े जिन्स से इसकी क़ीमत लगाकर इस क़ीमत को रहन क़रार दिया जाये और टूटी हुई चीज़ का मुरतहिन मालिक होगया और राहिन को इख़्तियार है कि दैन अदा करके वह चीज़ लेले और अगर उस की क़ीमत वज़न की ब'निस्बत ज़्यादा है तो दूसरी जिन्स से क़ीमत लगाई जायेगी और मुरतहिन पूरी क़ीमत का ज़ामिन है और यह क़ीमत उसके पास रहन होगी और मुरतहिन उस टूटी हुई चीज़ का मालिक हो जायेगा। मगर राहिन को यह इख़्तियार होगा कि पूरा दैन अदा करके फ़क्के रहन (यानी गिरवी रखी हुई चीज़ को छुड़ाना) कराले। (तबईन)

मसअला.25:– एक शख़्स से दस दिरहम क़र्ज़ लिये और अंगूठी रहन रखदी जिसमें एक दिरहम चाँदी है और नौ दिरहम का नगीना है और मुरतहिन के पास से अंगूठी ज़ाइअ् होगई तो गोया दैन वसूल होगया और अगर नगीना टूट गया तो उसकी वजह से अंगूठी की क़ीमत में जो कुछ कमी हुई उतना दैन साक़ित् और अगर अंगूठी टूट गई और उसकी क़ीमत एक दिरहम से ज़्यादा है तो पूरी क़ीमत का ज़मान है मगर यह ज़मान दूसरी जिन्स मस्लन सोने से लिया जाये। (आलमगीरी)

मसअला.26:– पैसे रहन रखे थे और उनका चलन बन्द होगया यह ब'मन्ज़िला हलाक है और अगर पैसों का नर्ख़ सस्ता होगया इस का एअ्तिबार नहीं। (आलमगीरी)

मसअला.27:– तश्त, लोटा या कोई और बर्तन रहन रखा और वह टूटगया इस का एअ्तिबार नहीं।

मसअला.28:– तश्त, लोटा या कोई रहन रखा और वह टूट गया अगर वह वज़न से बिकने की चीज़ न हो तो जो कुछ नुक़सान हुआ उतना दैन साक़ित् और अगर वह वज़न से बिके तो राहिन को इख़्तियार है कि दैन अदा करके अपनी चीज़ वापस ले या उसकी जो कुछ क़ीमत हो उतने में मुरतहिन के पास छोड़ दे। (आलमगीरी)

मसअला.29:– पराई चीज़ बेचदी और समन के मुक़ाबिल में मुश्तरी से कोई चीज़ रहन रखवाली मालिक ने दोनों बातों को जाइज़ कर दिया यह बैअ् जाइज़ है मगर रहन जाइज़ नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.30:– कोई चीज़ बैअ् की और मुश्तरी से यह शर्त करली कि फुलाँ मुअय्यन चीज़ स्मन के मुक़ाबिल रहन रखे यह जाइज़ है और अगर बाइअ् ने यह शर्त की कि फुलाँ शख़्स स्मन का कफ़ील होजाये और वह शख़्स वहाँ हाज़िर है उसने क़बूल कर लिया यह भी जाइज़ है और अगर बाइअ् ने कफ़ील को मुअय्यन नहीं किया है या मुअय्यन कर दिया है मगर वह वहाँ मौजूद नहीं है और उसके आने और क़बूल करने से पहले बाइअ् व मुश्तरी जुदा होगये तो बैअ् फ़ासिद होगई इसी तरह अगर रहन के लिये कोई चीज़ मुअय्यन नहीं की है तो बैअ् फ़ासिद होगई मगर जब कि उसी मज्लिस में दोनों ने रहन को मुअय्यन कर लिया या उसी मज्लिस में मुश्तरी ने स्मन अदा कर दिया तो बैअ् सहीह होगई मज्लिस बदल जाने के बाद मुअय्यन रहन या अदा–ए–स्मन से बैअ् का फ़साद दफ़अ् नहीं होगा। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.31:– बाइअ् ने मुअय्यन चीज़ रहन रखने की शर्त की थी और मुश्तरी ने यह शर्त मन्ज़ूर भी करली थी इस सूरत में मुश्तरी ने अगर वह चीज़ रहन न रखी तो बाइअ् को इख़्तियार है कि बैअ् को फ़स्ख़ करदे मगर जब कि मुश्तरी स्मन अदा करदे या जो चीज़ रहन रखने के लिये मुअय्यन हुई थी उसी क़ीमत की दूसरी चीज़ रहन रखदे तो अब बैअ् को फ़स्ख़ नहीं कर सकता(दुर्रे०)

मसअ्ला.32:– कोई चीज़ ख़रीदी और मुश्तरी ने बाइअ् को कोई चीज़ देदी कि उसे रखे जब तक मैं दाम न दूँ तो यह चीज़ रहन होगई और अगर जो चीज़ ख़रीदी है उसी के मुतअ़ल्लिक़ कहा कि उसे रखे रहो जब तक दाम न दूँ तो इस में दो सूरतें हैं अगर मुश्तरी ने उस पर क़ब्ज़ा कर लिया था फिर बाइअ् को यह कहकर देदी कि उसे रखे रहो तो यह रहन भी सहीह है और अगर मुश्तरी ने क़ब्ज़ा नहीं किया था और मबीअ् के मुतअ़ल्लिक़ वह अलफ़ाज़ कहे तो रहन सहीह नहीं कि वह तो बिग़ैर कहे भी स्मन के मुक़ाबिल में महबूस (क़ैद में) है बाइअ् बिग़ैर स्मन लिये देने से इन्कार कर सकता है। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.33:– मुश्तरी न चीज़ ख़रीदकर बाइअ् के पास छोड़दी कि उसे रखे रहो दाम देकर ले जाऊंगा और मुश्तरी चीज़ लेने नहीं आया और चीज़ ऐसी है कि ख़राब होजायेगी मस्लन गोश्त है कि रखा रहने से सड़ जायेगा या बर्फ़ है जो घुल जायेगी बाइअ् को ऐसी चीज़ का दूसरे के हाथ बैअ् कर देना जाइज़ है जैसे मालूम है कि यह चीज़ दूसरे की ख़रीदी हुई है उसको ख़रीदना भी जाइज़ है मगर बाइअ् ने अगर ज़ाइद दामों से बेचा तो जो कुछ पहले स्मन से ज़ाइद है उसे सदक़ा करदे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.34:– दाइन ने मदयून की पगड़ी लेली कि मेरा दैन देदोगे उस वक़्त पगड़ी दूँगा अगर मदयून भी राज़ी होगया और छोड़ आया तो रहन है ज़ाइअ् होगी तो रहन के अहकाम जारी होंगे और अगर राज़ी नहीं है मस्लन यह कमज़ोर है उस से छीन नहीं सकता था तो रहन नहीं बल्कि ग़स्ब है। (दुर्रेमुख़्तार)

बाप या वसी का नाबालिग़ की चीज़ को रहन रखना

मसअ्ला.1:– बाप के ज़िम्मे दैन है वह अपने नाबालिग़ लड़के की चीज़ दाइन के पास रहन रख सकता है इसी तरह वसी भी ना'बालिग़ की चीज़ को अपने दैन के मुक़ाबिल में रहन रख सकता है फिर अगर यह चीज़ मुरतहिन के पास हलाक होगई तो यह दोनों बक़द्रे दैन ना'बालिग़ को तावान दें और मिक़दारे दैन से मरहून की क़ीमत ज़ाइद हो तो ज़्यादती का तावान नहीं कि यह अमानत थी जो हलाक होगई। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– बाप या वसी ने ना'बालिग़ की चीज़ अपने दाइन के पास रखी थी फिर उस दाइन को उन्होंने चीज़ बेच डालने के लिये कहदिया उसने बेचकर अपना दैन वसूल कर लिया यह भी जाइज़ है मगर बक़द्रे स्मन ना'बालिग़ को देना होगा इसी तरह अगर उन दोनों ने ना'बालिग़ की चीज़ अपने दैन के बदले में ख़ुद बैअ् करदी यह भी जाइज़ है और इस स्मन और दैन में मुक़ास्सा (अदला बदला) होजायेगा। फिर ना'बालिग़ को अपने पास से बक़द्रे स्मन अदा करें।

मसअ्ला.3:– ख़ुद ना'बालिग़ लड़के का बाप के ज़िम्मे दैन है उसके मुक़ाबिल में बाप ने उसके

पास कोई चीज़ रहन रखदी यह भी जाइज़ है और इस सूरत में उस चीज़ पर उसका क़ब्ज़ा ना'बालिग़ की तरफ़ से होगा और इस का अक्स भी जाइज़ है यानी बाप का बेटे पर दैन था और उसकी चीज़ अपने पास रहन रखली यह दोनों सूरतें वसी के हक़ में ना'जाइज़ हैं कि न अपनी चीज़ उसके पास रहन रख सकता है न उसकी अपने पास। (हिदाया)

मसअला.4:– एक शख़्स के दो ना'बालिग़ लड़के हैं और एक का दूसरे पर दैन है उनका बाप मदयून की चीज़ दाइन के पास रहन रख सकता है और दो ना'बालिग़ों का वसी यह नहीं कर सकता कि एक की चीज़ को दूसरे की तरफ़ से रहन रखले। (हिदाया)

मसअला.5:– बाप और ना'बालिग़ लड़के दोनों पर दैन है और बाप ने ना'बालिग़ की चीज़ दोनों के मुक़ाबिल में रहन रखदी यह जाइज़ है और इस सूरत में अगर मरहून चीज़ मुरतहिन के पास हलाक होगई तो बाप के दैन के मुक़ाबिल में मरहून का जितना हिस्सा था उतने का लड़के को तावान दे वसी और दादा का भी यही हुक्म है। (हिदाया)

मसअला.6:– बाप पर दैन है वह बालिग़ लड़के की चीज़ उस दैन के मुक़ाबिल में रहन नहीं रख सकता कि ना'बालिग़ पर उसकी विलायत नहीं उसी तरह ना'बालिग़ के दैन में बालिग़ की चीज़ गिरवी नहीं रख सकता और अगर बालिग़ व ना'बालिग़ दोनों की मुश्तरक चीज़ है इसको भी रहन नहीं रख सकता। (आलमगीरी)

मसअला.7:– बाप पर दैन है उसने बालिग़ व ना'बालिग़ लड़कों की मुश्तरक चीज़ को रहन रख दिया यह ना'जाइज़ है जब तक बालिग़ से इजाज़त हासिल न करले और मरहून हलाक होजाये तो बालिग़ के हिस्से का ज़ामिन है। (आलमगीरी)

मसअला.8:– बाप ने ना'बालिग़ लड़के की चीज़ रहन रखदी थी फिर बाप मरगया और वह ना'बालिग़ होकर यह चाहता है कि मैं अपनी चीज़ मुरतहिन से ले लूँ तो जब तक दैन अदा न कर दे चीज़ नहीं ले सकता फिर अगर ख़ुद बाप पर दैन था जिस के मुक़ाबिल में गिरवी रखी थी और लड़के ने अपने माल से दैन अदा करके चीज़ लेली तो बक़द्र दैन बाप के तर्का से वसूल कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअला.9:– माँ को यह इख़्तियार नहीं है कि अपने ना'बालिग़ लड़के की चीज़ रहन रखदे हाँ अगर वह वसिया है या जो शख़्स ना'बालिग़ के माल का वली है उसकी तरफ़ से इजाज़त हासिल है तो रख सकती है। (आलमगीरी)

मसअला.10:– वसी ने यतीम के खाने और लिबास के लिये उधार ख़रीदा और उसके मुक़ाबिल में यतीम की चीज़ रहन रखदी यह जाइज़ है इसी तरह अगर यतीम के माल को तिजारत में लगाया और उसकी चीज़ दूसरे के पास रखदी या दूसरे की चीज़ उसके लिये रहन में ली यह भी जाइज़ है।(हिदाया)

मसअला.11:– वसी ने बच्चे के लिये कोई चीज़ उधार ली थी और उसकी चीज़ रहन रखदी थी फिर मुरतहिन के पास से बच्चे ही की ज़रूरत के लिये मांग लाया और चीज़ ज़ाइअ़ होगई तो चीज़ रहन से निकल गई और बच्चे ही का नुक़सान हुआ इस सूरत में दैन का कोई जुज़ उसके मुक़ाबिल में साक़ित नहीं होगा और अगर अपने काम के लिये वसी मुरतहिन से मांग लाया है और चीज़ हलाक होगई तो वसी के ज़िम्मे तावान है कि यतीम की चीज़ को अपने लिये इस्तेअ़माल करने का हक़ न था। (हिदाया)

मसअला.12:– वसी ने यतीम की चीज़ रहन रखदी फिर मुरतहिन के पास से ग़स्ब कर लाया और अपने काम में इस्तेअ़माल की और चीज़ हलाक होगई अगर उस चीज़ की क़ीमत बक़द्रे दैन है तो अपने पास से दैन अदा करे और यतीम के माल से वसूल नहीं कर सकता और अगर दैन से उस की क़ीमत कम है तो बक़द्रे क़ीमत अपने पास से मुरतहिन को दे और मा'बक़िया यतीम के माल से अदा करे और अगर क़ीमत दैन से ज़्यादा है तो दैन अपने पास से अदा करे और जो कुछ चीज़ की क़ीमत दैन से ज़ाइद है यह ज़्यादती यतीम को दे क्योंकि इस ने दोनों के हक़ में तअ़द्दी ज़्यादती की

और अगर ग़स्ब करके यतीम के इस्तेअ्माल में लाया और हलाक हुई तो मुरतहिन के मुक़ाबिल ज़ामिन है यतीम के मुक़ाबिल में नहीं या'नी अगर चीज़ की क़ीमत दैन से ज़ाइद है तो इस ज़्याद का तावान उस के ज़िम्मे नहीं होगा। (हिदाया)

मसअ्ला.13:– वसी ने यतीम की चीज़ अपने ना'बालिग़ लड़के के पास रहन रखदी यह ना'जाइ है और बालिग़ लड़के या अपने बाप के पास रखदी यह जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– वसी ने वुरसा के ख़र्च और हाजत के लिये चीज़ उधार ली और उनकी चीज़ रह रखदी अगर यह सब वुरसा बालिग़ हैं तो ना'जाइज़ है और सब नाबालिग़ हैं तो जाइज़ है और बा बालिग़ बाज़ ना'बालिग़ हैं तो बालिग़ के हक़ में नाजाइज़ और नाबालिग़ के बारे में जाइज़। (आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– मय्यित पर दैन है वसी ने तर्का को एक दाइन के पास रहन रख दिया य ना'जाइज़ है दूसरे दाइन इस रहन को वापस ले सकते हैं और अगर सिर्फ़ एक ही शख़्स का दैन है तो इस के पास रहन रख सकता है और मय्यित का दूसरे पर दैन है तो वसी मदयून की चीज़ अपने पास रहन रख सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.16:– राहिन मर गया तो उसका वसी रहन को बेचकर दैन अदा कर सकता है और राहिन का वसी कोई नहीं है तो क़ाज़ी किसी को उसका वसी मुक़र्रर करे और उसे हुक्म देगा कि चीज़ बेचकर दैन अदा करे। (आलमगीरी)

रहन या राहिन या मुरतहिन कई हों उसका बयान

मसअ्ला.1:– हज़ार रुपये क़र्ज़ लिये और दो चीज़ रहन रखीं तो दोनों चीज़ें पूरे दैन के मुक़ाबिले में रहन हैं यह नहीं हो सकता कि एक के हिस्से का दैन अदा करके फ़क्के रहन कराले (या'नी गिरवी चीज़ छुड़ाले) जब तक पूरा दैन अदा न करले एक को भी नहीं छुड़ा सकता। हाँ अगर रहन रखते वक़्त हर एक के मुक़ाबिल में दैन का हिस्सा नाम'ज़द कर दिया हो मसलन यह कह दिया हो कि छः सौ के मुक़ाबिल में यह है और चार सौ के मुक़ाबिल में यह है और अदा करते वक़्त कह दिया कि उसके मुक़ाबिल का दैन अदा करता हूँ तो उसका फ़क्के रहन हो सकता है कि यह एक रहन नहीं बल्कि दो अ़क़्द हैं। (ज़ैलई, दुर्रेमुख़्तार) और अगर दो चीज़ें रहन रखीं और यह कह दिया कि इतने दैन के मुक़ाबिल में एक और इतने के मुक़ाबिल में दूसरी मगर यह मुअ़य्यन नहीं किया कि किसके मुक़ाबिल में कौन है तो रहन सहीह नहीं। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.2:– दो शख़्सों के पास एक चीज़ रहन रखी उसकी कई सूरतें हैं अगर यह कहदिया कि आधी इस के पास रहन है और आधी उसके पास यह ना'जाइज़ कि मुशाअ़ का रहन ना'जाइज़ है और अगर इस क़िस्म की तफ़सील नहीं की है और एक ने क़बूल किया दूसरे ने ना'मन्ज़ूर किया जब भी सहीह नहीं और दोनों ने क़बूल कर लिया तो वह चीज़ पूरी पूरी दोनों के पास रहन है इस की ज़रूरत नहीं कि दोनों ने इस शख़्स को मुश्तरक तौर पर दैन दिया हो दोनों में शिरकत हो या न हो बहर हाल वह चीज़ दोनों के पास रहन है राहिन अपनी चीज़ उसी वक़्त ले सकता है कि दोनों का पूरा पूरा दैन अदा करदे और एक पूरा दैन अदा कर दिया तो पूरी चीज़ उसी के पास रहन है जिसका दैन बाक़ी है। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:– दो शख़्सों के पास एक चीज़ रहन रखी और वह चीज़ क़ाबिले तक़सीम है दोनों तक़सीम करके आधी आधी अपने क़ब्ज़े में करलें और इस सूरत में अगर पूरी चीज़ एक ही के क़ब्ज़े में देदी तो जिस ने दी वह ज़ामिन है। और अगर चीज़ नाक़ाबिले तक़सीम है तो दोनों बारियाँ मुक़र्रर करलें अपनी अपनी बारी में हर एक पूरी चीज़ अपने क़ब्ज़े में रखे इस सूरत में वह चीज़ जिसके पास उसकी बारी में है तो दूसरे की तरफ़ से उसका हुक्म यह है कि जैसे किसी मोअ़तबर आदमी के पास शय मरहून होती है। (जिस का बयान आयेगा) (ज़ैलई)

मसअ्ला.4:– दो शख़्सों के पास चीज़ रहन रखी और वह हलाक होगई तो हर एक अपने हिस्से के

मुताबिक़ ज़ामिन है मस्लन एक शख़्स के दस रुपये थे दूसरे के पाँच थे और दोनों के पास एक चीज़ तीस रुपये की रहन रखदी उस चीज़ के दो हिस्से ज़ाइअ् होगये एक हिस्सा बाक़ी है तो यह हिस्सा जो बाक़ी रहगया है दोनों पर तक़सीम होगा यानी दो तिहाईयाँ दस वाले की और एक तिहाई पाँच वाले की यानी दस वाले की दो तिहाईयाँ साक़ित होगईं एक तिहाई बाक़ी है यानी तीन रुपये पाँच आने चार पाई और पाँच वाले की दो तिहाईयाँ साक़ित हुईं एक तिहाई बाक़ी है यानी एक रुपया दस आने आठ पाई। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.5:– दो शख़्सों पर एक शख़्स का दैन है दोनों ने एक चीज़ दाइन के पास रहन रखी यह रहन सहीह है और पूरे दैन के मुक़ाबले में चीज़ गिरवी है दोनों के एक साथ इससे दैन लिया हो या अलग अलग दोनों सूरतों का एक हुक्म है फिर अगर एक ने अपना दैन अदा करदिया तो चीज़ को वापस नहीं ले सकता जब तक दूसरा भी अपने ज़िम्मे का दैन अदा न करदे। (हिदाया)

मसअ्ला.6:– मदयून ने दाइन को दो कपड़े दिये और यह कहा कि उनमें से जिस को चाहो रहन रखलो उस ने दोनों रख लिये कोई भी रहन न हुआ जब तक एक को मुअय्यन न करले और वह ज़ामिन नहीं होगा और ज़ाइअ् होने से दैन साक़ित नहीं होगा इसी तरह अगर बीस रुपये बाक़ी थे दाइन ने मांगे मदयून ने इसके पास सौ रुपये डाल दिये कि तुम उनमें से अपने बीस लेलो और अभी उसने लिये नहीं कि यह सब रुपये ज़ाइअ् होगये तो मदयून के गये दाइन का दैन बिहालिही बाक़ी। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मुतफ़र्रिक़ात

मसअ्ला.1:– शय मरहून को किसी ने ग़सब कर लिया तो इसका वही हुक्म है जो हलाक होने ज़ाइअ् होने का है क़ीमत और दैन में जो कम है उसका ज़ामिन है यानी अगर दैन उसकी क़ीमत के बराबर या कम है तो दैन साक़ित होगया और क़ीमत कम है तो बक़द्रे क़ीमत साक़ित बाक़ी दैन मदयून से वसूल करे और अगर ख़ुद मुरतहिन ही ने ग़स्ब किया यानी बिला'इजाज़ते राहिन चीज़ को इस्तेमाल किया और हलाक हुई तो पूरी क़ीमत का ज़ामिन है अगर्चे क़ीमत दैन से ज़्यादा हो(दुर्रेमु0)

मसअ्ला.2:–मुरतहिन राहिन की इजाज़त से चीज़ को इस्तेअ्माल कर रहा था उस हालत में कोई छीन लेगया तो यह ग़स्ब हलाक के हुक्म में नहीं यानी इस सूरत में दैन बिल्कुल साक़ित नहीं होगा बल्कि इस हालत में हलाक होजाये जब भी दैन ब'दस्तूर बाक़ी रहेगा कि अब वह रहन न रहा बल्कि आरियत व अमानत है हाँ इस्तेअ्माल से फ़ारिग़ होने पर फिर रहन होजायेगा और रहन के अहकाम जारी होंगे। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.3:– राहिन ने मुरतहिन से कहा कि चीज़ दलाल को देदो उसने देदी और ज़ाइअ् होगई तो मुरतहिन उसका ज़ामिन नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– रहन में कोई मीआद नहीं होसकती मस्लन इतने दिनों के लिये रहन रखता हो मीआद मुक़र्रर करने से अक़्दे रहन फ़ासिद होजायेगा और इस सूरत में चीज़ हलाक होजाये तो ज़ामिन है और वही अहकाम हैं जो रहन सहीह के हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.5:– राहिन ने मुरतहिन से कहा चीज़ को बेचडालो और राहिन मरगया मुरतहिन इस को बैअ् करसकता है वुरसा को मना करने का हक़ नहीं और वुरसा इस बैअ् को तोड़ भी नहीं सकते(दु0)

मसअ्ला.6:– राहिन ग़ाइब होगया पता नहीं कि कहाँ है मुरतहिन इस मुआमला को क़ाज़ी के पास पेश करे क़ाज़ी उसको बेचकर दैन अदा कर सकता है और राहिन मौजूद है और दैन अदा नहीं करता उसको मजबूर किया जायेगा कि मरहून को बेचकर दैन अदा करे और न माने तो क़ाज़ी या अमीने क़ाज़ी बेचकर दैन अदा करदे और दैन का कुछ जुज़ बाक़ी रहजाये तो राहिन ही उसका ज़िम्मेदार है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.7:– दरख़्त को रहन रखा उसमें फल आये मुरतहिन फलों को बैअ् नहीं कर सकता अगर्चे यह अन्देशा हो कि ख़राब हो जायेंगे अल्बत्ता इस मुआमला को क़ाज़ी के पास पेश कर सकता है

और अगर वहाँ क़ाज़ी ही न हो या इतना मौक़ा नहीं कि क़ाज़ी के पास मुआमला पेश किया जाये यानी चीज़ जल्द ख़राब हो जायेगी तो ख़ुद मुरतहिन भी बैअ् कर सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

किसी मोअ्तबर शख़्स के पास शय मरहून को रखना

मसअ्ला.1:– अक़्दे रहन में राहिन व मुरतहिन दोनों ने यह शर्त की कि मरहून चीज़ फुलाँ शख़्स के पास रख दी जायेगी यह सहीह है और उसके क़ब्ज़ा कर लेने से रहन मुकम्मल होगया यह शख़्स मुरतहिन तसव्वुर किया जायेगा इसके पास से चीज़ ज़ाइअ् होगई तो वही अहकाम हैं जो मुरतहिन के पास हलाक होने में होते हैं ऐसे मोअ्तबर शख़्स को अ़दल कहते हैं क्येंकि राहिन व मुरतहिन ने उसे आ़दिल व मोअ्तबर समझ रखा है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.2:– रहन में यह शर्त थी कि मुरतहिन का क़ब्ज़ा होगा फिर दोनों ने ब'इत्तिफ़ाक़े राय आ़दिल के पास रख दिया यह सूरत भी जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– दैन मीआ़दी था और मोअ्तबर शख़्स को यह कह दिया था कि जब मीआ़द पूरी हो जाये रहन को बैअ् कर डाले और मीआ़द पूरी होगई मगर अभी तक चीज़ पर उस का क़ब्ज़ा ही नहीं तो रहन बातिल होगया मगर बैअ् की वकालत इस के लिये ब'दस्तूर बाक़ी है अब भी बैअ् कर सकता है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.4:– जब ऐसे शख़्स के पास चीज़ रखदी गई तो चीज़ को न राहिन ले सकता है न मुरतहिन और अगर उसने उन में से किसी को देदी तो इससे वापस लेकर अपने पास रखे और अगर उस के पास तलफ़ होगई तो ज़ामिन होगया यानी चीज़ की क़ीमत उससे तावान में ली जायेगी यानी राहिन व मुरतहिन दोनों मिलकर उससे तावान वसूल करें और उसको उसी के पास या किसी दूसरे के पास बतौर रहन रख दें यह नहीं हो सकता कि वह शख़्स बतौरे ख़ुद क़ीमत को अपने पास बतौर रहन रखले। (हिदाया) अगर अ़क़्दे रहन में उसके पास रखने की शर्त न थी और रख दिया गया इस सूरत में राहिन या मुरतहिन उससे ले और वह ज़ामिन नहीं होगा। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.5:– आ़दिल से क़ीमत का तावान लेकर फिर उसी के पास या दूसरे के पास रहन रखा गया और फ़र्ज़ करो कि उसने मरहून राहिन को दिया था और उस के पास हलाक हुआ इस सूरत में राहिन जब दैन अदा करदेगा तो वह तावान आ़दिल को वापस मिल जायेगा कि मुरतहिन को दैन वसूल होगया लिहाज़ा तावान लेने का मुस्तहक़ नहीं और राहिन को ख़ुद उसकी मरहून शय वसूल हो चुकी थी फिर उस तावान को क्योंकर ले सकता है। और अगर आ़दिल से मुरतहिन ने लिया था तो दैन अदा करने के बाद यह तावान की रक़म राहिन को मिलेगी क्योंकि राहिन की चीज़ का यह बदला है चीज़ नहीं मिली और हलाक होगई तो तावान जो उसके क़ाइम मक़ाम है उसे मिलेगा। रही यह बात कि आ़दिल ने मुरतहिन को दिया था और उसके पास हलाक हुआ तो मुरतहिन से इस ज़मान को रुजूअ् कर सकता है या नहीं इसमें तफ़सील है अगर मुरतहिन को बतौर आ़रियत या वदीअ़त दिया है तो रुजूअ् नहीं कर सकता जब कि मुरतहिन के पास हलाक होगया हो उसने ख़ुद हलाक न किया हो और अगर मुरतहिन ने ख़ुद हलाक कर दिया हो तो रुजूअ् कर सकता है और अगर मुरतहिन को बतौर रहन दिया हो यह कह दिया हो कि तुम्हारा जो हक़ है उसमें ले जाओ तो इस सूरत में बहर हाल मुरतहिन से ज़मान वापस लेगा। (हिदाया, इनाया)

मसअ्ला.6:– राहिन ने मुरतहिन को या आ़दिल को या किसी और शख़्स को बैअ् का वकील कर दिया था यह कह दिया था कि जब दैन की मीआ़द पूरी होजाये तो तुम इस को बेच डालना या मुतलक़न वकील करदिया है मीआ़द पूरी होने की क़ैद नहीं लगाई है यह तौकील (वकील बनाना) सहीह है इस वकील का बेचना जाइज़ है। बशर्ते कि जिस वक़्त उसे वकील किया है उस वक़्त उस में बैअ् की अहलियत हो और अगर अहलियत न हो तो यह तौकील सहीह नहीं मसलन एक छोटे बच्चे को बैअ् मरहून का वकील किया वह बच्चा अब बालिग़ होगया और बेचना चाहता है बैअ्

नहीं कर सकता कि वह वकील ही नहीं हुआ। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– अक़्दे रहन में बैअ् मरहून की वकालत शर्त थी कि मुरतहिन या फ़ुलाँ शख़्स उस चीज़ को बैअ् कर देगा इस वकील को राहिन अगर मअ्ज़ूल करना चाहे नहीं कर सकता यानी मअ्ज़ूल करे तो भी मअ्ज़ूल नहीं होगा और यह वकालत ऐसी है कि न राहिन के मरने से ख़त्म हो न मुरतहिन के मरने से और इस वकील के लिये यह ज़रूरी नहीं कि राहिन या मुरतहिन की मौजूदगी ही में बैअ् करे न यह ज़रूरी कि वह मर गये हों तो उनके वुरसा की मौजूदगी में बैअ् करें(हिदाया)

मसअ्ला.8:– वकील के मरजाने से वकालत बातिल होजायेगी उस का वारिस् या वसी उसका क़ाइम मक़ाम नहीं होगा कि वकालत उसी के दम के साथ वा'बस्ता थी यह वकील दूसरे शख़्स को बैअ् करने का वसी नहीं बना सकता मगर जबकि वकालत में उसकी शर्त हो तो वसी बना सकता है([illegible])

मसअ्ला.9:– वकालत मुतलक़ थी तो नक़्द और उधार दोनों तरह बेचने का उसे इख़्तियार हासिल है उसके बाद अगर उधार बेचने से मनअ् करदे तो इसका कुछ अस्र नहीं यानी मुमानअत के बाद भी उधार बेच सकता है। (हिदाया)

मसअ्ला.10:– राहिन ग़ाइब है और मीआद पूरी होगई वकील बेचने से इनकार करता है तो उसको बेचने पर मजबूर किया जायेगा बल्कि अक़्दे रहन में बैअ् की शर्त न थी बाद में राहिन ने किसी को बैअ् का वकील करदिया यह भी बैअ् से इन्कार नहीं कर सकता उसे भी बेचने पर मजबूर किया जायेगा। (हिदाया)

मसअ्ला.11:– रहन में वकालते बैअ् शर्त थी और फ़र्ज़ करो मरहून के बच्चा पैदा होगया तो बच्चे को भी यह वकील बैअ् कर सकता है दूसरे वकीलों को इस क़िस्म का इख़्तियार नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.12:– जिस जिन्स का दैन था उस के ख़िलाफ़ दूसरी जिन्स से उस वकील ने बैअ् की और दैन रुपया था और उसने अशर्फ़ी के बदले में बैअ् की तो उस ज़रे स्मन को जिन्से दैन से बैअ् सर्फ़ कर सकता है यानी अशर्फ़ियाँ रुपये से भुना सकता है दूसरे वकील को यह इख़्तियार हासिल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.13:– राहिन ने बैअ् का किसी को वकील कर दिया है तो न राहिन बैअ् कर सकता है न मुरतहिन हाँ दूसरे की रज़ा'मन्दी हासिल करके यह दोनों बैअ् कर सकते हैं यानी राहिन मुरतहिन से रज़ा'मन्दी हासिल करे या मुरतहिन राहिन से। (हिदाया)

मसअ्ला.14:– उस आदिल ने मरहून को बैअ् कर दिया तो मरहून चीज़ रहन से ख़ारिज होगई और यह स्मन इसके क़ाइम मक़ाम होगया अगर्चे अभी स्मन पर क़ब्ज़ा न हुआ हो लिहाज़ा अगर स्मन हलाक होगया मस्लन मुश्तरी से वसूल ही न हुआ या आदिल के पास से ज़ाइअ् होगया तो मुरतहिन का हलाक हुआ यानी दैन साक़ित होगया और इस सूरत में मरहून की वाजिबी क़ीमत का लिहाज़ नहीं होगा बल्कि ख़ुद स्मन को देखा जायेगा यानी जितना स्मन से है उतना दैन साक़ित अगर्चे वाजिबी क़ीमत कम हो या ज़ाइद। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.15:– आदिल ने मरहून को बेचकर ज़रे स्मन मुरतहिन को देदिया और इस मरहून शय में इस्तिहक़ाक़ हुआ यानी किसी और शख़्स ने साबित कर दिया कि यह चीज़ मेरी है अगर मबीअ् मुश्तरी के पास मौजूद है तो मुस्तहक़ इस मबीअ् को मुश्तरी से ले लेगा और मुश्तरी अपना ज़रे'स्मन इस आदिल से वसूल करेगा और आदिल इस राहिन से वसूल करेगा और इस सूरत में मुरतहिन का ज़रे स्मन पर क़ब्ज़ा सहीह होगया, और यह भी हो सकता है कि आदिल मुरतहिन से स्मन वापस ले और मुरतहिन राहिन से अपना दैन वसूल करे और अगर वह चीज़ मुश्तरी के पास हलाक हो चुकी है तो मुस्तहक़ राहिन से मरहून की क़ीमत का तावान ले क्योंकि राहिन ग़ासिब है और इस सूरत में बैअ् भी सहीह होगई और मुरतहिन का ज़रे स्मन पर क़ब्ज़ा भी सहीह होगया और यह भी हो सकता है कि मुस्तहक़ उस आदिल से तावान ले फिर आदिल मुरतहिन से और अब

भी बैअ् और स॒मन पर क़ब्ज़ा सहीह होगया या मुस्तहक़ आदिल से तावान ले और आदिल मुरतहिन से ज़रे स॒मन वापस ले फिर मुरतहिन राहिन से अपना दैन वसूल करे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.15:– मुरतहिन के पास मरहून हलाक होगया इसके बाद उस में इस्तिहक़ाक़ हुआ और मुस्तहक़ ने राहिन से ज़मान लिया तो दैन साक़ित होगया, और अगर मुरतहिन से क़ीमत का ज़मान लिया तो जो कुछ तावान दिया है राहिन से वापस लेगा और अपना दैन भी वसूल करेगा(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.16:– एक शख़्स ने दूसरे से कोई चीज़ ख़रीदी बाइअ् कहता है कि जब तक स॒मन न दोगे मबीअ् पर क़ब्ज़ा नहीं दूँगा और मुश्तरी यह कहता है कि जब तक मबीअ् न दोगे स॒मन नहीं दूँगा दोनों में इस तरह मुसालहत हुई कि मुश्तरी किसी तीसरे के पास स॒मन जमअ् करदे और मबीअ् पर क़ब्ज़ा करले इसने स॒मन जमअ् करदिया मगर तीसरे के पास से ज़ाइअ् होगया तो मुश्तरी का ज़ाइअ् हुआ और अगर यह तै पाया कि तीसरे के पास स॒मन के मुक़ाबिल में कोई चीज़ रहन रखदे उस वक़्त मबीअ् पर क़ब्ज़ा दूँगा उसने रहन रखदी और ज़ाइअ् होगई तो बाइअ् की चीज़ हलाक हुई यानी स॒मन साक़ित होगया। (आलमगीरी)

मरहून में तस॒र्रुफ़ का बयान

मसअ्ला.1:– राहिन ने मरहून को बिग़ैर इजाज़ते मुरतहिन बैअ् कर दिया तो यह बैअ् मौक़ूफ़ है अगर मुरतहिन ने इजाज़त देदी या राहिन ने मुरतहिन का दैन अदा करदिया तो बैअ् जाइज़ व नाफ़िज़ होगई और पहली सूरत में कि मुरतहिन ने इजाज़त देदी वह स॒मन रहन होजायेगा स॒मन मुश्तरी से वसूल हुआ हो या न हुआ हो दोनों का एक हुक्म है और अगर मुरतहिन ने इजाज़त नहीं दी तो अब भी वह बैअ् न बातिल हुई न मुरतहिन के फ़स्ख़ करने से फ़स्ख़ होगी लिहाज़ा मुश्तरी को इख़्तियार है कि फ़क्के रहन(रहन के छूटने)का इन्तिज़ार करे जब रहन छूटजाये अपनी चीज़ लेले और अगर इन्तिज़ार न करना चाहे तो क़ाज़ी के पास मुआमला पेश करदे वह बैअ् को फ़स्ख़ कर देगा(हिदाया)

मसअ्ला.2:– मुरतहिन अगर शय मरहून को बैअ् करे तो यह बैअ् भी इजाज़ते राहिन पर मौक़ूफ़ है वह चाहे तो जाइज़ करदे वरना जाइज़ नहीं और राहिन उस बैअ् को बातिल कर सकता है। मुरतहिन ने बैअ् करदी और चीज़ मुश्तरी के पास राहिन की इजाज़त से पहले ही हलाक होगई तो राहिन अब इजाज़त भी नहीं दे सकता और राहिन को इख़्तियार है दोनों में से जिस से चाहे अपनी चीज़ का ज़मान ले। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.3:– मुरतहिन ने राहिन से कहा कि रहन को फुलाँ के हाथ बैअ् करदो उसने दूसरे के हाथ बेचा यह जाइज़ नहीं और मुस्ताजिर ने मूजिर से कहा कि फुलाँ के हाथ यह मकान बेचदो उसने दूसरे के हाथ बेच दिया यह बैअ् जाइज़ है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.4:– राहिन ने एक शख़्स के हाथ बैअ् की और मुरतहिन की इजाज़त से क़ब्ल दूसरे के हाथ बैअ् करदी यह दूसरी बैअ् भी इजाज़ते मुरतहिन पर मौक़ूफ़ है मुरतहिन जिस एक को जाइज़ कर देगा वह जाइज़ हो जायेगी दूसरी बातिल होजायेगी। (हिदाया)

मसअ्ला.5:– राहिन ने मरहून को बैअ् किया फिर उसको इजारे पर दिया, किसी और के पास रहन रख दिया, या किसी और को हिबा कर दिया, और उन दोनों सूरतों में मुरतहिने स॒ानी या मौहूब'लहू को क़ब्ज़ा भी देदिया उसके बाद मुरतहिने अव्वल ने इजारा या रहन या हिबा को जाइज़ कर दिया तो वह पहली बैअ् जो मौक़ूफ़ थी जाइज़ होगी और यह तस॒र्रुफ़ात ना'जाइज़ होगये। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– राहिन ने मरहून को एक शख़्स के हाथ बैअ् करदिया उसके बाद फिर मुरतहिन के हाथ बेचा तो यह दूसरी बैअ् जाइज़ होगई पहली बातिल होगई। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– मरहून को राहिन ने हलाक कर दिया और दैन ग़ैर मीआदी है या मीआदी था मगर मीआद पूरी हो चुकी है तो मुरतहिन राहिन से अपना दैन वसूल करले और अगर मीआद अभी पूरी नहीं हुई है तो राहिन से उसकी क़ीमत का तावान ले और यह क़ीमत बजाए मरहून रहन में रहे जब मीआद पूरी होजाये

तो बक़द्रे दैन अपने हक़ में वसूल करले कुछ बचे तो वापस करदे और कम हो तो बक़िया राहिन से वसूल करे। यह हुक्म उस वक़्त है कि क़ीमत उसी जिन्स की हो जिस जिन्स का दैन है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– किसी अजनबी ने मरहून को तल्फ़ कर दिया तो उस हलाक करने वाले से तावान लेना मुरतहिन का काम है हलाक करने के वक़्त जो उसकी क़ीमत थी वह क़ीमत तावान में ले और उस में वही तफ़सील है कि मीआद पूरी होगई तो दैन में वसूल करे और मीआद बाक़ी है तो यह क़ीमत रहन में रहे यहाँ एक सूरत यह भी है कि जिस रोज़ चीज़ रहन रखी गई थी उस रोज़ क़ीमत ज़्यादा थी और जिस दिन हलाक हुई उसकी क़ीमत कम होगई तो अजनबी से अगर्चे आज की क़ीमत लेगा मगर मुरतहिन के हक़ में उसी पहली क़ीमत का एअ्तिबार होगा मस्लन फ़र्ज़ करो एक हज़ार रुपया दैन था और चीज़ रहन रखी गई उसकी क़ीमत भी एक हज़ार थी मगर जिस रोज़ अजनबी ने हलाक़ की उसकी क़ीमत पाँच सौ है तो अजनबी से पाँचसौ तावान लेगा और पाँचसौ रुपये दैन के साक़ित होगये जिस तरह आफ़ते समाविया से हलाक होने में दैन साक़ित होता है(हिदाया)

मसअ्ला.9:– खुद मुरतहिन ने मरहून को हलाक करदिया तो उस पर भी तावान वाजिब है फिर अगर दैन की मीआद पूरी होचुकी है और यह क़ीमत जिन्से दैन से है तो दैन वसूल करले और कुछ बचे तो राहिन को वापस दे और यह दोनों बातें न हों तो यह क़ीमत बजाए मरहून रहन में रहेगी उस चीज़ की क़ीमत नर्ख़ सस्ता होने की वजह से कम होगई है तो जितनी कमी हुई उतना दैन साक़ित होगया कि मुरतहिन के हक़ में उसी क़ीमत का एअ्तिबार होगा जो रहन रखने के दिन थी(हिदाया)

मसअ्ला.10:– मुरतहिन ने राहिन को मरहून शय बतौर आरियत देदी मुरतहिन के ज़मान से निकल गई यानी अगर राहिन के यहाँ हलाक होगई तो मुरतहिन पर इसका कुछ अस्र नहीं और देते वक़्त मुरतहिन ने राहिन से कफ़ील (ज़ामिन) लिया था कि उसे वापस कर देगा तो कफ़ील से भी मुरतहिन कोई मुतालबा नहीं कर सकता कि इस चीज़ में रहन का हुक्म बाक़ी ही नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.11:– मुरतहिन ने राहिन को बतौर आरियत मरहून देदिया था उसने फिर वापस कर दिया तो फिर वह चीज़ मुरतहिन के ज़मान में आगई और रहन का हुक्म हस्बे साबिक़ उसमें जारी होगा मुरतहिन को राहिन से वापस लेने का हक़ बाक़ी रहता है क्योंकि आरियत देने से रहन बातिल नही होता। (हिदाया)

मसअ्ला.12:– आरियत की सूरत में मुरतहिन के वापस लेने से क़ब्ल अगर राहिन मरगया तो दूसरे क़र्ज़ ख़्वाहों से मुरतहिन ज़्यादा हक़दार है यानी दूसरे उस मरहून से अपने दैन वसूल नहीं कर सकते जब तक मुरतहिन अपना दैन वसूल न करले उसके वसूल करने के बाद अगर कुछ बचे तो वह लोग ले सकते हैं वरना नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.13:– राहिन व मुरतहिन में से एक ने दूसरे की इजाज़त से मरहून शय किसी अजनबी को बतौर आरियत देदी या अजनबी के पास वदीअत रखदी तो मरहून ज़मान से निकल गया और दोनों में से हर एक को यह इख़्तियार है कि उसे फिर ज़मान में लाये यानी उसे रहन बनादे। (हिदाया)

मसअ्ला.14:– मुरतहिन ने राहिन से मरहून को इस्तेअ्माल करने के लिये आरियत लिया यह आरियत सहीह है मगर इस्तेमाल से पहले या इस्तेमाल के बाद मरहून हलाक हुआ तो मुरतहिन ज़ामिन है यानी वही हुक्म है जो मुरतहिन के पास मरहून के हलाक होने में होता है और अगर हालते इस्तेअ्माल में हुआ तो मुरतहिन के ज़िम्मे कुछ ज़मान नहीं। इसी तरह अगर मुरतहिन को राहिन ने इस्तेअ्माल की इजाज़त देदी है तो हालते इस्तेअ्माल में हलाक होने में ज़मान नहीं है और क़ब्ल या बाद में हलाक हुआ तो ज़मान है। (हिदाया)

मसअ्ला.15:– कुर्आन मजीद या किताब रहन रखी है तो मुरतहिन को उसमें पढ़ना ना'जाइज़ है हाँ अगर राहिन से इजाज़त लेकर पढ़े तो पढ़ सकता है मगर जितनी देर तक पढ़ेगा उतनी देर तक आरियत है फ़ारिग़ होने के बाद रहन है यानी पढ़ते वक़्त हलाक होजाये तो दैन साक़ित नहीं होगा

उसके बाद हलाक हो तो साकित् होजायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.16:– राहिन व मुरतहिन में से एक ने दूसरे की इजाज़त से मरहून को बैअ् कर दिया, इजारे पर देदिया, हिबा कर दिया, या रहन रख दिया उन सब सूरतों में मरहून रहन से ख़ारिज होगया अब वह रहन में वापस नहीं लिया जा सकता जब तक फिर नया अक़्दे रहन न हो और उन सूरतों में अगर राहिन ने मुरतहिन के पास फिर से रहन न रखा और मरगया तो तन्हा मुरतहिन उसका मुस्तहक़ नहीं बल्कि जैसे दूसरे क़र्ज़ ख़्वाह हैं एक यह भी है अपना हिस्सए रसद (जितना उसके हिस्से में आता है) यह भी ले सकता है। (हिदाया) बैअ् व इजारा व हिबा ख़ुद मुरतहिन के हाथ हो या अजनबी के हाथ हो दोनों का एक हुक्म है और ख़ुद राहिन के हाथ मरहून को बैअ् किया तो इस से रहन बातिल न हुआ। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– मुरतहिन की इजाज़त से अजनबी को किराये पर देदिया तो उजरत राहिन की है और बिग़ैर इजाज़त दिया तो उजरत मुरतहिन की है मगर उसको सदक़ा करना होगा और इस सूरत में रहन वापस ले सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.18:– मुरतहिन ने बिग़ैर इजाज़ते राहिन रहन को इजारा पर साल भर के लिये दिया और साल पूरा होने के बाद राहिन ने इजाज़त दी यह इजाज़त सहीह नहीं लिहाज़ा मुरतहिन रहन को वापस ले सकता है और छः माह गुज़रने के बाद इजाज़त दी तो इजाज़त सहीह है पहली सूरत में पूरी उजरत मुरतहिन की है जिसको सदक़ा करे और दूसरी सूरत में निस्फ़ उजरत राहिन की है और निस्फ़ मुरतहिन की, मुरतहिन को जो मिली सदक़ा करदे और इस दूसरी सूरत में चीज़ को मुरतहिन रहन में वापस नहीं ले सकता। (आलमगीरी) इस ज़माने में अकसर ऐसा होता है कि खेत या मकान रहन रख लेते हैं फिर मुरतहिन मकान को किराये पर उठा देता है और खेत को लगान और पट्टे पर देदिया करता है और इस किराया या लगान को ख़ुद खाता है इसका सूद होना तो ज़ाहिर है कि क़र्ज़ के ज़रीआ से नफ़अ् उठाना है मगर इसके साथ यह बताना भी है कि अगर राहिन से इजाज़त हासिल नहीं की है तो उसकी मिल्क में एक ना'जाइज़ तसर्रुफ़ है और यह भी गुनाह है और अगर इजाज़त लेली है तो रहन ख़त्म होगया उसके बाद मुरतहिन का इस चीज़ पर क़ब्ज़ा ना'जाइज़ क़ब्ज़ा और ग़ासिबाना क़ब्ज़ा है यह भी हराम है मुरतहिन पर लाज़िम है कि ऐसे गुनाह के कामों से परहेज़ करे यह न देखे कि अंग्रेज़ी क़ानून हमें इस क़िस्म की इजाज़त दे रहा है बल्कि मुसलमान को यह देखना चाहिए कि शरीअ़त का क़ानून हमें इजाज़त देता है या नहीं क़ानूने शरीअ़त तुम्हारे लिये दुनिया व आख़िरत दोनों जगह नाफ़ेअ् (नफ़ा देने वाला) है अंग्रेज़ी क़ानून से अगर तुम्हें कुछ नफ़अ् पहुँच सकता है तो सिर्फ़ दुनिया ही में और अगर वह ख़ुदा व रसूल जल्ला जलालुहू व सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम के ख़िलाफ़ है तो सख़्त टोटा और नुक़सान है।

मसअ्ला.19:– दुसरे से कोई चीज़ रहन रखने के लिये आ़रियत मांगी उसने देदी उस चीज़ को रहन रखना जाइज़ है फिर अगर मालिक ने कोई क़ैद नहीं लगाई है तो मुस्तईर को इख़्तियार है कि जिसके पास चाहे, जितने में चाहे, जिस शहर में चाहे, रहन रखे उसके ज़िम्मे कोई पाबन्दी नहीं है और अगर मालिक ने मुअ़य्यन कर दिया है कि फुलाँ के पास रखना या फुलाँ शहर में या इतने में रखना तो उसको पाबन्दी करनी ज़रूर है ख़िलाफ़ करने की इजाज़त नहीं और अगर उसने मालिक के कहने के ख़िलाफ़ किया तो मालिक को इख़्तियार है कि अपनी चीज़ मुरतहिन से लेले और रहन को फ़स्ख़ करदे और चीज़ हलाक होगई है तो उसकी पूरी क़ीमत का तावान ले तावान लेने में इख़्तियार है कि राहिन से तावान ले या मुरतहिन से अगर मुस्तईर से ज़मान लिया रहन सहीह होगया और मुरतहिन से ज़मान लिया तो मुरतहिन अपना दैन और ज़मान दोनों राहिन से वसूल करेगा (हिदाया व दुर्रेमुख़्तार) मालिक ने जो क़ैद लगादी है उसकी मुख़ालफ़त इस वजह से नहीं की जा सकती कि मालिक के नुक़सान का अन्देशा है क्योंकि मालिक को अगर ज़रूरत पेश आती

और यह चाहता है कि रहन छुड़ालूँ और जिस रकम के मुकाबिल में उसने रहन रखने को कहा था उससे ज्यादा रकम के मुकाबिल में रहन है तो बसाऔकात मालिक को इस रकम के फराहम करने में दुश्वारी होगी इसी तरह अगर मालिक की बताई हुई रकम से कम में रखी और चीज तल्फ़ हो गई तो कीमती चीज थोड़े से दामों के मुकाबिल में हलाक होगई इस में भी मालिक का नुकसान है। इसी तरह मुरतहिन और जगह की कैद लगाने में फ़वाइद हैं लिहाजा यह कैदें बेकार नहीं हैं कि उन का लिहाज न किया जाये। (हिदाया)

मसअ्ला.20:– मुईर ने जो कैद लगाई थी मुस्तईर ने उसकी मुखालफत की मगर यह मुखालफत मुईर के लिए मुज़िर नहीं बल्कि मुफ़ीद है तो इस सूरत में न मुरतहिन पर ज़मान है न राहिन पर मसलन उसने जितने पर रहन रखने को कहा था उससे कम के मुकाबिल में रखदिया मगर यह कमी चीज की वाजिबी कीमत (राइज कीमत) के बराबर या वाजिबी कीमत से जाइद है मसलन उसने एक हजार में रहन रखने को कहा था और यह चीज पाँच सौ की है कि मुस्तईर ने पाँच सौ या छः सौ गरज हजार से कम में रहन रखदी यह मुखालफत जाइज है कि उसमें मुईर का कुछ नुकसान नहीं क्योंकि हलाक होने की सूरत में वाजिबी कीमत मिलेगी यानी वही पाँच सौ हजार तो मिलेंगे नहीं फिर क्या नुकसान हुआ बल्कि फायदा यह है कि अगर अपनी चीज छुड़ाना चाहेगा तो हजार रूपये फराहम करने नहीं पड़ेंगे जितने में रहन है उतने ही देकर छुड़ा सकेगा। (जैलई)

मसअ्ला.21:– मुईर ने जो कुछ मुस्तईर से कह दिया था मुस्तईर ने उसी के मुवाफिक किया मसलन जितने में रहन रखने को कहा था उतने ही में रखा और फर्ज करो मुरतहिन के पास वह चीज़ हलाक होगई इसकी कई सूरतें हैं उस चीज की कीमत दैन के बराबर है या ज़्यादा या दैन से कम है। पहली दो सूरतों में मुरतहिन का दैन साकित होगया और राहिन यानी मुस्तईर, मुईर को यानी मालिक को बकद्र दैन अदा करे। और दूसरी सूरत में कि दैन से ज़्यादा कीमत है उस ज्यादती का कुछ मुआवजा नहीं और तीसरी सूरत में कि चीज की कीमत दैन से कम है बकद्रे कीमत दैन साकित होगया और बाकी दैन मुरतहिन राहिन से वसूल करेगा और राहिन मुईर को कीमत अदा करेगा और मिस्ली चीज है तो मिस्ल देदे। (हिदाया)

मसअ्ला.22:– मुस्तईर ने आरियत की चीज़ रहन रखी और उसमें मुरतहिन के पास कुछ ऐब पैदा होगया इस ऐब की वजह से चीज की कीमत में कमी हुई वह मुरतहिन के ज़िम्मे है यानी इतनी ही दैन में कमी होगई और उसी के बराबर मुस्तईर मालिक को दे। (हिदाया)

मसअ्ला.23:– मुईर यह चाहता है कि मैं दैन अदा करके अपनी चीज़ छुड़ालूँ तो मुरतहिन फक्के रहन पर (गिरवी रखी हुई चीज के छुड़ाने पर) मजबूर है, यह नहीं कह सकता कि मैं चीज अभी नहीं दूँगा फक्के रहन के बाद मुईर मुस्तईर यानी राहिन से दैन की रकम वसूल करेगा इस फक्के रहन का तबर्रोअ् नहीं कहा जा सकता कि मुस्तईर से रकम वसूल न करने पाये और अगर कोई अजनबी शख्स दैन अदा करके फक्के रहन कराये तो राहिन से वसूल नहीं कर सकता कि यह मुतबर्रेअ् है। यह हुक्म कि मुईर राहिन से दैन की रकम वसूल करेगा उस वक्त है कि दैन उतना ही है जितनी उस चीज की कीमत है और अगर दैन की मिकदार उस चीज से ज़ाइद है तो राहिन से सिर्फ कीमत की बराबर वसूल कर सकता है कीमत से ज़्यादा जो कुछ दिया है वह तबर्रोअ् है उसे नहीं वसूल कर सकता और अगर जो चीज़ की कीमत दैन से जाइद है और मुईर दैन अदा करके छुड़ाना चाहता है तो मुरतहिन इस सूरत में फक्के रहन पर मजबूर नहीं। (दुर्रेमुख्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.24:– रहन रखने के लिये कोई चीज़ आरियत ली थी मुरतहिन ने अभी दैन का वअ्दा ही किया था दिया नहीं था और उसने वह चीज़ रहन रखदी और मुरतहिन के पास हलाक होगई तो मुरतहिन ने जितने दैन का वअ्दा किया था उतना तावान दे और मुईर, मुस्तईर यानी राहिन से इतना वसूल करेगा। (हिदाया)

मसअ्ला.25:– रहन रखने के लिये चीज़ आ़रियत ली थी और रहन रखने से पहले ही मुस्तईर के यहाँ वह चीज़ हलाक होगई या फ़क्के रहन के बाद अभी मुस्तईर के यहाँ थी वापस नहीं की थी और हलाक होगई उन दोनों सूरतों में मुस्तईर पर तावान वाजिब नहीं कि वह चीज़ उस के पास अमानत थी और अगर मुस्तईर ने क़ब्ले रहन या बाद फ़क्के रहन चीज़ को इस्तेअ्माल किया मस्लन घोड़ा था उसपर सवार हुआ, कपड़ा या ज़ेवर था उसे पहना, मगर फिर अपनी इस ह़रकत से बाज़ आया और उसका इस्तेअ्माल तर्क कर दिया और चीज़ हलाक होगई इस सूरत में भी उसके ज़िम्मे तावान नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुह़तार)

मसअ्ला.26:– मुईर व मुस्तईर में इख़्तिलाफ़ है मुईर कहता है कि चीज़ मुरतहिन के यहाँ हलाक हुई लिहाज़ा दैन साक़ित, मुझे ज़मान दो और मुस्तईर कहता है मैंने छुडाली थी मेरे यहाँ चीज़ हलाक हुई लिहाज़ा मुझपर तावान नहीं इस सूरत में राहिन की बात मानी जायेगी यानी क़सम के साथ और जितने में मुईर ने रहन रखने को कहा था उसमें इख़्तिलाफ़ है एक कहता है सौ रुपये में रहन रखने को कहा था दूसरा पचास रुपये बताता है तो मुईर का क़ौल मोअ्तबर है यानी क़सम के साथ। (हिदाया)

मसअ्ला.27:– मुस्तईर मुफ़्लिस (नादार) होगया और इसी ह़ालते इफ़्लास ही में (नादारी की हालत में) मरगया तो आ़रियत की चीज़ जो मुरतहिन के पास रहन है वह ब'दस्तूर रहन है अगर मुरतहिन यह चाहे कि उसे बेच दिया जाये तो जब तक मुईर से रज़ा'मन्दी ह़ासिल न करली जाये बेची नहीं जा सकती कि वही मालिक है और अगर मुईर बेचना चाहता है तो दो सूरतें हैं अगर इतने में फ़रोख़्त होगी कि दैन के लिये पूरा होजाये तो मुरतहिन से इजाज़त ह़ासिल करने की कुछ ज़रूरत नहीं वरना मुरतहिन से इजाज़त लेनी होगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.28:– मुईर मुफ़्लिस होगया और इसी ह़ालत में मरगया और उस के ज़िम्मे दूसरों का दैन है राहिन को हुक्म दिया जायेगा कि अपना दैन अदा करके रहन छुड़ाये फिर इस रहन से मुईर का दैन अदा किया जाये और अगर राहिन भी मुफ़्लिस है कि अपना दैन नहीं अदा कर सकता तो यह चीज़ ब'दस्तूर रहन रहेगी। हाँ अगर वुरसा–ए–मुईर यह चाहें कि मुरतहिन का दैन अदा करके फ़क्के रहन करायें तो उनको इख़्तियार है। मुईर के क़र्ज़ ख़्वाह वुरसा–ए–मुईर से यह कहते हैं कि चीज़ बैअ् करदी जाये अगर बेचने से मुरतहिन का दैन अदा हो सकता है तो बैअ् की जायेगी वरना बिग़ैर इजाज़ते मुरतहिन बैअ् नहीं हो सकती है जैसाकि ख़ुद मुईर की ज़िन्दगी में बिग़ैर मुरतहिन की रज़ा'मन्दी के बैअ् नहीं हो सकती थी और अगर बेचने की सूरत में मुरतहिन का दैन अदा होकर कुछ बच रहेगा मगर इतना नहीं बचेगा कि मुईर के क़र्ज़ ख़्वाहों का पूरा पूरा दैन अदा होजाये तो इस सूरत में उन क़र्ज़ ख़्वाहों की इजाज़त से बैअ् की जाये बिग़ैर इजाज़त बैअ् नहीं हो सकती और उनका भी पूरा दैन अदा होता हो तो इजाज़त की कुछ ज़रूरत नहीं।

रहन में जनायत का बयान

जनायत की कई सूरतें हैं मुरतहिन मरहून पर जनायत करे यानी उसको नुक़सान पहुँचाये या तल्फ़ करदे या राहिन मरहून पर जनायत करे या शय मरहून राहिन पर या मुरतहिन पर जनायत करे। मरहून जनायत करे। इस ⁻ी सूरत यह है कि वह लोन्डी या गुलम है और वह राहिन या मुरतहिन के जान या माल में नुक़सान पहुँचाये या हलाक करे उसको हम बयान करना नहीं चाहते सिर्फ़ राहिन या मुरतहिन की जनायत को मुख़्तसर तौर पर बताना चाहते हैं।

मसअ्ला.1:– राहिन ने मरहून पर जनायात की यानी उसको तलफ़ करदिया या उसमें नुक़सान पहुंचाया इसका वही हुक्म है जो अजनबी की जनायत का है यानी उसको तावान देना होगा यह नहीं समझा जायेगा कि वह तो ख़ुद ही मरहून का मालिक है उसपर तावान कैसा, क्योंकि मरहून के साथ मुरतिहन का ह़क़ मुतअ़ल्लिक़ है और यह तावान मुरतहिन के पास मरहून रहेगा और अगर उसी जिन्स का है जिस जिन्स का दैन है और दैन की मीआद न हो तो अपना दैन उससे वसूल करेगा। (हिदाया, वग़ैरहा)

मसअ्ला.2:– मुरतहिन ने रहन पर जनायत की इसका भी ज़मान है और यह ज़मान अगर जिन्से दैन से है और मीआ़द पूरी होचुकी है तो बक़द्रे ज़मान दैन साकित़ होजायेगा और इसमें से कुछ बचा तो राहिन को वापस करे कि इसकी मिल्क का मुआवज़ा है। (हिदाया)

मसअ्ला.3:– मरहून चीज़ में अगर निर्ख़ (क़ीमत) कम होजाने से नुक़सान पैदा हो तो हलाक होने की सूरत में इस कमी का लिहाज़ नहीं होगा और इसके अजज़ा में कमी हुई तो उसका एअ़तिबार होगा लिहाज़ा एक चीज़ जिसकी क़ीमत सौ रुपये थी सौ रुपये में रहन रखी और अब उसकी क़ीमत पचास रुपये रहगई कि निर्ख़ सस्ता होगया और फ़र्ज़ करो किसी ने उसको हलाक कर दिया तो पचास रूपये तावान लिया जायेगा कि इस वक़्त यही उसकी क़ीमत है तो मुरतहिन को सिर्फ़ यही पचास रुपये मिलेंगे और राहिन से बक़िया रक़म वसूल नहीं कर सकता और अगर राहिन के कहने से मुरतहिन को पचास में बेचे तो बक़िया पचास रुपये राहिन से वसूल करेगा। (हिदाया)

मसअ्ला.4:– जानवर मरहून है उसने मुरतहिन को या उसके माल को हलाक कर दिया उसका कुछ एअ़तिबार नहीं यह वैसा ही है जैसे आफ़ते समाविया (प्राकृतिक आपदा) से हलाक हो। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.5:– राहिन या मुरतहिन के मरने से रहन बाति़ल नहीं होता बल्कि दोनों मर जायें जब भी बाति़ल नहीं होगा बल्कि वुरसा या वसी उस मरे हुए के क़ाइम मक़ाम हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– मुरतहिन अगर चाहे तो खुद ही तन्हा फ़स्ख़े रहन कर सकता है और राहिन फ़स्ख़े रहन नहीं कर सकता जब तक मुरतहिन राज़ी न हो लिहाज़ा मुरतहिन ने फ़स्ख़े रहन कर दिया और राहिन राज़ी न हुआ और इसके बा़द मरहून हलाक होगया तो दैन साकि़त न हुआ कि रहन फ़स्ख़ होचुका है और इसके अ़क्स में या़नी राहिन ने फ़स्ख़ कर दिया और मुरतहिन राज़ी नहीं और चीज़ हलाक होगई तो दैन साकि़त कि रहन फ़स्ख़ नहीं हुआ। (रद्दुलमुहतार) पहली सूरत में दैन साकि़त न होना उस वक़्त है कि मुरतहिन के ज़मान से निकल चुकी हो, वरना सिर्फ़ रहन फ़स्ख़ होने से ज़मान से ख़ारिज नहीं होती जब तक राहिन को वापस न देदे।

मुतफ़र्रिक़ात

मसअ्ला.1:– दस रुपये में बकरी रहन रखी और यह बकरी भी दस रुपये क़ीमत की है फिर यह बकरी बिला ज़िबह किये मरगई और उसकी खाल ऐसी चीज़ से दबाग़त (साफ़ करके किसी रंग से रंगी या पक्की की) की जिसकी कोई क़ीमत नहीं और रहन के दिन खाल की एक रुपया क़ीमत थी तो एक रुपया में रहन है और दो रुपया थी तो दो में रहन है और बैअ़ में यह बात नहीं या़नी बकरी मबीअ़ होती और क़ब्ले क़ब्ज़ा मरजाती तो खाल पका लेने के बा़द भी उसकी बैअ़ सही़ह़ नहीं रहती (हिदाया) और अगर बकरी की क़ीमत दैन से ज़्यादा है मस्लन बीस रुपये क़ीमत की है तो खाल आठ आने में रहन है और अगर क़ीमत कम है मस्लन दैन दस रुपये है और बकरी पाँच ही की है तो खाल छः रुपये में रहन है मगर खाल तलफ़ होजाये तो चूंकि वह एक रुपये की है एक साकि़त होगा और पाँच रुपये राहिन से वसूल करेगा और अगर खाल को ऐसी चीज़ से पकाया है जिसकी कोई क़ीमत है तो मुरतहिन को इस खाल के रोकने का ह़क़ हासि़ल है कि जो कुछ दबाग़त से ज़्यादती हुई है उसे जब तक वसूल न करे राहिन को देने से इनकार कर सकता है(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.2:– मरहून में जो कुछ ज़्यादती हुई मस्लन जानवर रहन था उसके बच्चा पैदा हुआ भेड़, दुम्बा की ऊन दरख़्त के फल, जानवर का दूध यह सब चीज़ें राहिन की मिल्क हैं और यह चीज़ें भी रहन में दाखि़ल हैं या़नी जब तक दैन अदा न करले राहिन उन चीज़ों को मुरतहिन से नहीं ले सकता फिर यह चीज़ें फ़क्के रहन तक (रहन के आज़ाद होने तक) बाक़ी रह जायें तो दैन को अ़स्ल और उस ज़्यादती की क़ीमत पर तक़सीम किया जायेगा और यह चीज़ें पहले ही हलाक होजायें तो उनके मुक़ाबिल में दैन साकि़त नहीं होगा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.3:– मरहून के मुनाफ़ेअ़ मस्लन मकाने मरहून की उजरत यह भी राहिन की हैं और यह

रहन में दाख़िल नहीं अगर हलाक होजाये तो उसके मुक़ाबिल में दैन का कोई जुज़ साक़ित नहीं होगा(दु॰)

मसअ्ला.4:– मरहून से जो चीज़ें पैदा हुईं मस्लन बच्चा, दूध, फल वग़ैरा यह अगर्चे रहन में दाख़िल हैं मगर फ़क्के रहन से क़ब्ल हलाक होजायें तो दैन का कोई हिस्सा उसके मुक़ाबिल में साक़ित नहीं होगा। और अगर ख़ुद रहन हलाक होगया मगर यह पैदावार बाक़ी है तो इस के मुक़ाबिल जितना हिस्सा दैन पड़े उसको अदा करके राहिन उसको हासिल कर सकता है मुफ़्त नहीं ले सकता यानी अस्ल रहन की जो कुछ क़ीमत रहन रखने के दिन थी और इसकी जो क़ीमत फ़क्के रहन के दिन है दोनों पर दैन को तक़सीम किया जाये अस्ल के मुक़ाबिल में जो हिस्सा आये वह साक़ित और उसके मुक़ाबिल में जितना हिस्सा हो अदा करके फ़क्के रहन कराले मस्लन दस रुपये दैन हैं और मरहून भी दस रुपये की चीज़ है और उसका बच्चा पाँच रुपये का है और मरहून हलाक होगया तो दो तिहाई दैन साक़ित होगया एक तिहाई बाक़ी है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.5:– राहिन ने मुरतहिन को ज़वाइद के खा लेने की इजाज़त देदी मस्लन कहदिया कि बकरी का दूध दुहकर पी लेना तुम्हारे लिए हलाल है या दरख़्त के फल खा लेना मुरतहिन ने खालिये इस सूरत में मुरतहिन पर ज़मान नहीं कि मालिक की इजाज़त से चीज़ खाई है और दैन भी उसके मुक़ाबिल में कुछ साक़ित नहीं और इस सूरत में कि मुरतहिन ने ज़वाइद को खालिया और राहिन ने फ़क्के रहन नहीं कराया और यह रहन हलाक होगया तो दैन को अस्ल रहन और उन ज़वाइद पर तक़सीम किया जायेगा जो कुछ अस्ल के मुक़ाबिल है वह साक़ित और जो कुछ ज़वाइद के मुक़ाबिल है राहिन से वसूल करे कि उसके हुक्म से उसका खाना गोया ख़ुद उसी का खा लेना है लिहाज़ा राहिन मुआवज़ा दे। (हिदाया)

मसअ्ला.6:– बाग़ रहन रखा और मुरतहिन ने क़ब्ज़ा कर लिया फिर राहिन को देदिया कि दरख़्तों को पानी दे और बाग़ की निगेहदाश्त करे इससे रहन बातिल नहीं हुआ। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– बाग़ रहन रखा और मुरतहिन को फल खाने की इजाज़त देदी उसके बाद राहिन ने ब'इजाज़ते मुरतहिन बाग़ को बैअ् कर दिया इस सूरत में बाग़ की जगह पर उसका स्मन रहन है और बाग़ में फल अगर बैअ् के बाद पैदा हुए तो मुश्तरी के हैं यानी जब कि राहिन ने दैन अदा कर दिया हो और अगर अदा न किया हो तो जिस तरह बाग़ का स्मन रहन है यह फल भी रहन हैं यानी इस सूरत में मुरतहिन फल को नहीं खा सकता कि राहिन ने अगर्चे फल खाने की इजाज़त देदी थी मगर बाग़ को जब बैअ् कर डाला तो इबाहत जाती रही। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– ज़मीन रहन रखी और मुरतहिन के लिए उसके मुनाफ़ेअ् को मुबाह करदे मुरतहिन ने ज़मीन में काश्त की इस सूरत में मुरतहिन के ज़िम्मे काश्त के मुक़ाबिल में कुछ देना नहीं और बिग़ैर इजाज़ते राहिन मुरतहिन ने काश्त की हो तो ज़मीन में जो कुछ नुक़सान पैदा हुआ हो उसका ज़मान देना होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– ज़मीन रहन रखी राहिन ने ब'इजाज़ते मुरतहिन उसमें काश्त की या दरख़्त लगाये उस से रहन बातिल नहीं हुआ मुरतहिन जब चाहे वापस ले सकता है और राहिन के क़ब्ज़े में जब तक चीज़ है मुरतहिन के ज़मान में नहीं यानी हलाक होने से दैन साक़ित नहीं होगा(दुर्रेमुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.10:– मरहून चीज़ पर इस्तेहक़ाक़ हुआ यानी किसी शख़्स ने अपनी मिल्क साबित करके चीज़ लेली मुरतहिन राहिन को इस पर मजबूर नहीं कर सकता कि उसकी जगह पर दूसरी चीज़ रहन रखे और अगर मरहून के जुज़ में इस्तेहक़ाक़ (हक़ साबित होना) हुआ तो इसकी दो सूरतें हैं। जुज़ व शाइअ् का इस्तेहक़ाक़ हो मस्लन निस्फ़ या रुब्अ् (आधा या चौथाई) तो इस्तेहक़ाक़ के बाद जो हिस्सा बाक़ी है उसमें भी रहन बातिल है और इतना ही हिस्सा पूरे दैन के मुक़ाबिल में मरहून रहे मगर यह चीज़ हलाक होजायेगी तो अगर्चे पूरे दैन की क़ीमत की बराबर हो पूरा दैन साक़ित नहीं होगा बल्कि दैन का इतना ही जुज़ साक़ित होगा जो इसके मुक़ाबिल में पड़े। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.11:– मकान किराये पर दिया फिर उसी मकान को किराये दार के पास रहन रखा यह रहन सहीह है और इजारा बातिल होगया यानी जब कि रहन के लिये मुरतहिन का क़ब्ज़ा–ए–जदीद हो क्योंकि पहला क़ब्ज़ा उस क़ब्ज़े के क़ाइम मक़ाम नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.12:– रहन में ज़्यादती जाइज़ है यानी मस्लन किसी ने क़र्ज़ लिया और उसके पास एक चीज़ रहन रखदी उसके बाद राहिन ने दूसरी चीज़ भी उसी क़र्ज़ के मुक़ाबिल में रहन रखी यह दोनों चीज़ें रहन होगईं यानी जब तक क़र्ज़ अदा न करे दोनों में से किसी को नहीं ले सकता। और उनमें से एक हलाक होगई तो अगर्चे उसकी क़ीमत दैन के बराबर हो पूरा दैन साक़ित नहीं होगा बल्कि दैन को दोनों पर तक़सीम किया जाये जितना उसके मुक़ाबिल हो सिर्फ़ वही साक़ित होगा और यह दूसरी चीज़ जो बाद में रहन रखी क़ब्ज़े के दिन जो उसकी क़ीमत थी उसका एअ्तिबार होगा जिस तरह पहली की क़ीमत में भी क़ब्ज़े ही के दिन का एअ्तिबार था यानी हलाक होने की सूरत में उन्हीं क़ीमतों पर दैन की तक़सीम होगी मस्लन हज़ार रुपये क़र्ज़ लिये और एक चीज़ रहन रखी जिसकी क़ीमत हज़ार रुपये है फिर दूसरी चीज़ रहन रखी जिसकी क़ीमत पाँच सौ रुपये है और एक हलाक होगई तो दैन के तीन हिस्से किये जायें दो हिस्से पहली के मुक़ाबिल में और एक हिस्सा दूसरी के मुक़ाबिल में। (हिदाया)

मसअ्ला.13:– दैन के मुक़ाबिल में कोई चीज़ रहन रखी फिर दैन का कुछ हिस्सा अदा करदिया कुछ बाक़ी है अब रहन में ज़्यादती की यानी दूसरी चीज़ भी रहन रखदी इस ज़्यादती का तअ़ल्लुक़ पूरे दैन से नहीं बल्कि जो बाक़ी है उसी से है यानी हलाक होने की सूरत में दैन के सिर्फ़ उतने ही हिस्से को दोनों पर तक़सीम करेंगे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– दैन में ज़्यादती ना जाइज़ है यानी दैन के मुक़ाबिल में कोई चीज़ रहन रखदी उसके बाद राहिन यह चाहे कि फिर क़र्ज़ लूँ और उस क़र्ज़ के मुक़ाबिल में भी वही चीज़ रहन रहे यह नहीं हो सकता यानी अगर वह चीज़ हलाक होगई तो दूसरे दैन पर उसका असर नहीं पड़ेगा यह साक़ित नहीं होगा और पहला दैन अदा करदिया दूसरा बाक़ी है तो मुरतिहन उस चीज़ को रोक नहीं सकता कि दूसरे दैन से रहन को तअ़ल्लुक़ नहीं। (हिदाया)

मसअ्ला.15:– हज़ार रुपये में दो गुलाम रहन रखे फिर मुरतहिन से कहा कि मुझे एक की ज़रूरत है वापस देदो उसने एक गुलाम वापस कर दिया यह दूसरा जो बाक़ी है या पाँच सौ के मुक़ाबिल में रहन है यानी अगर हलाक हो तो सिर्फ़ पाँचसौ साक़ित होंगे अगर्चे उसकी क़ीमत एक हज़ार हो मगर राहिन उस वक़्त फ़क्के रहन करा सकता है जब पूरे हज़ार अदा करदे। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.16:– हज़ार रुपये के मुक़ाबिल में गुलाम को रहन रखा उसके बाद राहिन ने मुरतहिन को एक दूसरा गुलाम दिया कि उसकी जगह पर इसे रहन रखलो तो जब तक मुरतहिन पहले गुलाम को वापस न देदे वह रहन से ख़ारिज नहीं होगा और दूसरा गुलाम मुरतहिन के पास बतौर अमानत है जब पहला गुलाम वापस करदे अब यह दूसरा गुलाम रहन होजायेगा और मुरतहिन के ज़मान में आजायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– मुरतहिन ने राहिन से दैन मुआफ़ करदिया या हिबा करदिया और अभी मरहून को वापस नहीं किया है और मरहून हलाक होगया तो मुरतहिन से उसका कोई मुआवज़ा नहीं मिलेगा हाँ अगर राहिन ने मुरतहिन से मुआफ़ी या हिबा के बाद मरहून को मांगा और उसने नहीं दिया उस के बाद हलाक हुआ तो मुरतहनि के ज़िम्मे तावान है कि रोकने से ग़ासिब होगया और अगर मुरतहिन ने दैन वसूल पाया राहिन ने उसे दिया हो या किसी दूसरे ने बतौर तबर्रोअ़ दैन अदा करदिया या मुरतहिन ने राहिन से दैन के एवज़ में कोई चीज़ ख़रीदली या राहिन से किसी चीज़ पर मुसालहत की या राहिन ने दैन का किसी दूसरे शख़्स पर हवाला करदिया और उन सूरतों में मरहून मुरतहिन के पास हलाक होगया तो दैन के मुक़ाबिल में हलाक होगा यानी दैन साक़ित हो

जायेगा और जो कुछ राहिन ने मुतबर्रेअ् से वसूल पाया है उसे वापस करे और हवाला वाली सूरत में हवाला बातिल होगया। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.18:– यह समझकर कि फुलाँ का मेरे ज़िम्मे दैन है एक चीज़ रहन रखदी उसके बाद राहिन व मुरतहनि ने इस पर इत्तिफ़ाक़ किया कि दैन था ही नहीं और मरहून हलाक होगया तो दैन के मुक़ाबिल में हलाक हुआ यानी मुरतहिन राहिन को इतनी रक़म अदा करे जिस के मुक़ाबिल हलाक हुआ यानी मुरतहिन राहिन को इतनी रक़म अदा करे जिस के मुक़ाबिल में रहन रखा गया (हिदाया) और बाज़ अइम्मा यह फ़रमाते हैं कि यह उस सूरत में है कि मरहून के हलाक होने के बाद दोनों ने दैन न होने पर इत्तिफ़ाक़ किया हो और अगर इत्तिफ़ाक़ करने के बाद हलाक हो तो ज़मान नहीं कि अब वह चीज़ मुरतहिन के पास अमानत है मगर साहिबे हिदाया के नज़्दीक दोनों सूरतों का एक हुक्म है।

मसअ्ला.19:– औरत के पास शौहर ने महर के मुक़ाबिल में कोई चीज़ रहन रखदी फिर औरत ने महर मुआफ़ करदिया या शौहर को हिबा करदिया या महर के मुक़ाबिल में शौहर से ख़ुलअ् कराया, उन सबके बाद वह मरहून चीज़ औरत के पास हलाक होगई तो उसके मुक़ाबिल में औरत से कोई मुआवजा नहीं ले सकता। (हिदाया)

मसअ्ला.20:– एक शख़्स ने दूसरे का महर बतौर तबर्रोअ् अदा करदिया फिर शौहर ने औरत को क़ब्ले दुख़ूल तलाक़ देदी तो वह शख़्स औरत से निस्फ़ महर वापस ले सकता है क्योंकि दुख़ूल से क़ब्ल तलाक़ होने में औरत आधे महर की मुस्तहक़ होती है। इसी तरह एक शख़्स ने कोई चीज़ ख़रीदी दूसरे ने बतौर तबर्रोअ् उसका समन बाइअ् को देदिया फिर मुश्तरी ने ऐब की वजह से मबीअ् को वापस कर दिया तो समन उसको मिलेगा जिसने दिया है मुश्तरी को नहीं मिलेगा। (ज़ैलई)

मसअ्ला.21:– रहन फ़ासिद के वही अहकाम हैं जो रहन सहीह के हैं यानी मस्लन राहिन ने अक़्दे रहन को तोड़ दिया और यह चाहे कि मरहून को वापस लेले तो जब तक वह चीज़ अदा न करदे जिसके मुक़ाबिल में रहन रखा है मरहून को वापस नहीं ले सकता या राहिन मरगया और उसके ज़िम्मे दूसरों के भी दैन हैं वह लोग यह चाहें कि मरहून से हम भी ब'हिस्साए रसद वसूल करें ऐसा नहीं कर सकते। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.22:– मरहून चीज़ माल हो और जिसके मुक़ाबिल में रहन रखा हो वह मज़मून हो यानी उसका ज़मान वाजिब हो मगर जवाज़े रहन के शराइत में कोई शर्त मअ्दूम हो मस्लन मुशाअ् को रहन रखा इस सूरत में रहन फ़ासिद है और अगर मरहून माल ही न हो या जिसके मुक़ाबिल में रखा हो उसका ज़मान वाजिब न होता हो तो यह रहन बातिल है रहन बातिल में मरहून हलाक हो जाये तो वह अमानत थी जो ज़ाइअ होगई उसका कुछ मुआवज़ा राहिन को नहीं मिलेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.23:– गुलाम ख़रीदा और उस पर क़ब्ज़ा भी करलिया और समन के मुक़ाबिल में बाइअ् के पास कोई चीज़ रहन रखदी और यह चीज़ मुरतहिन के पास हलाक होगई उसके बाद मालूम हुआ कि वह गुलाम न था बल्कि हुर (आज़ाद) था या बाइअ् का न था किसी और का था जिसने ले लिया तो मुरतहिन को ज़मान देना होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.24:– बैअ् सलम में मुसलम फ़ी (मबीअ्) के मुक़ाबिल में रब्बुस्सलम (ख़रीदार) के पास कोई चीज़ रहन रखी उसके बाद दोनों ने बैअ् सलम को फ़स्ख़ करदिया तो अब यह चीज़ रासुल'माल के मुक़ाबिल में रहन है यानी रब्बुस्सलम जब तक रासुल'माल वसूल न करले उस चीज़ को रोक सकता है मगर यह मरहून अगर हलाक होजाये तो मुसलम फ़ी के मुक़ाबिल में उसका हलाक होना मुतसव्वर होगा कि हक़ीक़तन उसी के मुक़ाबिल में रहन है जो यूंही अगर बैअ् में समन के मुक़ाबिल में कोई चीज़ रहन रखदी फिर बैअ् का इक़ाला हुआ तो जब तक मबीअ् बाइअ् को वापस न मिले रहन को रोक सकता है मगर मरहून हलाक होजाये तो समन के मुक़ाबिल में हलाक मुतसव्वर होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.25:– एक शख़्स के दूसरे के ज़िम्मे कुछ रुपये थे मदयून ने दाइन के दो कपड़े यह कहकर दिये कि अपने रुपये के एवज़ उनमें से एक कपड़ा लेलो उसने दोनों रख लिये और दोनों ज़ाइअ् होगये तो मदयून के कपड़े ज़ाइअ् हुए दाइन का दैन ब'दस्तूर बाक़ी है जब तक वह एक को अपने रुपये के एवज़ मुतअय्यन न करले यह वैसा ही है कि एक शख़्स पर दूसरे के बीस रुपये बाक़ी हैं मदयून ने उसे सौ रुपये दिये कि उनमें से अपने बीस लेलो उसने कुल रख लिये उनमें से अपने बीस नहीं निकाले और कुल रुपये ज़ाइअ् होगये तो मदयून के ज़ाइअ् हुए दाइन का दैन ब'दस्तूर बाक़ी है और अगर कपड़ा देते वक़्त यह कहे कि उनमें से एक को अपने दैन के मुक़ाबिल में रहन रखलो और उसने दोनों रखलिये फिर दोनों ज़ाइअ् होगये और दोनों एक क़ीमत के हों तो हर एक की निस्फ़ क़ीमत दैन के मुक़ाबिल में होगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.26:– जिस दैन के मुक़ाबिल में चीज़ रहन है जब तक वह पूरा वसूल न होजाये मुरतहिन मरहून को रोक सकता है और मुरतहिन के अगर दीगर दुयून (कर्ज़े) भी राहिन के ज़िम्मे हों रहन से पहले हों को या बाद के मगर उनके मुक़ाबिल में यह चीज़ रहन न हो तो उन के वसूल करने के लिये रहन को रोक नहीं सकता। (आलमगीरी)

''उसके बाद का बाक़ी मज़मून हिस्सा 18 में मुलाहिज़ा हो''।

मुतर्जिम
मुहम्मद अमीनुलक़ादरी
28फ़रवरी सन्2015
09219132423